राजभाषा विस्तारिका

वर्ष: 2017 अंक: 9

विस्तार निदेशालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली–110012

अपनी बात

भाषा का जन्म कई दशकों पूर्व हुआ। हम अपने विचारों अथवा भावों को दूसरों तक सहज तरीके से अपनी भाषा के माध्यम से ही पहुँचा सकते हैं। इस नाते भाषा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भाषा के महत्व को सदियों पहले पहचान लिया गया था और इस प्रकार उसका क्रमिक विकास होता गया। अपने विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति के इस माध्यम यानी हमारी भाषा का स्वस्थ व संस्कारित होना भी जरुरी है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी से जिस लहजे में बात करता है उसका वह लहजा यदि समय, शालीन अथवा सुसंस्कृत नहीं हुआ तो उसकी भाषा का सामने वाले पर बुरा प्रभाव ही पड़ता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी भाषा का जितना जुड़ाव और महत्व उसकी अभिव्यक्ति, क्षमता अथवा संप्रेषण में है उससे कहीं अधिक उसकी सभ्यता और संस्कृति से है। भारत देश इस मामले में अन्य देशों के मुकाबले काफी धनी है क्योंकि यहाँ अनेक भाषाऐं, बोलियां बोली जाती हैं। बेशक हिन्दी यहाँ की मुख्य भाषा है और इसका जाल देश के विभिन्न प्रांतों तक ही नहीं अनेक देशों तक फैला हुआ है।

हिन्दी भाषा के महत्व और इसकी पवित्र स्वीकार्यता को देखते हुए ही भारत सरकार ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया है। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में राजकाज की भाषा जनता की भाषा में होती है अतः अपने देश में हिन्दी को यह स्थान मिलना ही था।

भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों की तरह विस्तार निदेशालय में भी राजभाषा हिन्दी को पूरा सम्मान प्राप्त है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक राजभाषा हिन्दी में अपना सरकारी काम करके गौरवान्वित होते हैं।

निदेशालय में सालों साल हिन्दी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां और अनूठी योजनायें चलती रहती हैं। राजभाषा विस्तारिका का प्रकाशन भी उनमें से एक है। इस वार्षिकी में हर बार विभागीय कर्मियों की रचनाओं और विभागीय गतिविधियों को तो शामिल किया ही जाता है विद्वान अतिथि रचनाकारों को भी पूरा सम्मान दिया जाता है।

अंत में राजभाषा विस्तारिका का यह अंक अपने प्रबुद्ध पाठकों को सौंपते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ।

उम्मीद है हमारा यह प्रयास पाठकों को भी पसंद आयेगा और वे अपनी प्रतिक्रियाओं/सुझावों से भी हमें अवगत कर सकेंगे।

नई दिल्ली

अगस्त, 2017

वीरेन्द्र सिंह

अपर आयुक्त (विस्तार)

निदेशक (प्रशासन) की कलम से...

भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। यह ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को मानवता प्रदान करती है और उसका सम्मान तथा यश बढ़ाती है। जिसे भाषा का सम्यक ज्ञान हो, वह बड़े से बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है और कीर्ति का अधिकारी बन सकता है। इसलिए भाषा का प्रयोग बहुत सोच विचार कर करने की आवश्यकता है।

राजकाज की भाषा वह भाषा है जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार की गई हो। जब से प्रशासन की परंपरा प्रचलित हुई है, तभी से राजभाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है। प्राचीन काल में भारत में संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश आदि भाषाओं का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता था। राजपूत काल में हिन्दी का प्रयोग राजकाज में किया जाता था। किंतु बाद में मुस्लिम सत्ता के चलते धीरे–धीरे हिन्दी का स्थान फारसी और अरबी भाषाओं ने ले लिया।

बाद के समय में अंग्रेजों ने अपने राजकाज में उस समय पर प्रचलित राजभाषा फारसी को ही अपनाया था। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अंग्रेजी को भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया था। धीरे–धीरे वह न केवल भारतीय प्रशासन की भाषा बन गई, बल्कि शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग धंधों की भाषा हो गई। यही नहीं, वह भारत के शिक्षित वर्ग के व्यवहार की भी भाषा बन गई। अंग्रेजी शासक यह महसूस करते थे कि भारत की भाषाओं को बहुत दिनों तक दबाया नही जा सकता है, अतः उन्होंने हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी तथा अन्य प्रदेशों में, वहां की स्थानीय भाषा को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनाया।

देश आजाद होने के बाद भारतीय संविधान सभा ने गहन विचार मंथन के बाद 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया था। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और तभी से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है।

किसी भी स्वाधीन देश के लिए, जो महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का है, वही उसकी राजभाषा का है। प्रजातांत्रिक देश में शासन का काम जनता की भाषा में किया जाना चाहिए। इसलिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपना समस्त सरकारी कामकाज अपनी राजभाषा हिंदी में ही करें और अपने देश का गौरव बढ़ायें।

हमारे कार्यालय विस्तार निदेशालय में भी समस्त सरकारी कामकाज पूरे सम्मान के साथ राजभाषा हिन्दी में किया जा रहा है। जिसकी झलक प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली राजभाषा विस्तारिका में दिखाई देती है। राजभाषा विस्तारिका के प्रकाशन पर मैं इससे जुड़े सभी कर्मियों, लेखकों और पाठकों का अभिनन्दन करती हूँ और भविष्य में उनके अपेक्षित सहयोग की अपेक्षा करती हूँ।

नीरज सुनेजा
निदेशक (प्रशासन)

वर्ष – 2017 अंक: 9

परामर्श मंडल

वीरेन्द्र सिंह
(अपर आयुक्त विस्तार)

श्रीमती नीरज सुनेजा
निदेशक (प्रशासन)

डॉ. शैलेश कुमार मिश्र
संयुक्त निदेशक (विस्तार)

संपादन

किशोर श्रीवास्तव
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादन सहयोग

राजकरण
(वरिष्ठ अनुवादक)

सहयोग/शब्द संयोजन

अभिनन्दन कुमार स्वर्णकार
(अनुवादक)

कला कार्य

रईस हुसैन रिज़वी
(मुख्य कलाकार)
एस.एस. नेगी
(वरिष्ठ कलाकार)

——संपर्क सूत्र——

हिन्दी अनुभाग
विस्तार निदेशालय
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)
कृषि विस्तार भवन, पूसा,
नई दिल्ली–110012

अनुक्रमणिका

	सामग्री	पृष्ठ संख्या
	पाठकों की चौपाल	5
अतिथि रचनाकार		
1.	राष्ट्रभाषा हिन्दी राष्ट्र का गौरव (लेख) – किरनबाला	6
2.	आओ हिन्दी को अपनाएं (कविता) – डॉ. गार्गीशरण मिश्र 'मराल'	8
3.	घर–घर हिन्दी – प्रभुदयाल श्रीवास्तव	8
4.	भारत देश (कविता) – अज़ीज़ जौहरी	9
5.	मानवता बचाना हम सबकी जिम्मेदारी (लेख) – चंपा नूनिया	10
6.	वह क्षण (कविता) – नरेश कुमार 'उदास'	12
7.	कुछ मीठे सपने (कविता) – प्रमोद कुमार शर्मा	12
8.	माँ (कविता) – प्रियदर्शनी वैष्णव	13
9.	सो नहीं पाया मुंगेरी (कविता) – अवनीश त्रिपाठी	13
10.	सीमा पार तक सुनाई देती हिन्दी की गूंज (लेख) – शशि श्रीवास्तव	14
11.	'बारे में' के बारे में (लेख) – ओम प्रकाश 'मंजुल'	16
12.	सुनैना (कहानी) – सुमन शर्मा	18
13.	भाषा और राष्ट्र निर्माण (लेख) – सुमन द्विवेदी	21
14.	बेटी है इक्कीस (दोहे) – डॉ. रामनिवास 'मानव'	22
15.	ग़जल – विज्ञान व्रत	22
16.	ग़ज़ल – प्रवीन चौहान 'साहिल	22
17.	मतवाला किसान (कविता) – विनोद भटनागर 'अलवेला'	23
18.	कहना अच्छा है (कविता) – धीरज श्रीवास्तव	23
19.	अभिवादनशीलता एवं शिष्टाचार में निहित है दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य के तत्व (लेख) – सीताराम गुप्ता	24
20.	अपने भीतर ही मौजूद है प्रेरणा का स्रोत (लेख) – अमित त्यागी	27
21.	प्रेम, भाईचारा और वसुधैवकुटुम्बकम....(लेख) – पूनम भाटिया	29
22.	प्रकृति सानिध्य की आतुरता क्यों नहीं – रश्मि अग्रवाल	30
23.	अपना हिन्दुस्तान (कविता) – अशोक 'आनन'	31
24.	तेरे पास आना – सदानंद सुमन	32
25.	प्यारा हिन्दुस्तान (कविता) – डॉ. प्रदीप कुमार चित्रांशी	37
26.	भारत में पेस्टीसाइड के दुष्प्रभाव एवं कानूनी स्थिति (लेख) – डॉ. अनिला	38
27.	जल बचाएं, जीवन बचाएं (लेख) – संदीप तोमर	40
28.	मानवता बचायें, बेटियां बचाकर (लेख) – चेतनादित्य आलोक	42
29.	धरणी (कहानी) – विनीता सुराना किरण	45
30.	स्वच्छता का दर्शन (लेख) – शरदनारायण खरे	52
31.	पढ़ा खूब पर नहीं भरा मन (लेख) – प्रमोद दीक्षित	55
.....		
विभागीय कर्मियों की रचनाएं/हिन्दी पखवाड़ा, 2017 के दौरान पुरस्कृत स्लोगन एवं आलेख		
1.	मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया : भारत के बढ़ते कदम–अभिनन्दन कुमार स्वर्णकार	58
2.	राष्ट्रीय एकता और हिन्दी/पर्यावरण सुरक्षा (स्लोगन) – अनील कुमार, जय प्रकाश राष्ट्रीय एकता और हिन्दी/हिन्दी की सरलता और सहजता (स्लोगन) – प्रेमराज वृक्षारोपण/पर्यावरण सुरक्षा (स्लोगन) – मनीष भाटिया आतंकवाद से मुकाबला/नारी स्वतंत्रता – विकास डबास	60
3.	बढ़ती जनसंख्या, घटती महिलाएं : गुत्थी कैसे सुलझाएं – दिवाकर	61
4.	प्राकृतिक आपदाएं, खुद आएं या हम बुलाएं – वैभव सोनी, राकेश कुमार	62
5.	पेड़ अधिक, आबादी कम – ओम प्रकाश	64
6.	आधी आबादी की दशा और दिशा – रमेश चन्द्र	65

राजभाषा विस्तारिका में प्रकाशित रचनाओं आदि में प्रस्तुत विचार लेखकों के अपने हैं, उनसे इस निदेशालय की सहमति आवश्यक नहीं – संपादक

ई–मेल : **rajbhashavistarika@gmail.com** फोन : 011–25842039

सूचना : राजभाषा विस्तारिका के अंक–10 हेतु पत्रिका के तेवर के अनुरूप सुरुचिपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी रचनाएं स्वरचित/मौलिक एवं अप्रकाशित की घोषणा सहित; पूरे नाम, पते, मोबाइल संख्या एवं ई–मेल सहित कृतिदेव–010 फॉन्ट में ई–मेल के माध्यम से केवल 1 से 25 फरवरी, 2018 के बीच आमंत्रित हैं।

पाठकों की चौपाल

● पत्रिका एवं सर्वप्रथम कवर पृष्ठ देखकर मन गद–गद हो गया। पत्रिका से जुड़े साहित्यकारों, विचारकों आदि सभी ने बेहतरीन तरीके से पत्रिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह काबिले तारीफ है। निश्चय ही एक दिन हिन्दी पूरे विश्व में राज ही नहीं अपितु स्वराज देने में अग्रणी होगी। सभी साहित्यकार यहां एक स्टार जैसे हैं। जिसमें खास निदेशालय के कर्मियों का कहना ही क्या।

–विनोद भटनागर ''अलवेला'', शिवपुरी (म.प्र.)

● प्रस्तुत अंक पढ़ा। अच्छा लगा। यूँ तो अंक की संपूर्ण सामग्री ही श्रेष्ठ है, पर कुछ रचनाएं विशेष रूप से काबिले तारीफ हैं। इनमें सर्वश्री श्रीयुत श्रीकांत चौधरी का लेख, 'ध्वनि प्रदूषणः किसकी कितनी जिम्मेदारी', राकेश भ्रमर का 'हिन्दी भाषा और व्याकरण', ज्योति प्रकाश खरे का, 'समाज में गुम होती बुढ़ापे की लाठी', डॉ. विनोद बब्बर का 'भाषा की संस्कृति और संस्कृति की भाषा', सुश्री रंजना नौटियाल का लेख 'हमारी हिन्दी क्यों बेगानी' तथा सुश्री विभा खरे की कहानी 'रक्तदान' नामक रचनाएं अपनी सामयिकता, उपयोगिता, सरोकार–संबद्धता तथा संदेश संप्रेषणीयता आदि विशेषताओं के कारण विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी तरह काव्य क्षेत्र में सर्वश्री डॉ. राम निवास 'मानव' के 'हाइकु', अशोक 'अंजुम' की कविता, 'गुनगुनाती नदी', किशन स्वरूप की 'ग़ज़ल', राजकुमार सचान के 'दोहे' जहीर कुरेशी की कविता, 'दोस्तों का गीत' तथा सुश्री आशा शर्मा की, 'माँ ! तुम तुझे बचा लेना' अपनी संवेदनशीलता, सामयिकता, सरसता तथा तरन्नुम आदि गुणों के कारण विशेष प्रशंसनीय हैं।

–ओम प्रकाश पाण्डेय 'मंजुल'', पीलीभीत (उ.प्र.)

● राजभाषा विस्तारिका– अंक 8 के के सभी लेख पठनीय तो हैं ही साथ–साथ ये सभी हिन्दी के विकास के लिए सोचने को विवश भी करते हैं। कविताएं भी रोचक व भावधरा हैं। सभी सर्जकों का हार्दिक अभिनन्दन और आपकी संपादकीय सूझ–बूझ को हार्दिक सलाम ।

● मैंने प्रायः चालीस साल शिपिंग लाइन में सर्विस की है और दुनिया भर की भाषाएं सुनी हैं। सभी लोग जब आपस में बात करते हैं तो अपनी मातृ या राष्ट्रभाषा में ही बाात करते हैं। यही नहीं हम भारतीय भी आपस में जब बात करते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। लेकिन मातृभाषा भिन्न रोल में हो तब हम बातचीत में हिन्दी की बजाय अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। हमारी इसी सोच में बदलाव जरूरी है। इस दिशा में हमें सोचना चाहिए। राजभाषा विस्तारिका भी इसी दिशा में सोच रही है, यह जानकर बेहद खुशी हुई। मुझे विश्वास है कि आगामी 15/20 वर्षों में हिन्दी बहुत आगे निकलेगी।

–प्रवीन चौहान 'साहिल', राजकोट (गुजरात)

● राजभाषा विस्तारिका अंक–8 की प्रति प्राप्त हुई, आपका हार्दिक आभार। हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार व संवर्धन हेतु आपका प्रयास स्तुत्य है। पत्रिका की समग्र सामग्री पठनीय है।

– ज्योतिर्मयी पंत, गुरुग्राम, हरियाणा

● मुझे राजभाषा विस्तारिका, 2016 का अंक 8 प्राप्त हुआ। आपके संपादन में साहित्यिक उपवन बन, राजभाषा विस्तारिका के अंक में कहानी, लेख, गीत व कविता रूपी पुष्प के सौरभ से सम्पूर्ण साहित्यिक जगत महक उठा है। अपनी बात में श्री वीरेन्द्र सिंह जी, बहुत ही सरल शब्दों में राजभाषा हिन्दी के विकास के साथ–साथ उन लोगों के हृदय में भी हिन्दी के प्रति अनुराग भरने में सफल रहे, जो हिन्दी को अन्य भाषाओं की अपेक्षा तुच्छ समझते हैं या उन्हें इसका अल्प ज्ञान है। पत्रिका की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये संपादक की महती भूमिका होती है, जिसे आपने बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। इसके लिये आपको साधुवाद।

– डॉ–प्रदीप कुमार चित्रांशी, इलाहाबाद

● राजभाषा विस्तारिका का आठवाँ अंक मिला। इसके आकर्षक कलेवर एवं साफ–सुथरी छपाई ने मन मोह लिया।

– सदानंद सुमन, रानीगंज

राष्ट्रभाषा हिन्दी राष्ट्र का गौरव

– किरनबाला

किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जितनी महत्ता उसके प्रतीकों राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की होती है उतना ही सम्मान और महत्व उस देश की राजभाषा का भी होता है। भारत विभिन्नताओं से भरा एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी भाषा हर कोस पर बदल जाती है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, जिसकी राजभाषा 'हिन्दी' को बनाया गया है। 14 सितम्बर, 1949 को सर्वसम्मति से 'हिन्दी' को यह गौरव प्राप्त हुआ था और उसे राजभाषा का दर्जा 26 जनवरी, 1950 को दिया गया, जब भारत का संविधान बना था। भारत संघ की राजभाषा है जिसकी लिपि देवनागरी को माना गया है। संवैधानिक रूप से भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है परन्तु हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो सम्पूर्ण देश को आपस में जोड़ने का कार्य कर सकती है। देश के समस्त बड़े नेताओं और स्वतन्त्रता सेनानियों ने हिन्दी को राजभाषा बनाए जाने का एकमत से समर्थन किया था। हिन्दी ही एकमात्र ऐसी सक्षम भाषा है जिसके बोलने और लिखने में कोई अन्तर नहीं रहता है। अर्थात् इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। यही तो इस भाषा का सबसे बड़ा गुण और विशेषता है।

प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों का आदान–प्रदान भाषा के द्वारा ही करता है। एक दूसरे की बात को समझने और समझाने के लिए भाषा ही तो सशक्त माध्यम माना गया है। प्रत्येक राष्ट्र की भाषा अलग होती है लेकिन जिस भाषा में उस राष्ट्र के कार्यों को किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अधूरा है। वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत तमिलनाडु को छोड़कर पूरा देश अपना कामकाज हिन्दी में कर सकता है। एक लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त हुआ है।

राष्ट्र के चहुंमुखी विकास में उस देश की राष्ट्रभाषा के साथ–साथ वहां की राजभाषा का भी विशिष्ट स्थान होता है। राजभाषा शासन तंत्र, प्रशासनिक नीतियों तथा प्रयोजनों की भाषा मानी जाती है। किन्तु किसी देश की किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान व समर्थन तो जनमानस के व्यवहार के बिना मिलना सम्भव नहीं होता। सभ्य समाज में या राष्ट्रीय विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक ऐसी सम्पर्क भाषा का होना नितान्त आवश्यक है जो सम्पूर्ण राष्ट्र और समाज को एक सूत्र में बांधकर रख सके। हिन्दी ने राष्ट्रभाषा और राजभाषा के दोनों रूपों में अपना दायित्व अत्यंत सहजता से निभाया है। विभिन्न भाषा भाषियों के बीच जहां सम्पर्क का कार्य हिन्दी भाषा करती है वहीं शिक्षा, कला–संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान एवं समस्त कार्य व्यापार का भी सहजता से निर्वहन करती है। यहां तक कि विश्व के अधिकांश देशों में भी विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज हिन्दी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा बन चुकी है।

हिन्दी को प्रशासनिक भाषा बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए जिनमें प्रशासनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का निर्माण करना, विधि एवं विधि साहित्य के अनुवाद कार्य तथा अहिन्दी भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का निःशुल्क

प्रशिक्षण दिया जाना आदि शामिल है।

हिन्दी के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए तथा अधिक से अधिक सरकारी कामकाज में प्रयोग हेतु भारत सरकार सभी मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करती है।

यंत्र युग ने व्यक्ति की अनेक पुरानी अवधारणाओं को परिवर्तित कर दिया है उसकी जगह नई तकनीक की विधाओं ने ले ली हैं। भारत जैसे बड़े देश में जहां प्रादेशिक भाषाएं भी विकसित होती हैं। हिन्दी का यह दुर्भाग्य रहा है कि प्रशासनिक व्यवहार में इसका प्रयोग शाब्दिक अनुवाद के लिए ही किया जाता रहा है जिससे केवल एक प्रकार की जटिलता ही उत्पन्न होती है जो उसके मूल रूप में विकसित होने को बाधित करती है।

भाषा भावों व विचारों की संवाहिका होती है। कोई भी भाषा पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं होती, जितनी ग्राह्य होती है उतनी उसकी क्षमता बढ़ने के साथ उसमें व्यापकता भी आती है। जिस भाषा में अन्य भाषाओं को खुद में समाहित करने की जितनी सम्भावना होती है वह भाषा उतनी ही अधिक विकसित होती जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी नितान्त आवश्यक है कि अन्य भाषाओं से ग्राह्य किए जाने वाले शब्द, भाषा को अर्थहीन न बना दें। किसी भी भाषा की सशक्तता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके शब्दकोष में कितने शब्द हैं। पारिभाषिक शब्दावली का पर्याप्त निर्माण होने के बाद भी नए शब्द बनते ही रहते हैं।

विश्व के लगभग 170 देशों में किसी न किसी रूप में हिन्दी को पढ़ाया जाता है। शिक्षा सदैव मातृभाषा में ही होनी श्रेयस्कर रहती है। 'मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना, क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की' यह कहना भारत के राष्ट्रपति डॉ0 अब्दुल कलाम का है। किसी भी देश के जनमानस, शिक्षा एवं शासन–प्रशासन की भाषा वहां की भाषा ही होती है। उस देश का चहुंदिशा में विकास होना निश्चित है बच्चों के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शारीरिक विकास के लिए मां का दूध। भाषा के पतन से संस्कृति व संस्कारों का भी पतन हो जाता है, मूल्य का ह्रास होने लगता है।

हिन्दी साहित्य का भण्डार विश्व की किसी भी अन्य भाषा से कम नहीं है। किन्तु साहित्य के साथ–साथ शोध, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, ज्ञान–विज्ञान तथा जनसंचार, प्रशासन एवं प्रबंधन आदि के लिए भी हिन्दी को सक्षम व समर्थ बनाने के प्रयास निरन्तर जारी रखने होंगे। कुछ हिन्दी संस्थाएं हिन्दी के प्रचार–प्रसार के कार्य विदेशों में भी निरन्तर कर रही है। विश्व के अनेक देशों में हिन्दी की अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। इतना ही नहीं विश्व के अनेक रेडियो स्टेशनों से भी हिन्दी कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। हिन्दी फिल्मों का आकर्षण तो अद्‌भुत है, विशेष रूप से एशियाई देशों में। इसी प्रकार हिन्दी गानों व संगीत से भी पूरी दुनिया प्रभावित है। विश्व हिन्दी सम्मेलनों की भी हिन्दी को आगे बढ़ाने में विशेष भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता। जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर हिन्दी भाषा में भाषण दिया गया था तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने पूरे भारत को गौरवान्वित कर दिया था ।

हिन्दी विश्व की प्राचीनतम भाषा है, हर विषय को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। राष्ट्रीयता व देशप्रेम की भावना से ही हिन्दी को उसका गौरवपूर्ण स्थान मिल सकता है। स्वभाषा का दैनिक जीवन एवं सामाजिक कार्यो के साथ ही अपने कार्यालयों में भी स्वेच्छा से प्रयोग करना शुरू कर दें तो वह दिन दूर नहीं होगा कि अपने ही घर में हिन्दी को वह स्थान मिल सकेगा जिसकी वह अधिकारिणी है। कवि रबिन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार 'भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिन्दी महानदी'।

वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने तो अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से भी अपनी भाषा हिन्दी में अपनी बातों को सबके समक्ष रखा है। इससे कितना सुन्दर और अच्छा संदेश विश्व भर में पहुंच गया है। विश्वास है कि 'हिन्दी के अच्छे दिन आने वाले हैं'। हिन्दी को उसका सही स्थान दिलाने में हर किसी की भूमिका अविश्वसनीय रहेगी।

–19/5 (द्वितीय तल) कालका जी,
नई दिल्ली–110019 मो. : 9650337901

आओ हिन्दी को अपनाएं

–डॉ. गार्गीशरण मिश्र 'मराल'

आज देश की मांग यही है आओ हिन्दी को अपनाएं।
जन–जन का सम्मान दिलाएं, भारत की पहचान बनाएं।

प्रान्त प्रान्त की भाषाएं जो
हिन्दी की बहनें हैं प्यारी,
बनें सहायक आपस में सब
हिन्दी बड़ी बहन हो न्यारी,

सद् साहित्य सृजन करके सब राष्ट्र एकता सुदृढ़ बनाएं।

प्रचलित शब्द सभी भाषा के
हिन्दी में स्वीकार करें हम,
हिन्दी बने सखी उर्दू की
प्रेम बढ़े दोनों में हरदम,

एकरूप होकर दोनों ही भारत माँ का गौरव गायें।

अंगरेजी है द्वार ज्ञान का,
सारे जग में जानी जाती,
बने सहायक हिन्दी की वह
जैसे शादी में बाराती,

शोभा बढ़ जाए हिन्दी की सब मिल उसे समर्थ बनाएं।

राष्ट्रपिता की इच्छा थी वह
भारत की भाषा हो हिन्दी,
तिलक, सुभाष मानते भारत
माता के माथे की बिन्दी,

चलो राष्ट्रभाषा के पद पर हिन्दी को हम सब बैठाएं।

ज्ञान मिले हिन्दी में सबको
शिक्षा की भाषा हो हिन्दी,
न्याय मिले हिन्दी में सबको
न्यायालय भाषा हो हिन्दी,

सचिवालय, कार्यालय सारे कार्य हेतु हिन्दी अपनाएं।

–1436/बी, सरस्वती कॉलोनी, चेरीताल वार्ड,
जबलपुर–482002 (म.प्र.) मो. : 425899232

घर–घर हिन्दी

–प्रभुदयाल श्रीवास्तव

घर घर हिंदी आम करो
सुबह करो या शाम करो,
हिंदी में भी काम करो।

अंगरेजी तुमको आती है,
यह तो अच्छी बात बहुत।
दीगर भी भाषाएँ तुमको,
अच्छा है की ज्ञात बहुत।
पर इन सबके ऊपर भैया,
हिंदी का ही नाम करो।

अपनी निज भाषा ही हमको,
सच्चा ज्ञान सिखाती है।
अपनी भाषा में पढ़ने से,
समझ शीघ्र ही आती है।
हिंदी के ज़ीरो बनकर मत,
हिंदी को बदनाम करो।

अपनी भाषा में पढ़ने से,
ज्ञान तंतु झंकृत होते।
शब्दों को आँखों कानों से,
झट दिमाग में भर देते।
खुली रखो हिंदी की राहें,
नहीं सड़क को जाम करो।

भाषाओं की रानी हिंदी,
यही हमारा नारा हो,
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण,
सारा देश हमारा हो।
हिंदी भाषा जन गण मन हो,
घर–घर हिंदी आम करो।

–12 शिवम् सुंदरम नगर, छिंदवाडा–480001 (म.प्र.)
मो. : 9713355846

भारत देश

–अजीज जौहरी

यह देश है यारों ऐसा जैसे कोई गहना है।
इस देश के रहने वालों सबको मिलकर रहना है।।

हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने इसे बनाया है
सबने इसे संवारा है सबने इसे सजाया है
पानी इसका अमृत है और माटी इसकी चंदन है
बार–बार वन्दन है इसका बार–बार अभिनन्दन है

महिमा इसकी न्यारी है गौरव का क्या कहना है।
इस देश के रहने वालों सबको मिलकर रहना है।।

तुलसी, नानक, ग़ालिब, मीरा देश की अद्‌भुत थाती हैं
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी दिए की बाती हैं
नया रंग है नई चेतना हर मौसम हर टोली में
एक भाव है एक भावना हर भाषा हर बोली में

गाँव नगर है नदियां, पर्वत, जंगल, झरना है।
इस देश के रहने वालों सबको मिलकर रहना है।।

तरह–तरह के पुष्प यहां खिलते रहते फुलवारी में
सोना–चाँदी हीरा–मोती जैसे क्यारी–क्यारी में
बस्ती–बस्ती गीत गूंजते खेतों में हरियाली है
बैसाखी है, ईद यहाँ है, होली है, दीवाली है

सुख–दुःख है मालिक की मर्जी दोनों को सहना है।
इस देश के रहने वालों सबको मिलकर रहना है।।

–17/3ए/4–शुतुरखाना, पोस्टः तेलियरगंज,
इलाहाबाद–211004 (उ.प्र.)

मानवता बचाना, हम सबकी ज़िम्मेदारी

–चंपा नूनिया

मनुष्य प्रायः सौन्दर्य, स्वच्छता, आनंद–उल्लास को पसन्द करता है। सम्मान ग्रहण करना चाहता है भले ही वह सम्मान एक दिखावा ही क्यों न हो। अपने सुख–सुविधा तक सिमटे रहना ही आज लोगों की प्रकृति बनती जा रही है। लेकिन हमारे सुखी रहने के पीछे जिनका हाथ है उन्हें हम सम्मान तो दूर की बात है कभी याद भी नहीं करते। कोई भी अपने सफल होने का श्रेय किसी और को नहीं देना चाहता। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गये हैं कि बस अपना काम किसी तरह निकल जाये यही सोचते हैं। पुरानी रूढ़ियों, बंधनों, संकीर्णताओं को छोड़ हम आधुनिक काल में आ पहुचें हैं परन्तु हमारी सोच आज भी साम्प्रदायिकता के कैंसर से जकड़ी हुई है। हमारी मानसिकता पूर्ण रूप से आधुनिक नहीं हो पायी है क्योंकि आज भी समाज में जाति, धर्म, भाषा, वंश, वर्ण, गोत्र इत्यादि का भेद है। इन विभेदों में सबसे कष्टकर होता है वर्गभेद जैसे – उच्चवर्ग एवं निम्नवर्ग। मनुष्य (जिसे सर्वश्रेष्ठ जीव माना जाता है) की मानवीय संवेदना किस तरह साम्प्रदायिक संकीर्णताओं में लिपटी हुई हैं इसका चित्रण प्रेमचन्द इन कहानियों में करते हैं। जैसे; 'दूध का दाम' नामक कहानी में महेशबाबू के लड़के सुरेश को भुजंगी मेथरनी के दूध से ही नया जीवन मिला। कहा जाता है दूध का कर्ज इस संसार में कोई अदा नहीं कर सकता परन्तु महेशबाबू ने (भुजंगी के मरने के बाद) भुजंगी के बेटे मंगल को सबके थाली का जूठन देकर उसके दूध के कर्ज को अदा किया। मंगल को उनके घर प्रवेश निषेध था, इससे उनका घर अपवित्र हो जाता क्योंकि वह निम्नवर्ग का है किन्तु यहीं पर सवाल उठता है कि जब भुजंगी ने सुरेश को दूध पिलाया तब उनका लड़का अपवित्र नहीं हुआ ? महेशबाबू अपने बेटे को तो अस्पृश्य नहीं मानते जिसके शरीर में एक मेथरनी का दूध है तो मंगल के साथ यह अमानवीय व्यवहार क्यों ? यही है हमारा सभ्य, सवर्ण समाज का न्याय। किसी के उपकार को भूल जाना

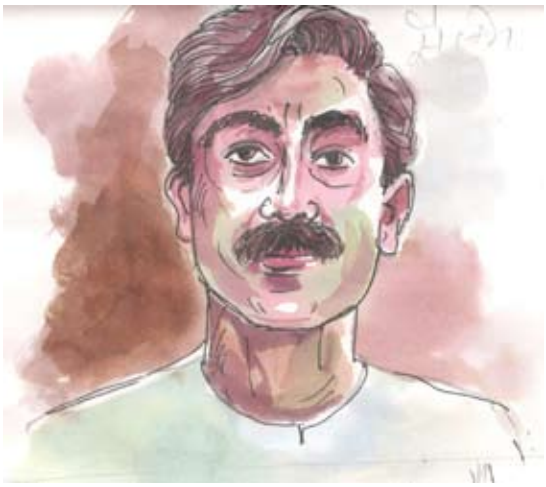

मनुष्य रूपी जीव के लिये कोई नई बात नहीं है। सभी धर्म मनुष्य की अच्छाइयों की बात करते हैं। पर जब स्वार्थी लोग अपनी सुविधानुसार इसकी गलत व्याख्या करने लगें तभी इसकी उदात्तता, संकीर्णता में बदल जाती है। यहाँ पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है।

'मंदिर' शीर्षक कहानी की सुखिया को भी धर्म के इन रीति–रिवाजों के कारण अपनी तथा अपने एकमात्र बेटे की जान गंवानी पड़ी। सुखिया के जीवन का एकमात्र अवलम्बन उसका बेटा ही था। 'मंदिर' कहानी में प्रेमचन्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समाज से करते हैं कि "निम्नवर्ग के छूने से यदि भगवान अपवित्र हो जाते हैं तो भगवान उस समय क्यों अपवित्र नहीं हुये जब उन्होंने निम्नवर्ग की सृष्टि की।" जिन्हें हम अस्पृश्य, अछूत कहते हैं क्या वे भगवान के घर से यह कलंक लिये आये हैं या हमने ज़ोर–ज़बरदस्ती उनके माथे पर यह मोहर लगा दिया। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य धन–सम्पत्ति से नहीं अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से श्रेष्ठ होता है। गांव के जमींदार को गांव का श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है तो क्या हम ठाकुर साहब (ठाकुर का कुँआ) को श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में रख सकते हैं जिसने उन लोगो के ही उस कुँये में जल भरने पर पहरा लगा दिया, जिन्होंने उस कुये को खोदा ? कहा जाता है धरती और जल में कोई छूत नहीं होता परन्तु

गंगिया अपने पति के लिये एक कलसी शुद्ध जल नहीं ला पायी क्योंकि उसके जल भरने से ठाकुर साहब का कुँआ अपवित्र हो जाता।

मराठी साहित्यकार शरण कुमार लिम्बाले के आत्मकथा 'अक्करमाशी' को पढ़ने के बाद यह विश्वास करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि इस संसार में ऐसा भी एक समाज है, जहाँ किसी के साथ ऐसा भी व्यवहार हो सकता है जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस आत्मकथा के आगे अपमान, कष्ट, तिरस्कार, कलंक जैसे शब्द बहुत ही छोटे लगते हैं। किसी के लिये 'अक्करमाशी' (एक ऐसा संतान जिसके पिता का नाम न हो) होना बहुत ही लज्जा का विषय है परन्तु लिम्बाले अपनी आत्मकथा में इस बात की चर्चा बेझिझक करते हैं। वे यह बात समाज को बताना चाहते हैं कि किस तरह इस समाज व्यवस्था के कारण ही वे अक्करमाशी हुये। इस समाज व्यवस्था के कारण ही समाज में वर्ण भेद (दलित वर्ग) प्रचलित है। दलितवर्ग का मूल कारण है दास प्रथा, इसी के चलते लिम्बाले की माँ उच्चवर्ग के शोषण की शिकार हुई। किसी के लिये दलित होना अक्करमाशी होने से भी कितना अधिक कष्टकर होता है यह आत्मकथा के कुछ प्रसंगों से हम समझ सकते हैं;

एक समय लिम्बाले के परिवार की स्थिति इतनी दयनीय थी कि लिम्बाले की दादी गोबर से दाने निकालकर उन्हें धोकर, पीसकर उसी की रोटी बनाती थीं और वे लोग उसी को खाते। इतनी दयनीय अवस्था में जीवन जीना हमारे लिये काल्पनिक है परन्तु आज भी दरिद्रता के ऐसे अनेक दृश्य आँखों के सामने आ जाते हैं जहां कचड़े के ढ़ेर से रोटी उठाते हुये, फेंके हुये जूठे पत्तल से चावल बटोरते हुये बच्चे दिखाई देते हैं जिनकी ओर हमारे सभ्य समाज की दृष्टि नहीं जाती या यह भी कह सकते हैं कि गांव की अंधियारी गलियों तक इनकी दृष्टि नहीं पहुंच पाती क्योंकि शहर की चमचमाती चकाचौंध कर देने वाली रोशनी को देख इनकी (अंतर्आत्मा की) आंखे पथरा गयी हैं। कुत्ते और बिल्ली के रहने, खाने, घूमने की व्यवस्था की जाती है और गरीब के बच्चे को देख मुँह फेर लिया जाता है।

आत्मकथा के एक स्थान में लिम्बाले कहते हैं कि "मैं मनुष्य था परन्तु मनुष्य शरीर के सिवा मेरे पास था ही क्या ? अभी भी इस देश में मनुष्य जाति, धर्म, गोत्र, पिता के नाम से पहचाना जाता है। यही सब एक व्यक्ति का परिचय पत्र होता है लेकिन मेरे पास न जाति है, न पिता का नाम और न ही मैं किसी पिता का उत्तराधिकारी हूं।" समाज का यह कैसा न्याय, कैसी नीति है जहां किसी एक के कर्मों का हिसाब दूसरे को देना पड़ता है ? लिम्बाले की माँ के साथ जो हुआ क्या उसके लिये सिर्फ उसकी माँ ही जिम्मेवार है, उनकी माँ के साथ वह पुरूष भी तो सहभागी था तो कलंक का बोझ अकेले लिम्बाले और उसके परिवार के सिर ही क्यों ? न्याय के उच्च पद पर बैठे समाज के ठेकेदारों ने क्या कभी उस पुरुष को अपराधी के कटघरे में खड़ा किया जिसके कारण लिम्बाले अक्करमाशी बने और उन्हें जिल्लत भरी जिन्दगी गुजारनी पड़ी (भले ही आज लिम्बाले का नाम दलित साहित्य के उच्च शिखर पर है)।

उपर्युक्त लेख में जिन प्रसंगों को उठाया गया है वे केवल प्रेमचन्द के ही नहीं बल्कि वह आज के समाज में भी उतना ही प्रासंगिक है। भले ही अब समाज में सबके लिये समान दृष्टि है, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं। समाज बनता है हम से। 'दूध का दाम' कहानी में कहा गया है कि 'धर्म परिवर्नशील है' तो अपने सोच को बदल समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हम सब पर ही है। सबसे पहले हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा, एक दूसरे को जाति प्रथा के परम्परावादी दृष्टि को भूल मानवीय दृष्टि से देखने की दृष्टि अपनानी होगी। संवेदना, स्नेह, प्यार, सद्भाव को अपने हृदय में स्थान देना होगा जिससे भविष्य में किसी सुखिया को अपना तथा अपने बेटे की जान न गंवानी पड़े। 'दूध का दाम' के मंगल जैसे किसी को अगर हम उसका हक, उसका सम्मान दिला पाये तो हम अपने मानव होने के आत्मसम्मान को फिर से पा सकते हैं जिसे हमने अपने अमानवीय व्यवहार के कारण खो दिया है।

–हिन्दी विभाग, असम यूनिवर्सिटी, सिल्चर (असम)
मो. : 9954960199

वह क्षण

–नरेश कुमार 'उदास'

कितना जानलेवा होता है
वह क्षण
खोखला और नीरस भी
जब कोई मन की बात
कह न पाए
लिख न पाए।
उसे शब्द ही
अंगूठा दिखा दें
वह शब्दों को
दे न पाए कोई आकार
और उसके भीतर का दर्द
भीतर ही फन पटकता रहे।
इस असमंजस की स्थिति में
वह पीड़ा से लबालब
भर उठता है।
वह कुछ भी कर सकता है
पागलपन की हद तक
बढ़ सकता है।
उसके दर्द को
आकार मिलने चाहिए
शब्दों में नहीं
तो आँसुओं में
दर्द ढलना चाहिए।
नहीं तो वह
अधर में लटका
मात्र अस्तित्व होगा
या पत्थर सा कोई बुत
जिसकी पहचान के अर्थ
कोई मायने नहीं रखते।

–आकाश–कविता निवास, 54–गली नं. 3, लक्ष्मीपुरम, सैक्टर बी–I (चनौर) पोस्ट : बनतलाब, जिला : जम्मू–181123
मो. : 9419768718

कुछ मीठे सपने

– प्रमोद कुमार शर्मा

कुछ मीठे सपने
कुछ मीठी यादें
थोड़ा सुकून
थोड़ी खुशी
मुझको जरा
ऐ दिल बता
और जिन्दगी को क्या चाहिए.....

आँख से बहते ये झरने
हँस के पार सभी करने
अँधेरी–सी गलियों में
काँटों वाली कलियों से
बचा के दामन निकल गये
गिरते–गिरते सँभल गये.....

लम्हे कैद हों मुट्ठी में
खोल के देखूँ छुट्टी में
कुदरत की सारी रचना
नामुमकिन जिससे बचना
खुद से इश्क भी किया करो
जग से लिया, तो दिया करो.....

वक़्त पे शाम यहाँ ढलती
फुरसत कभी नहीं मिलती
उलझन में हम सब उलझे
ताने–बाने कब सुलझे
कला है जीवन जीना भी
सुख देता ग़म पीना भी.....

–149/1, आदर्श कालोनी, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)
मो. : 9759465666

माँ

–प्रियदर्शनी वैष्णव

ऐ माँ
तू कब सोती है

पल–पल जगकर
तिल–तिल मिटकर
कण–कण
क्षण–क्षण
हँसकर जलकर
हृदयाग्नि से
आलोकित कर
पूर्णानन्दित होती है
माँ
तू दिव्य चेतना
तू निष्कम्पित
ज्योति है
माँ
तू कब सोती है

काली रातें
जग की घातें
आती रातें
ढलती रातें
कब तू सोई
कब तू जागी
कब तू सुन्दर
स्वप्न संजोती है

प्रेमाश्रु गंगा बहाकर
एकाकार में खोती है
माँ
तू कब सोती है

जन्म प्रदाता
जीवनदाता
महिशामर्दिनी
कालीमाता
त्रिविधा रूपा
मातृस्वरूपा

फुल्ल–प्रफुल्लित होती है,
तेरे विस्तृत पावन आंचल में
अनगिनत मोती हैं।
माँ
तू कब सोती है

कर अभिनन्दन
शत–शत वन्दन
न है दीपक
न ही चन्दन
पूर्ण समर्पण स्वीकारो
माँ जीवन एक चुनौती है,
अन्त घट अमृतधारा
बह चरण तुम्हारे धोती है,
ऐ माँ
तू कब सोती है ?

–ई 161, हुडको क्वार्टर कमला नेहरू नगर,
जोधपुर–342001 (राजस्थान) मो. : 7742129107

सो नहीं पाया मुंगेरी

–अवनीश त्रिपाठी

छल रहे कुछ
स्वप्न जिसको
नींद की चादर तले,
सो नहीं
पाया मुंगेरी
जागता ही रह गया।।

तोड़ सीमाएँ
विनय की
खूँटियों पर द्वंद्व लटके,
पालकर विग्रह
नियम के
नेह ने फिर पैर पटके,

कामनाओं की
नुकीली
सूईयों से अर्थ लेकर,
देह के
पैबन्द चुपके
टाँकता ही रह गया।।

घोर आलोचक
समय का
सुर्खियों में आजकल है
युग मशीनों का
हुआ जब
भूख की बातें विफल हैं,

यन्त्रणाएँ
आँत का ही
आकलन करती रही फिर,
रातभर
विषपान का दुख
टीसता ही रह गया।।

–निवास–गरयें, सुल्तानपुर–227304 (उ.प्र.)

आलेख :

सीमा पार तक सुनाई देती हिन्दी की गूंज

– शशि श्रीवास्तव

प्रायः जब कहीं भाषा की बात आती है तो अनेक हिन्दी प्रेमी इस बात को लेकर उदासीन हो उठते हैं कि अपने देश में भाषा को अब–तक वह स्थान नहीं मिल पाया है जिसकी वह वस्तुतः अधिकारिणी रही है। अनेक अवसरों पर इसे लेकर उनकी हताशा साफ दिखलाई पड़ती है। हो सकता है, उनकी चिंता कुछ हद तक जायज़ भी हो परन्तु यह मानकर सदा अफसोस जताते रहना या हाय हाय करना कम से कम आज के परिदृश्य में तो उचित नहीं ही जान पड़ता है, जबकि हिन्दी भाषा प्रदेश और देश की सीमायें लांघते हुए विदेशों तक में अनेक जगहों पर बोली और समझी जाने लगी हो। अपनी हिन्दी भाषा के प्रति कुछ लोगों की हताशा और निराशाओं को दरकिनार करते हुए मैं आज यह यहां बताना चाहूंगी कि अब हिन्दी को लेकर इतना चिंतित या परेशान होने की वास्तव में कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ज़माना बदल रहा है । हिन्दी को अब वहां भी पूरे मन से स्वीकारा जा रहा है, जहां कल तक उसके विरोध में स्वर फूटते थे। आज हिन्दी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भारतीय की रगों में दौड़ रही है। इतना ही नहीं हिन्दी तो आज सरहद की दीवारें लांघते हुए अनेक अन्य देशों में भी अपनी घुसपैठ बनाती चल रही है।

ऐसे में जो लोग इसे प्रायः लुप्त होने वाली भाषा मान लेते हैं, निश्चय ही उन्हें भी यह जान लेना चाहिये कि यह कोई लुप्त होने वाली भाषा नहीं है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में आज हिन्दी का बोलबाला है। हमारे गांव व कस्बों में प्रायः सभी लोग अच्छी हिन्दी लिख, बोल और समझ लेते हैं। शहरों में भी कुछ अंग्रेजी–दो मानसिकता वाले लोगों को छोड़ दें तो अधिकांश लोगों को इतनी हिन्दी तो आती ही है कि वे अपना काम भली प्रकार से चला सकें। जो लोग अंगरेजी–दां हैं उन्हें भी ऐसा तो कदापि ही नहीं कहा जा सकता कि हिन्दी उनके लिये अछूत है या हिन्दी उनके लिये काला अक्षर भैंस बराबर है।

कहना न होगा कि अपने देश में फिल्म जगत तथा टीवी चैनलों ने हिन्दी को काफी कुछ बढ़ावा दिया है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में हिन्दी फिल्में व हिन्दी चैनल दिखाए जा रहे हैं। समाचारों के अलावा विभिन्न हिन्दी कार्यक्रमों को काफी हद तक पसन्द किया जा रहा है।

देश–विदेश में दिन–प्रतिदिन हिन्दी भाषा के दर्शकों में बढ़ोत्तरी हो रही है। यह स्थिति केवल भारत की ही नहीं है, विभिन्न बाहरी मुल्कों में भी हिन्दी चैनलों व हिन्दी फिल्मों को काफी कुछ देखा और पसन्द किया जा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो कल तक हिन्दी को हेय दृष्टि से देखते थे या हिन्दी के नाम पर अक्सर कोहराम मचा देते थे ।

जैसा कि आंकड़े बताते हैं, विश्व में 80 करोड़ के करीब लोग हिन्दी बोलते व समझते हैं। विश्व में 91 विश्वविद्यालयों में हिन्दी चेयर की स्थापना की गई

है, जो कि हिन्दी के प्रचार–प्रसार में संलग्न हैं। अकेले भारत में ही हिन्दी भाषी राज्यों की आबादी 46 करोड़ से अधिक है।

अनेक देशों में आज हिन्दी का प्रचार–प्रसार जोरों पर है। विदेशों में हिन्दी भाषा के अनेक कार्यक्रम और सम्मेलन आये दिन होते रहते हैं। इस प्रकार हिन्दी भाषा ने विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। अनेक विदेशी तो हमारे देश में हिन्दी का प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए भी स्कूल व कालेज में दाखिला लेते हैं। विश्व हिन्दी सम्मेलनों में विदेशी नागरिकों की भारी संख्या में भागीदारी हिन्दी की लोकप्रियता में चार चांद लगाती दिखलाई पड़ती है।

यह भी आश्चर्यजनक है कि भारत के कट्टर विरोधी कहे जाने वाले देश पाकिस्तान में भी हिन्दी भाषा खूब बोली जाती है। यद्यपि पाकिस्तान की भाषा उर्दू है। उर्दू हमारे भारत देश की भी भाषा है। हिन्दी और उर्दू का व्याकरण एक ही है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी हिन्दी बोलने और समझने वालों की संख्या 90 प्रतिशत के करीब है। नेपाली और हिन्दी दोनों लिपियां देवनागरी में ही है। नेपाल में आज भी माध्यमिक स्तर पर हिन्दी का एक ऐच्छिक विषय के रूप में अध्ययन कराया जाता है।

श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है जबकि वहां भी उच्चतम पाठशाला में हिन्दी एक विषय के रूप में सम्मिलित की गई है। इसी प्रकार से कलोणिय विश्वविद्यालय में हिन्दी भाषा–साहित्य व संस्कृति के अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था की गई है।

दिवेही भाषा भारोपीय परिवार की एक भाषा है यह भारत के द्वीप मिनिकोय में खूब बोली जाती है इसे यहां 'महल' भी कहा जाता है। इसकी संख्याएं हिन्दी से बहुत मेल खाती हैं। मालदीव की भाषा और हिन्दी में भी अदभुत समानता देखी जा सकती है।

बांग्लादेश में भी 'बांग्ला' बोली जाती है, साथ ही वहां भी बांग्ला के अलावा कई हिस्सों में हिन्दी भाषा बोली और समझी जाती है।

संयुक्त अरब में तो भारतीयों की बड़ी आवाजाही के चलते ज्यादातर हिन्दी ही बोली और समझी जाती है।

म्यांमार ब्रिटिश भारत का एक अभिन्न अंग रहा था इसीलिए यहां हिन्दी का उपयोग पहले से ही हो रहा है। और आज भी खूब है।

सूरीनाम की भाषा प्रथम स्थान पर डच है, जबकि तीसरे स्थान पर यहां हिन्दी बोली जाती है।

भूटान की भाषा पाली, संस्कृत व नेपाली का मिश्रण है। वहां के भी अनेक स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। वहां बौद्ध मतावलंबियों की संख्या अधिक है इसलिए वहां हिन्दी का बोलबाला स्वाभाविक है।

मारीशस में भोजपुरी एक भाषा के रूप में दूसरे स्थान पर बोली जाती है। समस्त मारीशस में फ्रेंच की बिगड़ी बोली क्रियोल बोली जाती है। वहां पर भोजपुरी भाषा बोलने वाली 50 प्रतिशत आबादी हिन्दी की पक्षधर है।

जापान में रेडियो पर हिन्दी के कार्यक्रमों का प्रतिदिन प्रसारण होता है और वहां विश्वविद्यालयों में हिन्दी की शिक्षा भी दी जाती है।

हांगकांग में लगभग 90 फीसदी लोग हिन्दी समझते हैं। वहां बाजार में हिन्दी बोलकर आसानी से काम चल जाता है।

थाइलैंड में एक लाख लोग हिन्दी जानते हैं। इनमें से अधिकतर लोग दूसरे विश्व युद्ध के समय थाइलैंड में जा बसे थे।

इस प्रकार यह सुखद संयोग ही है कि अपने देश के अलावा विभिन्न देशों में भी हिन्दी भाषा धड़ल्ले से बोली, समझी और प्रयोग में लायी जा रही है।

हजारों लाखों विदेशी लोग हिन्दी भाषा को अपनी शिक्षा का माध्यम बना रहे हैं और इसके सहारे अपनी जीविका भी चला रहे हैं अतः जिस भाषा के प्रति दुनिया का इतना मोह हो ओर जिसे वैज्ञानिक, सरल, सहज व लिखने–बोलने में समान तथा अनूठी भाषा का दर्जा देते हैं। जिसके प्रति दुनिया भर का मोह दिखाई पड़ता है उसके प्रति हमारी उदासीनता या निराशा का भाव एकदम भी उचित नहीं। हां, अपनी इस महान भाषा के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाने के साथ ही हमें इस पर बेशक गर्व होना चाहिए।

–सैक्टर 4/321, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110022
मो. : 8800518246

'बारे में' के बारे में

– ओम प्रकाश 'मंजुल'

ईश्वर की अभिव्यक्ति तो बिना भाषा के असंभव है ही, भाषाएं स्वयं में भी ईश्वर की अचरज पूर्ण अभिव्यक्ति हैं। भाषाएं दैवीय हैं या मानवकृत, यह भी आज तक अजूबा बना हुआ है। ''अण्डा पहले आया या मुर्गी'' की ही भांति ''आदमी पहले आया या बोली'' वाला प्रश्न भी आज तक अनुत्तरित बना हुआ है। 'हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता' की ही भांति बोली–भाषा की कथाएं भी अनन्त हैं। 'कोस–कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी' वाले भारत में तो इनकी कथाएं अनन्त से भी अधिक हैं। जैसे कुदरत के खेल निराले होते हैं, वैसे ही बोली–भाषा के खेल निराले होते हैं। किसी भी बोली या भाषा के किसी शब्द विशेष की विचिकित्सा एवं विश्लेषण में बुद्धि भी प्रखर बनती है और अनिर्वचनीय आनन्द की भी प्राप्ति होती है।

क्योंकि भाषाएं दैवीय चमत्कार हैं, अतः इनको सादर नमस्कार करना चाहिए। हमें भांति–भांति का ज्ञान प्रदान करने वाली सभी प्रकार की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, भले ही वह हमारे शत्रु पक्ष की ही भाषा क्यों न हो। जैसा कि पूर्व में कहा ही जा चुका है कि भाषाओं का संबंध दैवीयता से है। इस कारण हर भाषा के ही शब्दों में विलक्षणता पाई जाती है। हम हिन्दी के 'राम' शब्द को ही लें। 'र' और 'म' मात्र दो अक्षरों से बनने वाले 'राम' शब्द का उपयोग ईश्वर के नाम 'राम' के रूप में हो, संबोधन–अभिवादन के अर्थ में 'राम–राम' के रूप में हो, संसार की नश्वरता–सूचक अंतिम उद्‌बोधन स्वरूप – 'राम–नाम सत्य है', नामक उद्‌घोष के रूप में हो, 'रमता जोगी' कहावत में हो अथवा 'रमा' के रूप में हो, हर रूप में रम्य है। इस शब्द की रम्यता–कम्यता की तुलना किसी भी भाषा के समान ध्वनि–सूचक शब्द से नहीं की जा सकती। इसी प्रकार अन्य भाषाओं में अनेक ऐसे शब्द हो सकते हैं, जिनकी विलक्षणताएं दूसरी भाषाओं के उसी ध्वनिसाम्म के शब्दों में नहीं खोजी जा सकतीं। उदाहरण के लिए उर्दू के

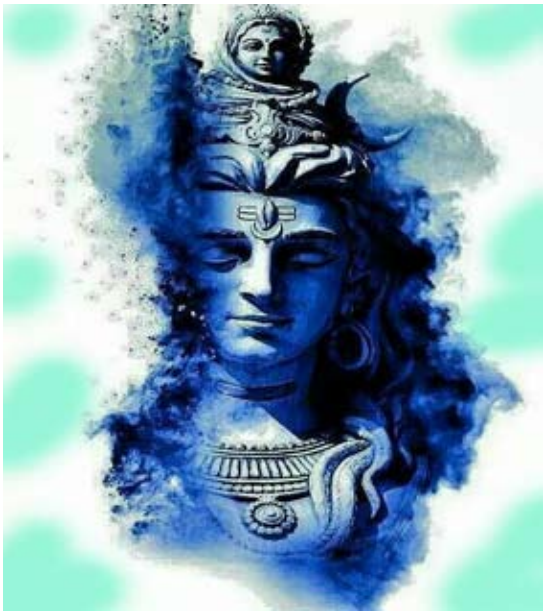

शब्द 'चाहिए' को देखना चाहिए। 'चाहिए' शब्द 'चाह', जिसे हिन्दी में 'इच्छा' 'आकांक्षा' या 'आवश्यकता' और अंगरेजी में 'वांट' या 'नीड' कह सकते हैं, से बना है। जब हम कहते हैं, कि 'आपको कार्यक्रम में जाना चाहिए', तो इसका भावार्थ यह होता है कि उस कार्यक्रम में लोग चाहते हैं कि आप की उपस्थिति हो। वहाँ आपका पहुँचना लोगों की 'चाहत' है। कार्यक्रम में जब तक आप पहुँचेंगे नहीं, 'कमी' बनी रहेगी तथा कार्यक्रम में या कार्यक्रम को आपकी 'जरूरत' है, इत्यादि। 'चाहिए' के आकर्षण के कारण ही इसे हिन्दी वाले भी अपना कंठहार बनाये हुए हैं। यह हिन्दी में इतना घुल–मिल गया है कि इस अकेले शब्द को हिन्दी से निकाल दीजिए, तो उसका संपूर्ण कार्य–निष्पादन अपूर्णनीय क्षति तक बाधित हो जाएगा। इसी प्रकार उर्दू का शब्द 'हालाँकि' है। इसे हिन्दी में 'यद्यपि' तथा अंगरेजी में 'आलदो' कहते हैं, पर जितनी आनन्ददायक विलक्षणता 'हालाँकि' में है उतना अन्य किसी में नहीं। हालाँकि 'आलदो' की तुलना में 'यद्यपि' (यद़िअपि) भी अधिक विलक्षण है। 'हालाँकि' में समाहित भावगत विलक्षणता

को देखिए–यह शब्द एक अक्षर वाले, 'हा', 'लाँ' तथा 'कि' शब्दों से बना है। इन तीनों ही एकाक्षर शब्दों के भिन्न–भिन्न विलक्षण अर्थ हैं–'हा' सकारात्मकता तथा 'लाँ' नकारात्मकता सूचक है (उर्दू में 'न' के लिए 'ला' शब्द आता है – 'लामकां', 'लापता' इत्यादि) और 'कि' शब्द से बात शुरू की जाती है। वार्तालाप में 'हालाँकि' शब्द का प्रयोग (भी) उस विचित्र स्थिति में किया जाता है, जब बात कही जाने की जरूरत होती है, पर कहते हुए ही नहीं बनती और अंततः 'कि' से शुरू ही करनी पड़ती है। ऐसा ही वर्ण्य–शब्द 'बारे में' है।

'बारे में' के बारे में सर्वाधिक विचित्र बात यह है कि लोग इसका प्रयोग तो युगों से करते आ रहे हैं, पर यह आज भी नहीं जानते कि यह है किस भाषा का ? 'बारे में' के बारे में आगे और कुछ लिखने से पूर्व मैं यह बताना अपना पुनीत कर्तव्य मानता हूं कि 'बारे में' के बारे में कुछ लिखने की प्रेरणा मुझे एक पी.–एच.डी. महोदय से प्राप्त हुई थी। मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूं। सन 1996 में मेरे क्षेत्र में एक विशाल एवं भव्य सांस्कृतिक आयोजन हुआ था। इसमें प्रयुक्त एक बैनर में पी.–एच. डी. महोदय ने इस प्रकार अपील लिखवाई थी, 'पीली. भीत वालों! यह महोदय न केवल पी.–एच.डी. थे, अपितु 'राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त' भी थे। मेरे मस्तिष्क में यह तथ्य उसी समय आ गया था कि 'बारे' शब्द हवाले' का ही सूक्ष्म रूपान्तर है। यदि कहीं 'बारे में' शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसका स्पष्ट संकेत है कि वहाँ उल्लेख या वर्णन से संबंध रखने वाले पदार्थ या प्राणी हैं। आपको याद होगा कि लगभग 50 वर्ष पूर्व 'वाले' को 'बारे' ही कहा जाता था। मसलन दिल्ली वाले के लिए 'दिल्ली बारे' और पीलीभीत वाले के लिए 'पीरीभीत (पीलीभीत) बारे' कहा जाता था। इस प्रकार भाषायी यात्रा में कल का 'बारे' ही 'वाले' बनता हुआ आज के 'बारे में' के रूप में विकलिस हुआ है। 'बारे' का परिष्कृत रूप माना जाने वाला 'वाले' शब्द का उत्तराखंड में इतना अधिक बोलबाला है कि वहाँ के अधिकांश गाँवों और कस्बों के साथ ही 'वाला' शब्द जुड़ गया है, जैसे 'राम वाला', 'डोई वाला', 'भोपाल वाला', 'गुमानी वाला' इत्यादि।

एक क्षेत्र में प्रचलित बोलियां एवं भाषाएं आपस में एक दूसरे को भी प्रभावित करती रहती हैं। अंगरेजी के अनेक ऐसे शब्द हैं, जो उच्चारण में हिन्दी के शब्दों से साम्य रखने के कारण हिन्दी से बने हुए प्रतीत होते हैं, उदाहरण के लिए सेंट (संत), 'अंडर' (अंदर), 'ओवर' (ऊपर) 'एंटरिम' (अंतरिम), 'स्वादी' (स्वार्थी), 'अर्ज' आदि। यहां हम हिन्दी, उर्दू और अंगरेजी, मात्र तीन भाषाओं के मात्र तीन शब्दों 'मातृ' (हिन्दी) 'मादर' (उर्दू) 'मदर' (अंगरेजी), 'पितृ' (हिन्दी) 'पिदर' (उर्दू) 'फादर' (अंगरेजी) तथा 'पदपथ' (हिन्दी) 'पगडंडी' (उर्दू) व 'फुटपाथ' (अंगरेजी) की ही ध्वनि साम्यता को ले रहे हैं। इन तीनों ही भाषाओं के इन तीनों शब्दों में मामूली से हेर–फेर के साथ कितनी अधिक ध्वनि–साम्यता है। यही 'बारे' से 'बाले' और 'वाले' से पुनः 'बारे में' के निर्माण के बारे में हुआ।

अस्तु 'बारे में' शब्द 'वाले में' का ही रूढ़ प्रयोग है। अनेक शब्द क्षेत्र विशेष की भाषाई विकास की परिस्थितिवश उच्चारण की नाम मात्रेण अशुद्धता से अपने अशुद्ध रूप में इतने सशक्त हो जाते हैं, कि उनका मूल रूप ही मिट जाता है। उदाहरण के लिए–'तारकोल', 'डैमरेज' तथा 'सरवन' (सरौन) जैसे रूढ़ शब्द समाज में इतने आरूढ़ हो चुके हैं कि उनसे मौलिक शब्दों–'कोलतार', 'डैमेज' तथा 'श्रवण' (श्रवण कुमार) को अपना अस्तित्व बचाना ही कठिन हो रहा है। 'बारे में' का रूढ़गत प्रयोग भी 'वाले' पर सशक्त रूप से आरूढ़ हो चुका है।

अलबत्ता 'बारे में' के बारे में यह कहना अब भी अवशेष एवं आवश्यक है कि कबीर की भांति कहीं पैदा हुआ हो और कहीं पला हो। पर, हिन्दी और उर्दू वाले दोनों ही इसके हितू, हितैषी, हिमायती एवं मुरीद हैं तथा यह दोनों के लिए समान भाव से सहायक एवं मददगार रहा है। संभव है, 'बारे' ब्रजभाषा का शब्द हो 'बरसाने बारी', 'बांसुरी बारों' आदि शब्द आज भी लोकप्रियता के साथ प्रचलित हैं। दूसरे आज की खड़ी बोली ब्रजभाषा आदि के शब्दों को लेकर ही विकसित एवं समृद्ध हुई हैं। तथापि 'बारे में' के बारे में बताने को बहुत कुछ बचा है।

–पूरनपुर–262122 (पीलीभीत) उ.प्र. मो. : 9457822961

कहानी :

सुनैना

–सुमन शर्मा

आज का पूरा दिन चाँदनी चौक में व्यतीत किया, हाँ तुम्हारी ही खातिर गई थी।

इस आशा के साथ गई थी कि तुम वहाँ ज़रूर आओगी।

अंगरेजी हिसाब से अक्टूबर और हिंदी के कैलेंडर में आश्विन कृष्णपक्ष, जो चल रहा है, अर्थात पितृ पक्ष चल रहा है।

सुना है, इस धरती से हमेशा–हमेशा के लिए विदा लेने वाली सभी देह, आत्मा के रूप इस पखवाड़े में धरती पर आती हैं।

यदि ईश्वर ने यह अवसर तुम्हें प्रदान किया, तो तुम चांदनी चौक में जरूर आओगी।

मैं जानती हूँ, इस ब्रह्मांड में कहीं भी तुम चली जाओ। कितना भी आकर्षक स्वर्ग तुम्हें क्यूँ न मिल जाए, लेकिन कहीं भी जाकर तुम, चांदनी चौक को नहीं भूल सकती।

यहीं तो तुम्हारे प्राण बसा करते थे। यहाँ की हवेली छोड़कर भले ही तुम नोएडा में जाकर बस गई थी, लेकिन हर दूसरे दिन, तुम चांदनी चौक आने का कोई न कोई बहाना ढूंढ़ ही लेती थी। यही सोचकर तुम्हारी तिथि पर आज यहाँ चली आई। पूरा दो दिन यहीं बिताया, लेकिन तुम नहीं आईं। बस तुम्हारी बेबस यादें ही आकर कभी रुलाती और कभी दुलारती रहीं।

तुमने शायद एक दिन मज़ाक में कहा था, 'मैं मर भी गई तो, चांदनी चौक की फ्रूट चाट, खाने ज़रूर आऊँगी।' तुम्हारे चले जाने के बाद, ये शब्द, तुम्हारे मुंह से निकली अमृत वाणी लग रहे हैं ।

बार–बार लग रहा था, तुम पीछे से आकर कंधे को थप–थपाओगी। तुम्हारी उसी पुरानी खिलखिलाहट के साथ हम, बातों के सैलाब में डूब जाएंगे।

फिर सोचा इतने दिन बाद मिलेंगे पता नहीं कुछ बोल भी पाऊँगी या नहीं। सोच रही थी, न जाने कैसे लिबास में आओगी, किस आकर में दिखोगी, क्या पहले वाला रूप रंग होगा तुम्हारा या कुछ बदली–बदली नजर आओगी। जाने कैसा होगा उस जहाँ का पहनावा, कहीं तुम्हें, लोग एलियन न समझ लें और तुम्हारा और हमारा यहाँ मिलना तमाशा न बन जाए।

न जाने क्यों इतना कठोर विश्वास था कि तुम आओगी, इसी विश्वास से, मैंने तुम्हारी पसंद का फ्रूट चाट का पत्ता भी खरीद लिया था, दो बजे तक तो

उसकी सारी चाट बिक जाती है। सोचा तुम्हारे आने तक चाट न बची तो ?

तुम्हारी पसंद का ज्यादा मसाले वाला फ्रूट चाट का पत्ता, जिसे हाथ में पकड़े–पकड़े मैंने लाजपतराय मार्किट से खारी बावली तक न जाने कितने फेरे लगाए। हर बार इस आशा से कदम बढ़ते रहे, तुम कहीं न कहीं मिल ही जाओगी। बाज़ार में भीड़ बढ़ती रही और मेरे मन में सन्नाटा गहराता रहा।

फ्रूटचाट के फलों का पानी रिसता रहा और आखिर छूट गया हाथ से, फ्रूट चाट का पत्ता। आते–जाते साइकिल रिक्शा और ठेलों के पहियों से चूर–चूर हो गए सारे फल। बिखर गया चाट का मसाला यहाँ–वहाँ।

कुछ देर बाद वहाँ झाड़ू फेरने वाला भी आ गया, उसने मेरी ओर ऐसे देखा, जैसे कह रहा हो, 'अनपढ़–गँवार चाट का पत्ता भी पकड़ना नहीं आता।' सचमुच मेरा गला रुंध गया। तुम साथ होती थीं, तो मुझे किसी के कहने, देखने का कोई असर नहीं पड़ता था।

मन हो रहा था तुम्हें चिल्ला–चिल्ला कर आवाज़ दूं। आसमान का सीना चीर कर खींच लूँ तुम्हें। तुम्हारे ऊपर क्रोध भी आ रहा था, कि तुम्हें मेरी इस बेबस हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ जाती तुम।

जलेबी वाले की गर्मागर्म जलेबियों की मीठी सुगंध मेरी भूख बढ़ा रही थी।

सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम अँधेरी रात में बदल गई। बाजार की रौनक दम तोड़ने लगी। एक–एक करके दुकानों के शटर गिरने लगे। फुटपाथ गरीबों के आशियाने में तब्दील हो गए। चलती–फिरती गलियां, मकानों के भीतर कैद हो गईं। यहाँ–वहाँ कोने में दुबककर भिखारी अपना, दिनभर का जुटाया पैसा गिन रहे थे।

भला हो उस रिक्शेवाले का जिसने मुझे चिल्लाकर कहा, 'आखिरी मेट्रो का टाइम है, मेट्रो स्टेशन चलना है क्या ?' और मैं स्वयं को घर वापिस आने के लिए मना पाई।

मैं बुझे मन से घर लौट आई। मम्मी–पापा परेशान घर के बाहर खड़े थे। मेरे पहुँचते ही मम्मी ने कहा, ''कहाँ रह गईं थी, ऋचा, फोन भी नहीं उठा रही थीं। ''पापा का तो गुस्से से मुंह लाल हो गया था। मैंने हडबड़ा कर, पर्स से फोन निकाला, उफ्फ दो सौ आठ मिस्ड कॉल थीं। मम्मी ने फिर पूछा, ''कहाँ गई थीं ?'' मैंने कहा, 'सुनैना से मिलने।' मम्मी के माथे पर त्योरियां चढ़ गई। मम्मी ने कहा, 'सुनैना तो दो साल पहले....।' मैंने बीच में ही बात काटते हुए कहा, 'तो क्या हुआ, क्या मरने वाले इस महीने पृथ्वी पर विचरण नहीं करते ?' मम्मी ने पापा से कहा, 'हमारी ऋचा, पागल हो गई है, कल मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना।'

मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शीशे में अपना चेहरा देख रही थी, क्या मैं सचमुच पागल हो गईं हूँ। क्या सचमुच मेरी परमप्रिय मित्र की मृत्यु ने मेरे मानसिक संतुलन को हिला दिया है। दो साल से मैं स्वयं को, किसी कार्य से नहीं जोड़ पा रहीं हूँ। लेकिन यह मेरा पागलपन है, क्या, जो मैंने आज सुनैना की प्रतीक्षा की। क्या इस महीने में सब घरों में पंडितों को यह समझ कर भोजन नहीं कराया जाता है कि यह भोजन पितरों को प्राप्त होगा। यानी इस महीने, इस लोक और उस परलोक का कोई गुप्त मार्ग अवश्य खुलता होगा।

बरसों से चली आ रही इस परम्परा को, मैंने दिल से स्वीकार कर लिया तो, मै अपनों की ही दृष्टि मैं पागल घोषित हो गई।

हमारे वेद, पुराणों में ही तो लिखा है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा शरीर से पृथक होकर भी इस ब्रह्मांड में उपस्थित रहती है।

अरे ! मैं तो भूल ही गई मैंने सुनैना के लिए जलेबी का दोना भी तो खरीदा था, सारा रस बैग में टपक गया होगा।

''ऋचा, ऋचा !'' मम्मी जोर–जोर से चिल्ला रही थीं।

मैं मम्मी के पास ड्राइंग रूम में गई, मम्मी थर्र–थर्र कांप रही थीं, उनके होंठ नीले पड़ गए थे वह बड़ी मुश्किल से कह पाई कि एक साया तेरे बैग में कुछ टटोल रहा था।

अब सबका भयभीत होना स्वभाविक था। मैंने

कांपते हाथों से बैग को देखा, तो जलेबी का दोना गायब था। मैंने पापा से कहा, ''तो वह सुनैना ही थी।'' मैं चीख रही थी।

पापा ने कहा, 'भला मर कर भी कोई वापिस आता है ? इस पगली को कोई समझाता क्यों नहीं ? सुनैना से मिलना संभव नहीं ? पापा जोर से चिल्ल्ला रहे थे, ''असंभव।''

मैंने मम्मी की ओर देखा मम्मी ने भी पापा की बात का समर्थन करते हुए कहा, ''तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। इस दुनिया से जाने वाला कभी वापिस नहीं आया।''

पापा ने फिर से कहना शुरू किया, ''शरीर एक मशीन की तरह है। मशीन खराब तो बस सब कबाड़ है। जब शरीर ही नष्ट हो गया तो वो कहाँ से वापिस आएगा। सुनैना तो मर चुकी है और कोई मर कर कैसे वापिस आ सकता है।''

मैं जोर–जोर से रो रही थी। ''क्या फिर यह सब झूठ है, पंडितों को मृत व्यक्ति की पसंद का भोजन कराना और यह आशा रखना की यह भोजन उस मृत व्यक्ति तक पहुँच जायेगा।''

पापा गुस्से से लाल पीला हो रहे थे, 'जलेबी का दोना लेकर रखा, तुमने सुनैना के लिए, वाह! क्या अक्ल पाई है ऋचा तुमने। चांदनीचौक में मरी हुई सहेली का इंतजार किया जा रहा था, वह स्वर्ग से उतरेगी और दोनों हाथों में हाथ डाल लालकिला घूमने जाएंगी।'

पापा बोलते ही जा रहे थे, ''क्या फायदा हुआ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का ? भूतों का इंतजार किया जा रहा है। अरे भूत का मतलब है पास्ट, यानी जो बीत गया। जब बीता हुआ समय ही वापिस नहीं आ सकता तो कालग्रस्त व्यक्ति कैसे वापिस आ सकता है।''

मैं अभी भी रो रही थी, क्या सुनैना से मिलना संभव नहीं ? पापा जोर से चिल्ल्ला रहे थे 'असंभव'।

पापा ने फिर से कहना शुरू किया, 'शरीर एक मशीन की तरह है। मशीन खराब तो बस सब कबाड़ है। जब शरीर ही नष्ट हो गया तो वो कहाँ से वापिस आएगा।'

तभी बड़े भाईसाहब तालियां बजाते हुए कमरे में प्रवेश करते हैं और बोलना शुरू करते हैं, 'वाह ऋचा को क्या सही बात समझाई है आप दोनों ने। लेकिन कभी इस बात पर आप लोगो ने स्वयं अमल नहीं किया। दादा और दादी की बुढ़ापे में कितनी दुर्गति हुई, तब कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि इस लोक को छोड़ने के बाद, वे कभी वापिस नहीं आएंगे। ये कुछ दिन के मेहमान हैं, थोड़ा समय इनके लिए भी निकाल लें। दो प्यार भरे शब्द इनके साथ भी बोल लें। इनकी पसंद का कुछ बना दें, कुछ इनके लिए बाजार से मंगवा दे। तब तो दोनों आपको सर का बोझ लगते थे। अब उनके संसार से विदा लेने के बाद आप क्यों झूठा आडम्बर करते हैं। क्यों उनकी पुण्यतिथि पर पंडितों के लिए पकवान बनाये जाते हैं। गहने कपड़े दान किये जाते हैं। अब क्या लाभ मिलेगा उनको इन सबका ?'भाई साहब की आवाज भरभरा गई थी और आँखे नम हो चुकी थीं।

पापा–मम्मी स्वयं को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे।

भाई साहब मेरी आँखों के आंसू पोंछते हुए बोले, 'बहना वो काले लिबास में कोई साया नहीं मैं ही था। सुनैना कभी अपनी पसंद की जलेबियाँ खाने के लिए वापिस नहीं आएगी। तुम्हें यहीं इस धरती पर कहीं न कहीं कोई दूसरी सुनैना मिल जायेगी, बस अपना देखने का नज़रिया बदल लो।'

'हमारी सोसाइटी में कितने बुजुर्ग हैं जिनको देखने, सुनने वाला कोई नहीं। दादा–दादी की पुण्य तिथि पर पंडितों को पकवान खिलाने की बजाय उन बुजर्गों के लिए कुछ करके देखो अपने दादी–दादा यहीं वापस मिल जायेंगे।'

पापा, भाई साहब की पीठ पर हाथ थपथपाते हुए बोले, 'बेटा तूने हमारी आँखे खोल दीं। जो अपने माता–पिता के लिए नहीं कर सका, इन बुजुर्गों के लिए अवश्य करूँगा।

मम्मी ने कहा इस बार दादी की पुण्य तिथि पर पंडितों को नहीं पीड़ितों को खाना दूंगी।

–बी–2/184, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063
मो.: 9810485427

लेख :

भाषा और राष्ट्र निर्माण

–सुमन द्विवेदी

"भाषा" किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता एवं राष्ट्रीय एकता की परिचालक होती है। भारत ही नही वरन् विश्व के सभी राष्ट्रों की अपनी अलग–अलग भाषायें हैं, जिनके आधार पर प्रत्येक देश अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने के साथ ही अपने विभिन्न दैनिक काम काज निपटाता है। विश्व में भारत संभवतः एक ऐसा एकलौता और अनोखा देश है जहाँ अनेक जाति और धर्मों के साथ ही सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ हैं, यही वजह है कि इसे विविधता में अनेकता का देश कहा जाता है।

किसी भी राष्ट्र के लिए भाषा अभिव्यक्ति का साधन भी है, और माध्यम भी। साथ ही सभी को एक दूसरे के साथ जोड़े रखकर यह राष्ट्र के उन्नयन में सहभागी भी है। भाषा ही करुणा, प्रेम, दया, भक्ति आदि मानवीय गुणों की वाहक भी होती है। एक ही भाषा बोलने वालों के बीच परस्पर सद्भावना और सहानुभूति स्वभावतः उत्पन्न हो जाती है। यह मानवीय एकता के विकास में सहायक सिद्ध होती है। हर जन समुदाय की अपनी पहचान उसकी अपनी भाषा ही तो है। भाषा ही वह शक्ति होती है जो प्रत्येक देश की सभ्यता और संस्कृति को परस्पर जोड़ती है। भाषा बदलते ही संस्कृति बदल जाती है, और संस्कृति बदलते ही इतिहास बदल जाता है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जिसको न निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नही है पशु निरा और मृतक समान है।

निश्चय ही किसी राष्ट्र के निर्माण में उसकी भाषा का विशेष योगदान होता है। उस राष्ट्र की अखण्डता, उसकी संप्रभुता, राष्ट्र की भाषा से ही तय होती है। भाषा तो राष्ट्र में सेतु का काम करती है। राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता तथा समस्त देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा, एक लिपि, एक साहित्य एवं एक आदर्श ज्ञान का होना परम् आवश्यक है। प्रत्येक भाषा अपने समाज संस्कृति का अंग होती है जो सीखे हुए व्यवहार का ही रूप होती है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति भाषा की मूल प्रकृति को लेकर जन्म नहीं लेता है और न ही कोई मूल प्रकृति ही होती है। प्रत्येक को तो भाषा सीखनी ही होती है। भाषा और संस्कृति का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। भाषा ही मनुष्य की समूची सांस्कृतिक आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होती है। यह कहना गलत न होगा कि प्रत्येक राष्ट्र की भाषा सम्पूर्ण संस्कृति को अपने आप में छिपाये एवं सुरक्षित रखती है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र के रहस्य को जानना समझना हो तो उस राष्ट्र की भाषा को सीखो। भाषा के माध्यम से विभिन्न समाजों के बीच केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता अपितु विभिन्न उपलब्धियों तथा अविष्कारों का भी प्रसार संभव होता है। इससे सामाजिक तथा सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी सरल हो जाती है। भाषा के माध्यम से ही मानवीय विचारों ने अतिरिक्त मौलिक परम्परा का रूप धारण कर स्थायित्व पाया है। भाषा के आधार पर ही सभी जनों पर सभी सांस्कृतिक तत्व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। अतः भाषा को राष्ट्र की संस्कृति का वाहक कहने में कहीं कोई अतिश्योक्ति नहीं। व्यक्ति अपनी सृजन क्षमता, कार्य कुशलता आदि का नवनिर्माण भी भाषा के द्वारा ही करता है।

भाषा वस्तुतः विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होने के साथ–साथ स्वयं एक विचार भी होती है। विचार रूप में भाषा एक कारण भी है और कार्य भी है, यह एक प्रवाह भी है और बांध भी। अतः अंत में यह कहा जा सकता है कि भाषा से भी हमारे अथवा किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि भाषा की सहायता से ही मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी के रूप में तेजी से अपने अस्तित्व का निर्माण कर रहा है और यह बात भी शत–प्रतिशत सही है ही कि अस्तित्व के निर्माण से ही स्वस्थ समाज का भी निर्माण होता है। और अंततः एक जागृत करने वाले समाज से राष्ट्र बनता है।

–ए ब्लॉक/73, फ्लैट संख्या–1 (प्रथम तल), पर्यावरण कॉम्प्लेक्स, इग्नू रोड, दिल्ली–110030 मो: 9999513602

दोहे

बेटी है इक्कीस

–डॉ. रामनिवास 'मानव'

बेटा है यदि बीस तो, बेटी है इक्कीस।
कर पाता बेटा भला, कब बेटी की रीस।।

बेटी से रोशन रहें, दोनों घर–ससुराल।
दुनिया लगती है सदा, बेटी से खुशहाल।।

रहें थिरकती बेटियां, रोशन हो घर–बार।
ज्यों करती हैं तितलियां, उपवन को गुलज़ार।।

बेटी चढ़ी पहाड़ पर, नापा है आकाश।
बेटी अनुकृति बात की, मां का है विश्वास।।

अगर बचानी बेटियां, करें आज संकल्प।
बेटी का जग में नहीं, कोई और विकल्प।।

–706, सैक्टर–13, हिसार–125005 (हरियाणा)
मो. : 8053545632

ग़ज़ल

(1)

मुझमें आप बसें तो जानूं
मेरा दर्द सहें तो जानूं
जिन रिश्तों के नाम नहीं हैं
उनको आप जियें तो जानूं
मेरा हिस्सा उनमें जो है
मेरे नाम करें तो जानूं
मुझको उनके नाम से क्या है
वे कुछ नाम करें तो जानूं
ऊला मिसरा हूं, आमद का
सानी आप रहें तो जानूं

–विज्ञान व्रत
एन–138, सैक्टर–25, नोएडा–201301 (उ.प्र.)
मो. : 9810224571

(2)

थोड़ा उजाला मोलो
मैला आंचल धोलो

बाणी तेज–कटारी
सोच–समझ के बोलो

शबनम के पल्लू से
पत्थर कारे तोलो

सुख ही सुख पावोगे
औरों के दुःख मोलो

रो सकते रो लो तुम
अच्छा मानुस हो लो

खुद के आगे 'साहिल'
अंतरपट तो खोलो

–प्रवीन चौहान 'साहिल'
–'नीसा'–3/15, दयानंद नगर, राजकोट–360002 (गुजरात)
मो. : 9428790069

मतवाला किसान

–विनोद भटनागर "अलवेला"

तुम किसान हो, देश धरा के।
जीवन है, मतवाला।।
जल, जंगल और ज़मीं तुम्हारी।
करते, काम निराला।।
तुम न होते, जग ना होता।
देता कौन, निवाला।।
तेरी खेती की धरती पर।
कभी न लगता ताला।।
कभी गर्म है, कभी सर्द है।
कभी पड़ जाता है पाला।।
खेत में रहना, खेत में सोना।
कितना, हिम्मत वाला।।
ऐसी हिम्मत, वो ही देता।
जिसने दिया, उजाला।।
उसी ने तुमको बना दिया है।
खेतों का, रखवाला।।
तुम किसान हो, देश धरा के।
जीवन है, मतवाला।।
जल, जंगल और ज़मीं तुम्हारी।
करते, काम निराला।।

–साइंस कॉलेज के पीछे, शांति नगर, शिवपुरी (म.प्र.)
मो. : 8349226196

कहना अच्छा है

–धीरज श्रीवास्तव

कभी कभी पाषाणों से भी कहना अच्छा है !
मगर हमेशा नहीं प्रिये चुप रहना अच्छा है !
ठौर मिले जो कहीं न तुमको मन हो दुनिया से हारा !
और गया हो भले छोड़कर कोई अपना ही प्यारा !
पीर भुलाकर झरनों जैसा बहना अच्छा है !
कभी–कभी पाषाणों से भी कहना अच्छा है !
दुख आता है तो आने दो बढ़कर अंगीकार करो !
उठकर बैठो लड़ो भाग्य से श्रेष्ठ कर्म स्वीकार करो !
कब जीवन के युद्ध क्षेत्र में सहना अच्छा है ?
कभी–कभी पाषाणों से भी कहना अच्छा है !
निर्धारित है पहले से ही तेज आँधियों का आना !
जलते रहना किन्तु दीप बन नहीं हारकर बुझ जाना !
तूफानों के आगे कब यूँ ढहना अच्छा है ?
कभी–कभी पाषाणों से भी कहना अच्छा है !
अँधियारे में छुपकर रोना तुम्हें भला कब भाता है ?
उठकर स्वागत करो द्वार पर नित्य उजाला आता है !
संघर्षों की कड़ी धूप में दहना अच्छा है !
कभी कभी पाषाणों से भी कहना अच्छा है !

–ग्राम व पोस्ट–चिताही, जनपद–सिद्धार्थ नगर (उ.प्र.)
मो. : 8858001681

अभिवादशीलता एवं शिष्टाचार में निहित हैं दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य के तत्व

– सीताराम गुप्ता

एक ही समय में अलग–अलग स्थानों पर अभिवादन के अनेक रूप प्रचलित होते हैं। हर राष्ट्र, हर क़ौम, हर मत व हर संप्रदाय की अभिवादन करने की पद्धति में भी विभिन्नता पाई जाती है। शिक्षित और अशिक्षित समाज में अभिवादन करने के ढंग में पर्याप्त अंतर मिलता है। प्रायः विकसित और सभ्य समाज में अभिवादन का तरीक़ा अधिक औपचारिक पाया जाता है। क्या विकसित और सभ्य समाज अच्छे तरीक़े से अभिवादन करता है अथवा अच्छे तरीक़े से अभिवादन करने वाला समाज ही वास्तव में विकसित और सभ्य होता है? वस्तुतः अभिवादन करने के तौर–तरीक़े या तो हमें अपनी परंपरा से मिलते हैं या फिर वर्तमान परिवेश से। हम जैसे समाज में जीते हैं उसी के अनुरूप वैसी ही अभिवादनशीलता हमारे आचरण में स्वतः सम्मिलित हो जाती है। प्रश्न उठता है कि अभिवादन करने की क्या आवश्यकता है और इसका सही स्वरूप कौन–सा है?

भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया है 'अतिथि देवो भव'। कथासरितसागरकार सोमदेव भट्ट के अनुसार 'यथाशक्त्यतिथैः पूजा धर्मो हि गृहमेधिनाम्' अर्थात् अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का धर्म है। हमारे यहाँ हर उपयोगी तत्त्व को धर्म का रूप देकर उसे दैनिक जीवन में सम्मिलित कर लिया जाता है। क्या अतिथि सत्कार की इस परंपरा के पीछे भी कोई उपयोगी तत्व काम कर रहा है। अतिथि सत्कार का वर्तमान स्वरूप क्या हो सकता है तथा क्या वास्तव में हम इससे लाभान्वित भी होते हैं ?

जब कोई मित्र या अतिथि हमारे घर आता है तो हम न केवल उस समय उसका यथोचित सत्कार करते हैं अपितु जब वह वापस जाता है तो जाते समय भी उसे सम्मान के साथ विदा करते हैं। विदा करते समय हम या तो हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं अथवा हाथ हिलाकर बाय–बाय कहते हैं। कुछ लोग किसी को विदा करते समय किसी भी प्रकार की औपचारिकता का निर्वाह नहीं करते जो उचित प्रतीत नहीं होता। मेहमान को भी चाहिए कि जाने से पहले उचित रीति से इजाज़त ले। यदि वह जाने की इजाज़त ही नहीं लेगा तो उसे विदाई कैसे दी जा सकती है अतः ज़रूरी है कि मेहमान जाने से पहले उचित रीति से इजाज़त ले और मेज़बान ठीक तरह से उसे विदा करे।

मेहमान को विदा करते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें न केवल इनकी जानकारी होनी चाहिए अपितु व्यावहारिक रूप से भी इनका पालन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो मेहमान को बस स्टैंड, ऑटो या रिक्शा स्टैंड अथवा उसके निजी वाहन तक छोड़ने जाएँ। मुझे याद है गाँव में जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता था तो हम उसे बस स्टैंड तक

छोड़ने जाते थे और जब–तक बस नहीं आती थी वहीं खड़े रहते थे। मेहमान का सामान भी ख़ुद उठाकर ले जाते थे। इस प्रक्रिया में एक किलोमीटर का सफर और घंटे–डेढ़ घंटे का समय लगना स्वाभाविक था।

आज लोगों के पास समय की बेहद कमी है। कई बार मेहमान को घर के दरवाज़े पर ही विदा करना पड़ता है। ये परिस्थितिजन्य विवशता भी हो सकती है लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को घर के दरवाज़े से ही विदा कर रहे हैं तो भी शिष्टाचारवश कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ लोग आगंतुक के बाहर निकलते ही एकदम झटके से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं जो उचित नहीं। आगंतुक के बाहर निकलते ही फौरन दरवाज़ा बंद न करें अपितु तब–तक दरवाज़ा खुला रखें जब–तक मेहमान आँखों से ओझल न हो जाए या कम से कम थोड़ी दूर न चला जाए। उसके बाद बिना आवाज़ किए धीरे से दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए।

जैसे किसी के बाहर निकलते ही एकदम भड़ाक से दरवाज़ा बंद करना अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार यदि रात का समय है तो आगंतुक के बाहर निकलते ही मेन गेट या ज़ीने की लाइट ऑफ करना भी एकदम ग़लत है। अपरिचित या अवांछित आगंतुक से भी नम्रता से पेश आना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा का ध्यान न रखें। अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। अपरिचित के लिए मेन गेट या लोहे का जाली वाला दरवाज़ा एकदम से न खोलें। पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही दरवाज़ा खोलें अन्यथा धीरे से पुनः बंद कर लें।

प्रत्यक्ष रूप से मिलने पर ही नहीं फोन पर बातचीत करते समय भी अभिवादन की औपचारिकता का पालन करना चाहिए। बातचीत की समाप्ति के उपरांत फोन रखते समय भी उचित रीति से अभिवादन के पश्चात ही फोन रखना चाहिए। घंटी बजने पर आराम से फोन उठाएँ तथा बातचीत की समाप्ति के उपरांत भी आराम से ही रखें। दूसरी ओर वाले व्यक्ति की बात समाप्त होने से पहले ही फोन को काटना या पटकना ठीक नहीं। घंटी बजने पर फोन उठाने से पहले निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दें:

1 हमेशा शांत भाव से फोन उठाएं।

2 घंटी बजने पर परेशान होने की बजाए एक ख़ूब गहरी साँस लेकर छोड़ दें। इससे तनावमुक्त होने में मदद मिलेगी।

3 फोन उठाने से पहले मुसकुराने का प्रयास करें इससे भी तनावमुक्ति में मदद मिलेगी।

4 फोन उठाने पर उचित रीति से सामने वाले का अभिवादन करें तथा सामने वाले के अभिवादन का ठीक से उत्तर दें।

5 अगले व्यक्ति की बात धैर्य से सुनें और बार–बार बीच में न काटें।

6 धैर्य से पूरी बात सुनने के बाद ही उसका उत्तर दें या अपनी बात कहें।

7 किसी को फोन पर ज़्यादा देर इंतज़ार कराना या बातचीत को बेवजह लंबा खींचना भी ठीक नहीं।

8 यदि समय की कमी है तो सामने वाले से क्षमायाचना करते हुए बाद में फोन करने के लिए कहें या कहें कि मैं बाद में फोन करता हूँ।

9 बात पूरी होने पर उचित रीति से ही उसका समापन भी करें। फोन रखने से पहले औपचारिक रूप से इजाज़त लें अथवा अभिवादन करें। अगले व्यक्ति की इजाज़त अथवा अभिवादन का भी उत्तर देने के उपरांत ही अत्यंत धीरे से फोन रखें या काटें।

इस शिष्टाचार एवं अनुशासित जीवन का हमारे स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है। कहा गया है:

अभिवादनशीलस्य नित्यंवृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्।।

अर्थात् नित्य वृद्धों की सेवा करने वालों तथा उनका अभिवादन करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल ये चार चीज़ें सदैव बढ़ती हैं। और जिस व्यक्ति में इन

चार चीज़ों की वृद्धि होगी उसके स्वस्थ रहने में कोई संदेह नहीं।

औपचारिक अभिवादन के उपरांत मिजाज़पुर्सी अथवा हालचाल पूछना भी एक सामान्य प्रक्रिया है। यह प्रायः सबके साथ होता है। प्रायः पूछते हैं कि क्या हाल–चाल है? कैसे हो? कैसे मिजाज़ हैं? उत्तर मिलता है कि मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? प्रत्युत्तर में कहा जाता है कि मैं भी ठीक हूँ। आपकी कृपा है। इस तरह के औपचारिक वाक्यों का परस्पर आदान–प्रदान स्वाभाविक रूप से होता है। कई लोग बावजूद अनेकानेक समस्याओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बिलकुल ठीक हूँ अथवा मज़े में हूँ। इस प्रकार के शब्दों में कहने वाले का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण झलकता है। उसके आशावादी होने का पता चलता है। ये सिर्फ़ उसके मुख से निकले शब्द नहीं अपितु उसके जीवन का यथार्थ दर्शाते हैं। इन शब्दों के द्वारा वह वर्तमान में अपने जीवन के लिए इन सकारात्मक व आशावादी स्थितियों का चुनाव कर रहा होता है।

उसके शब्द और भाव ही उसके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसा ही हमारे जीवन पर वह प्रभाव डालते हैं। हमारे विचार, भाव, शब्द अथवा सपने हमारे ब्रेन सेल्स अथवा न्यूरोंस को सक्रिय कर देते हैं। हमारे ब्रेन सेल्स अथवा न्यूरोंस सक्रिय होकर हमें अपेक्षित दिशा में कार्य करने के लिए इतना प्रेरित कर देते हैं कि हम अपने सपने अथवा सपनों को पूरा किए बिना चैन से बैठ ही नहीं सकते। अतः जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, सक्रियता व सफलता पाने के लिए उचित रीति से अभिवादन व अभिवादनोपरांत आपसी बातचीत में उसी के अनुरूप अच्छे शब्दों का प्रयोग व उन्हीं के अनुरूप मन में भावों की सृष्टि अनिवार्य है। शिष्टाचार के इन नियमों का पालन करने से न केवल हमारे संबंध अधिक मधुर एवं अर्थपूर्ण हो जाते हैं अपितु हम तनावमुक्त भी रहते हैं। इसका भी हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य का कर्म की गुणवत्ता और आयु पर।

पुराणों में महर्षि मार्कण्डेय की एक कथा मिलती है कि कैसे अभिवादनशीलता के बल पर वे चिरंजीवी हो गये। महर्षि मार्कण्डेय मृकण्डु के पुत्र थे। महर्षि मार्कण्डेय जब मात्र पाँच वर्ष के थे तभी उनके पिता मृकण्डु को पता चला कि मेरे पुत्र की आयु तो केवल छह महीने की ही बची है तो उन्हें बड़ी निराशा और चिंता हुई। पिता मृकण्डु ने अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उसे उपदेश दिया :

यं कश्चिद् वीक्षसे पुत्र भ्रममाणं द्विजोत्तमम्।
तस्यावश्यं त्वया कार्यं विनयादभिवादनम्।।

पुत्र ! तुम जब भी किसी द्विजोत्तम को देखो तो विनयपूर्वक उसका अभिवादन अवश्य करना, उसे प्रणाम करना। मृकण्डु का पुत्र अत्यंत आज्ञाकारी बालक था अतः उसने पिता द्वारा प्रदत्त व्रत को दृढ़तापूर्वक धारण किया। अभिवादन उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। जो भी बालक के समक्ष आता बालक उसे आदरपूर्वक प्रणाम करना न भूलता। अभिवादनशीलता उसका संस्कार बन गया। एक बार सप्तऋषि भी उस मार्ग से जा रहे थे। बालक मार्कण्डेय ने संस्कारवश अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। सप्तऋषियों के आशीर्वाद से अल्पायु बालक मार्कण्डेय को कल्प–कल्पांत की आयु प्राप्त हो गई। अपनी अभिवादनशीलता के गुण के कारण वे चिरंजीवी हो गये।

दीर्घायु और स्वस्थ बने रहने के लिए अभिवादनशीलता व शिष्टाचार का पालन करना किसी तरह भी महँगा सौदा नहीं। अतिथि ही नहीं परिचित–अपरिचित हर व्यक्ति का आदर–सत्कार करना हमारे अपने हित में है। यह पूर्णतः हमारे अपने हाथ में है कि हम अशिष्ट बने रहकर विभिन्न व्याधियों को आमंत्रित कर अस्वस्थ बने रहें तथा अल्पायु हों अथवा अभिवादनशीलता व शिष्टाचार का पालन कर स्वस्थ और दीर्घायु बनें।

–ए.डी.–106–सी, पीतमपुरा, दिल्ली–110034
मो. : 9555622323

अपने भीतर ही मौजूद है प्रेरणा का स्रोत

–अमित त्यागी

श्रम का जीवन में महत्व है इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता। क्षमताएँ, ज्ञान और रचनात्मकता का मेल जब श्रम के साथ होता है तब सफलता की नई इबारत लिखी जाती है। लोकप्रियता बढ़ने लगती है और सामाजिक स्वीकार्यता में वृद्धि होती है। मन, वाणी और कर्म में शुचिता रखने वाला कर्मयोगी सिर्फ स्वजनों में ही नहीं अपितु गैरों में भी स्नेह पाता है।

युवाओं के लिये आवश्यक है कि कोई भी कार्य करने से पहले उन्हें अपनी खुशी देखनी चाहिए। यदि हम परोपकार भी करना चाहते हैं तो भी पहले अपनी खुशी देखनी चाहिए। यह सुनने में अजीब लगता है कि स्वार्थी होकर खुद की खुशी के लिए कार्य क्यों करना चाहिए ये कितना उचित है ? श्रमजीवी और कर्मयोगी व्यक्ति को तो त्यागी पुरुष होना चाहिए ?

मेरा मानना है कि हर वो त्याग जो बाहरी है और जो खुशी नहीं देता है वो सिर्फ खुद के साथ छलावा मात्र है। छलावा कभी भी देर तक अपना अस्तित्व बरकरार नहीं रख सकता ? यदि हम स्वयं को खुश रखने में कामयाब हो पाये तो हम अपने आस–पास के और साथी मित्रों को खुशी दे पाएंगे। इस प्रकार ये खुशी एक से दूसरे और इस तरह अन्य तक स्वतः प्रवाहित होती चली जाएगी। जब लोग कहते हैं कि हमें दूसरों की खुशी के लिए श्रम करना चाहिए तब मुझे थोड़ी आपत्ति होती है। ऐसा श्रम जो खुद को संतुष्टि न दे पाए वो ज़्यादा समय तक फलदायी नहीं हो पाता है। ऐसे में परोपकार भी देर तक जारी नहीं रह सकता। प्रेरणा का स्रोत हमारे भीतर विद्यमान है। ज्ञान का संवर्धन अन्तर्मन से प्रस्फुटित होता है। बाह्य आवरण के द्वारा किया गया श्रम सिर्फ जीविका का साधन तो उपलब्ध करा सकता है सफलता की ऊँचाइयों पर नहीं पहुंचा सकता। वाणी, मन, इन्द्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय के द्वारा किया गया श्रम सफलता तक न पहुंचे ऐसा मुमकिन ही नहीं है ।

अपने श्रम को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना

है ये कला शेर से सीखी जा सकती है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे मनोयोग से और जोरदार प्रयास के साथ करे। अपने प्रयोजन में दृढ विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व, इतिहास के रुख को भी बदल सकता है और भौगोलिक परिस्थितियों को भी। दशरथ मांझी का उदाहरण हमारे सामने है जिन्होंने आने–जाने के रास्ते में बाधा बन कर खड़े एक पूरे पहाड़ को ही अपनी लगन और मेहनत के बलबूते काट डाला। सालों तक अकेले मेहनत की और सृष्टि का भूगोल ही बदल कर रख दिया। श्रमजीवी व्यक्तियों के लिए बाधाएँ सहानुभूति पाने का माध्यम नहीं होती हैं बल्कि नवसृजन का एक आधार होती है।

श्रम का अपना महत्व है। श्रम के बगैर सफलता नहीं मिलती किन्तु श्रम के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि श्रम किस मंजिल की तलाश में किया जा रहा है। साधन और साध्य की पवित्रता का भी बड़ा महत्व है। एक पुरानी कहानी याद आ रही है। एक बार एक सेठ व्यापार करने बाहर गया और एक धर्मशाला में रुक गया। सेठ के पास धन होने का प्रमाण जानकर एक चोर ने भी सेठ से मित्रता कर ली और उसके साथ–साथ वहाँ रहने लगा। सेठ रोज दिन में व्यापार करने में अपना श्रम लगाता और परिश्रम के द्वारा अपने धन में बढ़ोत्तरी करता। चोर रोज रात में श्रम करता और सेठ के धन को साफ करने की फिराक में रहता और उसके सामान की तलाशी लेता किन्तु उसको सेठ का धन न मिलता। चोर को यह तो पूरा विश्वास था की सेठ के पास हज़ारों रुपये हैं किन्तु वह इतना श्रम करने के बावजूद उसे ढूंढ़ नहीं पा रहा था। इस प्रक्रिया में कई दिन गुजर गए। कुछ दिनों बाद सेठ ने चोर से कहा की अब मेरे जाने का समय आ गया है मित्र। आपके साथ समय बहुत शानदार गुजरा। दिन में मैंने व्यापार में श्रम करके अच्छा धन लाभ अर्जित किया और रात में आपने मेरा भरपूर सहयोग किया और मेरे धन की सुरक्षा की। यह सुनकर चोर थोड़ा सकपकाया और बोला क्या आपको सब पता है ? सेठ ने कहा कि तुम मेरे सामान की रोज़ तलाशी लेते थे और मैंने अपना धन तुम्हारे तकिये में छिपा रखा था। आपका ध्यान अपने आस–पास की चीजों पर नहीं था। आपने अपने

परिश्रम रूपी धन का प्रयोग कुटिल तरीके से मेरे धन की प्राप्ति के लिए किया। यदि इतना श्रम आप मेरे साथ व्यापार करने में करते तो शायद आप ज़्यादा सफल होते। आपके परिश्रम में न ही साधन की पवित्रता थी, न ही साध्य की। शायद, इसलिए परमात्मा की कृपा मेरे साथ रही ।

हमारी पौराणिक और धार्मिक कथाओं में भी श्रम का उल्लेख रहा है। अज्ञातवास के दौरान जीवित रहने के लिए पांडवों को बेहद श्रम करना पड़ा था। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले राम, लक्ष्मण और सीता को भी वनवास के दौरान बेहद श्रम के द्वारा ही भोजन जुटाना पड़ता था। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जहां राजा हो या रंक, सबने श्रम के द्वारा ही अपना जीवन परिवर्तित किया है। श्रमजीवी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए परास्त तो हो सकता है किन्तु उसकी सफलता का सूर्यास्त कभी नहीं होता। मैथलीशरण गुप्त ने कहा है।

न हो एक धुन एक लगन यदि जन में
तो उस अप्रमत को लेकर क्या है लाभ भवन में
सोच रहा है समझ रहा है किन्तु नहीं कुछ करता
कर्मभूमि पर भार रूप वह डूब क्यों नहीं मरता।

– 81, ताजु खेल शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश–842001
मो. : 9451709291

प्रेम, भाईचारा और वसुधैवकुटुम्बकम का बीज.....

–पूनम माटिया

पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण– पूर्ण विश्व आज अशांति, असुरक्षा के घेरे में हैं तथा आतंकवाद के ऐसे ज्वालामुखी पर खड़ा है जो रह–रह कर फूट पड़ता है और बेकसूर, निरपराध लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्वस्थ, बीमार सभी, यहाँ–वहाँ असमय काल का ग्रास बनते जाते हैं। एक तरफ जहाँ विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है वहीं दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद का खतरा अपने चरम पर है। आसुरी शक्तियाँ जैसे मुंह फाड़े घूम रही हों चारों दिशाओं में। केवल भारत ही इसका शिकार नहीं, अफगानिस्तान, इराक, अमरीका, यूरोपियन देश जैसे; इंग्लैंड, फ्रांस, टर्की और अभी हाल ही में बंगला देश भी आतंकी हमलों का केंद्र बन चुके हैं। पढ़े–लिखे पुरुष, स्त्रियाँ क्यूँ खुद को इस आग में झोकने को तैयार हो रहे हैं, आश्चर्य से ज्यादा सोचने की बात है।

विश्व शान्ति को शनैः शनैः खतरा क्यों बढता जा रहा है ? ऐसा क्या है, हमारे पालन–पोषण के तरीके में, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, जिनको बदलने की जरुरत है ? ऐसे में यहां पर कुछ बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है जैसेः

1. जरूरत अथवा लालच आधारित सोच

'सर्वाइवल ऑफ द फिट्टेस्ट' यानि योग्यतम् की उत्तमजीविता या उनका बचे रहना लालच पर आधारित है और इसमें इंसान अपने को साबित करने या अपने को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है जैसे; छीनना, झपटना, मार–काट आदि। दूसरे जीव के जीवन का, उसके सुख का उसके लिए कोई मूल्य नहीं रहता और ऐसे में शांति, सुख–चैन कहाँ, अपितु लड़ाई–झगड़े आम बातें हो जाती हैं संसार जैसे कोई जंग का मैदान हो। 'वसुधैवकुटुम्बकम' की व्यवस्था जरुरत पर आधारित है। इसमें एक इंसान या एक समाज दूसरे इंसान, पशु, पक्षी या फिर दूसरे समाज का ख्याल रखता है। क्योंकि वह जानता है कि सभी मिलकर रहें तो जीवन सुखमय रहेगा और सभी मिलकर शांति से प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे।

2. प्यार अथवा शक्ति का प्रयोग –सत्ता, अधिकार या बल का प्रयोग अधिकतर हथियाने या अनधिकृत कब्जे के लिए होता है, जो कभी भी शांति के पक्ष में कार्य नहीं करता। जबकि दूसरी ओर प्रेम–प्यार अपने से पहले दूसरे के सुख के बारे में सोचने की बात करता है फिर चाहे वो प्राकृतिक सम्पदा जैसे; पानी, हवा, जमीन या कॉस्मिक स्पेस ही क्यों न हो। इस प्रकार के विश्व शांति के मूल में प्रेम, भाईचारा और 'वसुधैवकुटुम्बकम' के बीज को ही रोपना होगा ताकि वह पोषित होकर एक ऐसा विशाल वृक्ष बने जिसके तले सभी सभ्यताएं और संस्कृतियाँ फल–फूल सकें।

प्राकृतिक आपदाएं जैसे; हिमस्खलन, बाढ़, सूखा, बादल का फटना, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि से होने वाली मानवीय और संसाधन हानि एक अलग विषय है; जिसके बारे में भी हमें सोचना और क्रियाशील रहना होगा क्यूंकि कुछ हद तक इन पर इंसान का वश नहीं चलता किन्तु आतंकवाद तो इंसान के रूप में जन्मे परन्तु अमानवीय, हिंसक पशुओं में तब्दील हुए अमानुषों का ही काम है, जिसे रोका ही नहीं अपितु जड़ से उखाड़ फेंका जाना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब जेहाद के नाम पर हुए आतंकी हमलों की दुनिया भर में एक स्वर में निंदा हो और उसे भले तथा बुरे आतंकवाद में न बांटा जाए। मानवतावादी शक्तियों को एक होकर अमानवीय, विनाशकारी शक्तियों को सजा देनी होगी जिससे उन्हें जड़ से ही हटाया जा सके।

–90/बी, पॉकेट 'ए', दिलशाद गार्डन, दिल्ली–110095
मो. : 9312624097

प्रकृति सान्निध्य की आतुरता क्यों नहीं

–रश्मि अग्रवाल

ये ब्रह्मांड जिसमें हम निवास करते हैं, उसमें प्रकृति एक विशिष्ट आवरण है एवं पृथ्वी उसकी आकृति। हमारे चारों ओर प्राकृतिक सुन्दरता, विकटता, विभिन्नता एवं विषमता यत्र–तत्र, सर्वत्र विद्यमान है। प्रकृति जिसे हम देखते, सुनते, आश्चर्य और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं; इसका कोई विशेष क्षेत्र नहीं है, ये तो विस्तृत व अंतहीन है।

हमारी जीवन शैली दो चक्रों पर आधारित है। एक चक्र परंपरा – जिसमें आस्था एवं विश्वास रहता है, दूसरा वैज्ञानिक–जिसमें विकास रहता है। किन्तु अफसोस, हम विकास एवं विनाश का सही विभाजन नहीं कर पाए। सार्वजनीन और सार्वभौमिक तथ्य है कि हमारी सृष्टि का कुशल संचालन एक स्वनिर्धारित प्रक्रिया, नियम और क्रमशः परिवर्तनों के अनुसार होता है। इस सुनिर्धारित व्यवस्था में कुछ भी हेर–फेर, व्यवधान व हस्तक्षेप जब होता है तब ही प्रकृति के छेड़छाड़ वाली स्थिति में पर्यावरणीय संतुलन विचलित हो जाता है। ऐसे में सिर्फ मानव के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण प्राणी जगत के सम्मुख स्वस्थ जीवन जीने का प्रश्न खड़ा हो जाता है ? आज पर्यावरणीय संकट विश्व के सम्मुख मुँह खोले खड़ा है। विकास की अंधी दौड़ के पीछे मानव प्रकृति को छल रहे हैं, उसका दोहन कर रहा है। आज व्यक्ति ने अपने चारों ओर एक कृत्रिम दुनिया का आवरण इस प्रकार ओढ़ रखा है, जहां मशीनों के संपर्क में कार्य करता हुआ वह स्वयं भी मशीन की भांति कार्य करते हुए जीवन यापन कर रहा है।

यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारा कृत्य धीरे–धीरे हमारी आदत बन जाता है, जैसे, आदमी ने जो एक लोहे व सीमेंट की दुनिया बनाई है, वहां आदमी के हस्ताक्षर तो मिलते हैं लेकिन परमात्मा जनित सृष्टि की कोई खबर नहीं मिलती। वो निशान जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त थे या हैं, उन्हें जबरन मिटाने, उनका दोहन कर उनसे अतिरिक्त लाभ लेने के रूप अवश्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हमारी विचारधाराएं, आस्थाएं, विश्वास, धारणाएं व मान्यताएं एवं जीवन मूल्य किसी न किसी रूप में पर्यावरण आधारित रहे हैं परंतु वे देशकाल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित भी होते रहे हैं। समय के साथ भौतिक विकास के अंधानुकरण में हमने अपनी प्राकृतिक दौलत को तिरस्कृत कर उसके अभिन्न अंगों को चोट पहुंचाई है।

हम कण–कण में ईश्वर रूप को देखकर संपूर्ण चराचर जगत के संरक्षण की जीवन पद्धति अपनाते रहे हैं, जिसमें पशु–पक्षियों, पुष्पों, नदियों, भूमि, पर्वत, वृक्ष आदि का पूजन कर संरक्षण की सदप्रवृत्ति रही है, जैसे, प्रकृति पर जीवन के अस्तित्व की रक्षा परिवेश में विद्यमान परिस्थितियां प्रत्येक जीव को प्रभावित करती हैं। रसायनिक बहि्स्राव, परमाणुविक कचरा, तेजाबी वर्षा और वायुमण्डल में लगातार बढ़ रही कार्बनडाई–ऑक्साइड जो ज़हरीली व जानलेवा है, का प्रभुत्व प्रकृति को छल रहा है। उन व्यस्त चौराहों पर नीम का पेड़ उदास, बेबस और लाचार, किसी साजिश का शिकार व मौसम की मार झेल रहा है और घुट–घुट कर अपने गुस्से का इज़हार स्वयं की पत्तियां गिराकर कर रहा है। विपदा के इस कठिन दौर में सूखे सरोवर, विषैली गंगा, मौसम की मार, दमघोटू माहौल आध्यात्मिक क्रांति के नाम पर प्रकृति का दोहन उपभोगवाद के स्थान पर सवार शेष अवशेष चीत्कार व हाहाकार कर रहे हैं।

अतः वस्तुतः सार यह है कि अगर मानव सभ्यता को बचाना है तो संपूर्ण समाज में पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रति जनचेतना का संचार करना होगा। क्योंकि जन्म से मृत्यु तक प्रकृति ही हमारी चिरसंगिनी रही है। हरी–भरी धरती, कल–कल बहती नदियां, झरने, गगनचुम्बी पर्वतमालाएं, रेगिस्तान, दूर–दूर तक फैला समुद्र पुष्पों से आती भीनी–भीनी सुगन्ध, किस निष्ठुर का मन नहीं चाहेगा इनसे आत्मसात होना, इनकी सुन्दरता पर दृष्टिपात करना व कृषि हृदय बन कागज पर उतर जाना। बस इसे ही कहते हैं प्रकृति धरती जो अपनी है, अतः इसको अपनाएं और कहें.....

'धरा प्रदूषण चलो हटाएं
सुन्दर पर्यावरण बनाएं।।'

– द्वारा वाणी अखिल भारतीय हिन्दी संस्थान (अध्यक्ष), बालक राम स्ट्रीट, नजीबाबाद (उ.प्र.) मो. : 9837028700

अपना हिन्दुस्तान

–अशोक 'आनन'

माँग रही है अपनी धरती,
अपना फिर बलिदान।
सदा रहे सिरमौर जगत में,
अपना हिन्दुस्तान।
हरी–भरी–सी रहे हमेशा,
अपनी धरती रानी।
कलकल–कलकल बहे सरिता,
लेकर निर्मल पानी।
जयकारों से गूँज उठे फिर,
अम्बर तक जयगान।
माँग रही है अपनी धरती.....

सदभाव की बहे सरिता,
सबके आज हृदय में ।
मानवता हम भूल न जाएं,
देखो, विश्व–विजय में।
घायल हो न जाए गीता ,
बाइबिल और कुरान।
माँग रही है अपनी धरती.....

वीर प्रसुता रही है भूमि ,
सदा से स्वर्ग समान।
माँ से ज्यादा इसे दिया है,
शीश झुका सम्मान।
रक्त सींचकर, रक्षा की है,
वीरों ने दे प्राण।
माँग रही है अपनी धरती.....

बारुद के जो घर में बैठे,
माचिस को ले हाथ ।
चिंता की दिख रहीं लकीरें,
देखो, उनके माथ।
बच्चों के वे मन पर लिखते,
दहशत का संविधान।
माँग रही है अपनी धरती.....

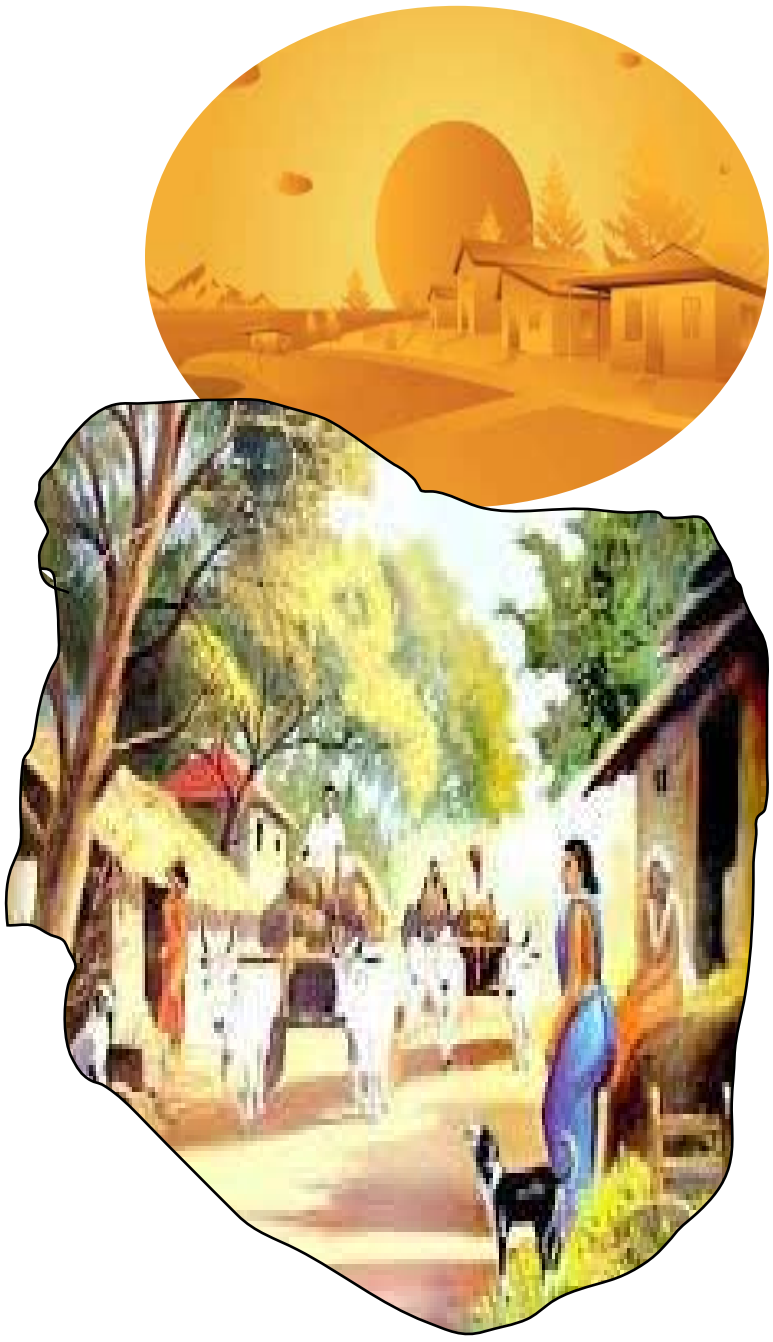

–11/82, जूना बाजार, मक्सी–465106
जिला – शाजापुर (म.प्र.) मो. : 9977644232

तेरे पास आना

–सदानंद सुमन

तुम
एक खुशबूदार खूबसूरत फूल हो
खुशबू की मादकता ऐसी
जिससे महकता
सारा घर–आँगन

जब भी आता तुम्हारे करीब
हो जाते तिरोहित
सारी थकानें
सारे तनाव

मिट जाते नामो निशान
क्रोध और घृणा के
कुत्सित बुरे विचार भी
हो जाते खुद के अंदर से निर्वासित

तुम्हारा स्पर्श
भर देती चेतना की शिराओं में
अलौकिक आनन्द की गहनतम अनुभूति
कि मिट जाता स्वतः
अपना संपूर्ण अस्तित्व
कि हो जाता मन–प्राण तुझमें विलीन
ओ मेरी नन्हीं बिटिया

मेरी गुड़िया
कैसे बताऊँ कि
तुझमें बस गई है अब मेरी जान

तेरे पास आना
होता मेरा
सचमुच
आदमी बन जाना

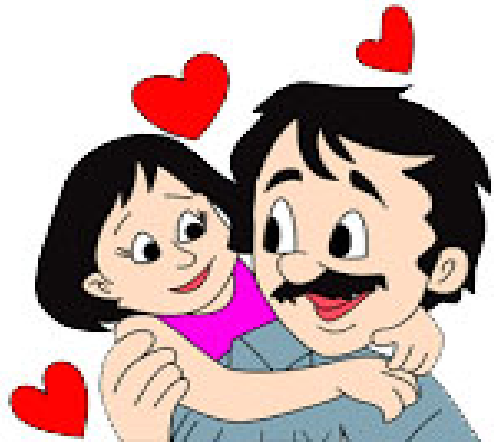

–रानीगंज, डाक : मेरीगंज, जिला : अररिया–854334 (बिहार),
मो. : 9097963227

हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह की झलकियाः राजभाषा संगोष्ठी/काव्य संगोष्ठी एवं स्वच्छता पर परिचर्चा की झलकियां

हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह की झलकियाः राजभाषा संगोष्ठी/काव्य संगोष्ठी एवं स्वच्छता पर परिचर्चा की झलकियां

हिन्दी पखवाड़ा, 2016 के दौरान आयोजित राजभाषा संगोष्ठी/काव्य संगोष्ठी की झलकियां

प्यारा हिन्दुस्तान

–प्रदीप कुमार चित्रांशी

भाषाओं का देश हमारा, प्यारा हिन्दुस्तान।
शहर–शहर की बोली अपनी, औ" अपना परिधान।।

गुजराती, बंगाली, उड़िया, भारत की है जान,
कन्नड़, तेलगू, तमिल, मलया भारत की है शान।
मिली जुली भाषाओं का है, न्यारा हिन्दुस्तान।
शहर–शहर की बोली अपनी, औ" अपना परिधान।।

पंजाबी, मराठी, अवधी, बृज की अपनी तान,
भोजपुरी की बात निराली जिसमें मीठा गान।
नगर–नगर औ" गाँव–गाँव की भाषा है पहचान।
शहर–शहर की बोली अपनी, औ" अपना परिधान।।

हर उत्सव का गीत बनी यह, गाती सुन्दर गान,
सुबह सवेरे भजन सुनाती, फिर लोरी की तान।
हिन्दी, हिन्दी, हिन्दी बोले, सारा हिन्दुस्तान।
शहर–शहर की बोली अपनी, औ" अपना परिधान।।

सुबह नमस्ते, शाम नमस्ते और नमस्ते रात।
सुन्दर–सुन्दर अर्थों का यह बाँट रही सौगात।
प्रीति रीत की शब्द नदी यह, सबको देती ज्ञान।
शहर–शहर की बोली अपनी, औ" अपना परिधान।।

–888, मुट्ठीगंज (रामकृष्ण मिशन के सामने)
इलाहाबाद–211003 (उ.प्र.), मो. 9415666261

भारत में पेस्टीसाइड के दुष्प्रभाव एवं कानूनी स्थिति

– डॉ. अनिला

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ कृषि से तात्पर्य फसल बोने से लेकर उसको बाजार तक लाने वाले कार्य से है। राजस्थान सीलिंग एक्ट (राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम) 1973 की धारा 2 में कृषि को परिभाषित किया गया है इसके अनुसार कृषि में सम्मिलित हैः

उद्यान उपज तथा वार्षिक या नियतकालिक फसलें उगाना।

उद्यान कृषि।

वृक्ष लगाना और उसका अनुरक्षण करना।

पशु, ऊँट, भेड़ या बकरी प्रजनन तथा कुक्कुट पालन या

चारा या छाने की घास उगाने या चराने के लिए भूमि का उपयोग।

कृषि पर निर्भरता ने किसानों को अधिक फसल या उत्पादन देने को मजबूर कर दिया। इस उत्पादन को बढ़ाने के लिये किसानों ने परम्परागत तौर तरीकों को छोड़कर आधुनिक खादों, बीजों एवं कीटनाशकों का प्रयोग शुरू किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस नये प्रयोग से उनका उत्पादन बहुत सीमा तक बढ़ गया। परन्तु इनका अंधाधुंध प्रयोग कई दुष्परिणाम लेकर आया। इन दुष्परिणामों के लिये किसानों की अशिक्षा, कीटनाशकों का अप्रत्याशित (अत्यधिक) प्रयोग, प्रयोग की गलत विधि, प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग आदि जिम्मेदार रहे। अब सवाल उठता है कि ये कीटनाशक क्या है और कीटनाशक में क्या सम्मिलित है।

कीटनाशक जैसा कि इस शब्द से झलक रहा है कीटों को नष्ट करने वाला पदार्थ कीटनाशक कहलाता है। लेकिन कृषि के संदर्भ में जिस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है उसे पेस्टीसाइड कहते हैं अर्थात् पेस्ट को नियंत्रित करने वाला पदार्थ। पेस्टीसाइड एक व्यापक शब्द है, इसमें कीटनाशक, कवकनाश, शाकनाशक, चूहे आदि का नाशक, पौधों के परजीवी नाशक और पौधों का विकास करने वाले पदार्थ शामिल हैं।

भारत पेस्टीसाइड उत्पादन में विश्व का चौथा देश है। जबकि एशिया में चीन के बाद दूसरे नम्बर पर है। पूरे भारत के किसान इस पेस्टीसाइड को कृषि में या कृषि उत्पादों को संरक्षित रखने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी भारत में अभी तक इन पेस्टीसाइड से सम्बंधित कोई कानून नहीं है। भारत में कीटनाशकों से संबन्धित कानून 1968 में आया था, लेकिन कृषि के संदर्भ में प्रयोग किया जाने वाला पेस्टीसाइड अलग से किसी कानून द्वारा नियंत्रित या नियमित नहीं किया जाता है। इसी वजह से पेस्टीसाइड का बेतहासा उपयोग किया जा रहा है। ''विश्वभर में प्रतिवर्ष दो मिलियन टन रसायन पेस्टीसाइड के रूप में प्रयोग हो जाता है। भारत में विश्व के मुकाबले काफी कम मात्रा में पेस्टीसाइड का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहां के किसान जो पेस्टीसाइड उपयोग कर रहे हैं वह अन्य देशों में प्रतिबंधित किये जा चुके हैं। इसी संदर्भ में अनुपम वर्मा समिति का 2013 में गठन किया गया, इस समिति को उन 66 पेस्टीसाइड पर विशेषज्ञ राय के लिये विस्तारित कर दिया जिनको दूसरे देशों ने अवरोधित या पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया है। सन् 2015

में इस समिति ने अपनी रिव्यू रिपोर्ट दी। इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कृषि विभाग ने इसमें से 18 पेस्टीसाइड को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जबकि 48 पेस्टीसाइड अभी भी बाकी हैं।

इन पेस्टीसाइड से मानव प्रजाति एवं शरीर पर कई गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इनमें से कुछ दुष्परिणाम तुरंत ही नजर आ जाते हैं जबकि कुछ दूरगामी होते है। जो लोग इन पेस्टीसाइड को छूते या छिड़कते हैं उनकी पेट दर्द, सिरदर्द, जी घबराना, उल्टी, त्वचा एवं आंखों की समस्या से ग्रसित होने की प्रबल संभावना है। लेकिन इन पेस्टीसाइड के दूरगामी परिणाम मृत्युकारक भी हो सकते हैं। इनमें सबसे गंभीर केंसर रोग है। बहुत से अध्ययनों से यह बात सामने आयी है कि पेस्टीसाइड के प्रभाव से मुख्यतः रक्त, मस्तिष्क, गुर्दा, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, पेनक्रियाज, लिवर, फेफडों व त्वचा केंसर होता है। इसके साथ ही कई रिसर्च से यह बात सामने आयी है कि इससे पार्किसंस की समस्या 70 प्रतिशत तक अधिक होती है। इसके प्रभाव से जन्म पूर्व मृत्यु एवं शिशु में विकार आदि की संभावनाएं भी होती हैं। पेस्टीसाइड के प्रभाव से पुरुषों में फर्टीलिटी कम हो जाती है। अध्ययन यह संकेत करते हैं कि पेस्टीसाइड से लम्बे समय की स्वास्थ समस्याएं जन्म लेती हैं जिनमें अस्थमा, स्मरण शक्ति का हास या डिप्रेसन आदि प्रमुख हैं।

अब सवाल यह उठता है कि क्या ये 48 पेस्टीसाइड मानव प्रजाति या पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। जबकि पूरे विश्व में ये प्रतिबंधित है तो भारत में इन्हे छूट क्यों प्राप्त है। क्या भारत के लोगों के इससे कोई अधिकार उल्लंघित नहीं हो रहे हैं। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद–21 जीवन का अधिकार का उपबंध है और पर्यावरण का एक संवैधानिक अधिकार भी है।

रूरल लिटिगेशन बनाम उत्तर प्रदेश (ए.आइ. आर. 1985 सु.को. 656) के वाद में न्यायालय ने कहा कि लोगों के जीने के अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण भी शामिल है। विरेन्द्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य (1995) 2 एससीसी 577, 580 पर्यावरणीय, इकोलोजिकल, वायु, जल प्रदूषण इत्यादि का होना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसलिए हाईजेनिक पर्यावरण स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। इसी तरह से एल. के. कूलवाल बनाम राजस्थान राज्य (ए.आई.आर. 1998 राजस्थान 2) के वाद में उच्च न्यायालय ने माना कि पर्यावरण का ह्रास अनुच्छेद 21 में दिये गये जीवन सम्बंधी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है।

इसी प्रकार पंजाब राज्य बनाम राम लुमयार (1998) लेब आई.सी. 1555 के वाद में न्यायालय ने कहा कि एक स्वस्थ शरीर सभी मानवीय क्रियाओं का आधार है और इसलिए राज्य पर यह दायित्व है कि वह यह देखे कि वह कौन सी परिस्थितियाँ हैं और कौन से ऐसे सृजन हैं जो स्वास्थ को प्रभावित करते है। राज्य पर यह एक संवैधानिक दायित्व भी है कि वह अच्छे स्वास्थ्य को बढावा दे। इसी तरह से हमारे संविधान में अनुच्छेद 48 'क', अनुच्छेद 37 एवं अनुच्छेद 51 – ए (जी) में भी एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए उपबंध किये गये हैं।

अतः शुद्व पर्यावरण में हाईजेनिक परिस्थितियों में जीने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम सभी को एकजुट होना चाहिए। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के परम्परागत तरीके अपनाने चाहिए। फर्टिलाइजर (रसायन) के स्थान पर वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। सरकार को इस हेतु उचित कदम उठाना चाहिए। किसानों को एवं खाद्य पदार्थो के व्यापारियों को इन्हें संरक्षित करने के आयुर्वेदिक एवं हर्बल पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। हमारी प्रकृति में ही इस तरह के प्रिज़र्वेटिव मौजूद हैं, जैसे–नीम। सरकार को पेस्टीसाइड सम्बंधी कानून बनाना चाहिए। भारत में भूमि प्रदूषण सम्बंधी कोई कानून नहीं है, अतः इस तरह का कानून भी शीघ्र बनना चाहिए। पेस्टीसाइड के उपयोग करने वाले किसानों के लिए इसका प्रयोग विधि को समझाने के लिये समय–समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। न्यायालय को कठोरता से कानून का पालन करवाना चाहिए ताकि हम शुद्ध वातावरण व शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकें व पेस्टीसाइड के दुष्प्रभाव से मुक्त रह सकें।

–21, गढ़ मगरी, शोभागपुरा, उदयपुर–313001 (राजस्थान)
मो. : 468579781

जल बचाएं, जीवन बचाएं

– संदीप तोमर

हमारे सौर मंडल में पृथ्वी इकलौता अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जल और जीवन मौजूद है। जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये जल का संरक्षण और बचाव दोनों ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना जल के जीवन संभव ही नहीं है। सम्पूर्ण पृथ्वी पर लगभग 80 प्रतिशत जल होते हुए भी विश्व की अधिकांश आबादी को पेय जल की उपलब्धता से जूझना पड़ रहा है। स्वच्छ जल बहुत तरीकों से भारत और पूरे विश्व के दूसरे देशो में लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। स्वच्छ जल का अभाव एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस समस्या को अकेले या कुछ समूह के लोग मिलकर नहीं सुलझा सकते। इस समस्या पर वैश्विक स्तर पर लोगों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

महासागर में लगभग पूरे जल का 97 प्रतिशत लवणीय है, जिसका उपयोग पेयजल के रूप में नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर उपलब्ध पूरे जल का केवल 3 प्रतिशत जल ही उपयोग के लायक है जिसका 70 प्रतिशत हिस्सा बर्फ की परत और ग्लेशियर के रुप में है। मोटे तौर पर कुल जल का 1 प्रतिशत ही पेय जल के रुप में उपलब्ध है।

भारत और दुनिया के दूसरे देश जल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। अधिकांश पेय जल हमें नदियों, तालाबों, कुओं या फिर भूमि जल से प्राप्त होता है। जिसकी वजह से आम लोगों को पीने और खाना बनाने के साथ ही रोज़मर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिये ज़रूरी पानी के लिये लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जबकि दूसरी ओर, पर्याप्त जल के क्षेत्रों में लोग अपनी दैनिक ज़रुरतों से ज्यादा पानी बर्बाद कर रहें हैं।

समस्या तब और अधिक विकट हुई जब हमने औद्योगिक कचरे, सीवेज, खतरनाक रसायनों और अन्य गंदगियों को नदियों में डालना शुरू कर दिया। इससे जल प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। पानी की कमी और जल प्रदूषण के मुख्य कारणों में बढ़ती जनसंख्या और

तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण को मुख्य माना गया है। ऐसा अनुमान है कि स्वच्छ जल की कमी के कारण, निकट भविष्य में लोग अपनी मूल ज़रुरतों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे।

भारत के कुछ राज्यों, जैसे राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के कुछ भागों में महिलाओं और लड़कियों को साफ पानी के लिये लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे उनके अन्य दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। परिवार के लिए जल आपूर्ति में ही उनका सारा समय बर्बाद हो जाता है। गर्मियों में यह परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। ये क्षेत्र हमेशा ही सूखे से प्रभावित रहते हैं। इससे इतर अनुमान है कि लगभग 25 प्रतिशत शहरी जनसंख्या तक साफ पानी नहीं पहुंच पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही आबादी को पेय जल की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बच्चे दिन भर पानी ढोने के चलते स्कूल नहीं जा पाते अर्थात अपने शिक्षा के मूल अधिकार और खुशी से जीने के अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ध्यान रहे इससे बच्चियों की शिक्षा अधिक प्रभावित होती है। विकासशील देशो के शहरों के झुग्गी–झोंपड़ी इलाकों की अनेक गलियों में लड़ाई और दूसरे सामाजिक मुद्दों का कारण भी पानी की कमी है। कितनी ही बार देखने में आता है कि पानी के टेंकर से पानी भरने को लेकर मार–पिटाई और हत्या तक की नौबत आ जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल कितनी बड़ी सामाजिक समस्या है।

ऐसा नहीं है कि हम जल समस्या का निवारण नहीं कर सकते। इसका निवारण मेरी समझ से बहुत मुश्किल भी नहीं है। छोटे–छोटे प्रयास करके हम इस बड़ी समस्या से आसानी से निजात पा सकते हैं। जल संरक्षण के लिये हमें अधिक अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रुरत भी नहीं है, हम केवल अपनी प्रतिदिन की गतिविधियों में कुछ सकारात्मक बदलाव करके सहयोग कर सकते हैं, जैसे हर इस्तेमाल के बाद नल को ठीक से बंद कर देना, पाइप से फर्श धोने या फव्वारे से नहाने के बजाय बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना। फ्लस के लिए कम क्षमता के सिस्टर्न का इस्तेमाल करना, गाड़ियों, कारों इत्यादि को कपड़े से साफ करके गीले कपडे से पोंछना; बजाय इसके कि उसे पाइप से धोया जाए। गाँव के स्तर पर लोगों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत भी करनी चाहिये। उचित रख–रखाव के साथ छोटे या बड़े तालाबों को बनाने से बरसात के पानी को बचाया जा सकता है। शहरों में सड़कों के किनारे नालियां बनाकर बरसाती पानी को एक स्थान पर इकठ्ठा करके उसे पेय जल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

नई कालोनी या सोसायटी बनाते समय सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कालोनायजर सभी फ्लैट्स की छतों को एक साथ जोड़कर वर्षा जल संग्रहण की युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं ? पानी को बचाने के लिये सूखा अवरोधी पौधा लगाना अच्छा तरीका हो सकता है।

जल की बर्बादी में एक बहुत अहम बात जो सामने आती है वह है पानी का रिसाव। इससे बचने के लिये पाइपलाइन और नलों के जोड़ दुरुस्त होने चहिये साथ ही साथ रिसाव की स्थिति में तुरन्त उसकी मरम्मत होनी चहिये।

जल प्रदूषण के बारे में एक चौंकाने वाला तथ्य शुद्ध जल की बोतल बंद बिक्री भी है। बहुत सारी कम्पनियाँ बोतलबंद पानी बेंच रही हैं; जिसकी कीमत अमूमन 20 रूपये प्रति लीटर है। एक समय था जब लोगों को पानी के बिकने पर आश्चर्य होता था लेकिन अब यह भी जीवन शैली में शरीक हो चुका है। आज पूरे विश्व में लोगों ने पानी के बॉटल का इस्तेमाल शुरु कर दिया है जिसका खर्च +60 से +80 बिलियन प्रति वर्ष है। समझा जा सकता है कि इतने बड़े व्यापार के लिए रसायन का उपयोग करके कैसे जल प्रदूषित किया जा रहा है तदुपरांत बोतलबंद पानी को दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा रहा है। प्रदूषित जल से बहुत सारे लोग पानी से होने वाली बीमारियों के कारण मर रहे हैं। इनकी संख्या 4 मिलियन से ज्यादा हैं। साफ पानी की कमी और गंदे पानी की वजह से होने वाली बीमारियों से सबसे ज़्यादा विकासशील देश पीड़ित हैं। इसलिए समाधान भी इन देशों को ही सोचना होगा।

धरती पर जीवन को सुरक्षित रखने और पीने के पानी के बहुत कम प्रतिशत उपलब्ध होने के चलते जल संरक्षण या जल बचाओ अभियान हम सभी के लिये बहुत जरूरी है। औद्योगिक कचरे की वजह से रोज़ाना पानी के बड़े स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। जल को बचाने में अधिक कार्यक्षमता लाने के लिये सभी औद्योगिक बिल्डिंग, अपार्टमेंट, स्कूल, अस्पतालों आदि में बिल्डरों के द्वारा उचित जल प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ावा देने की ज़रुरत है। पीने के पानी या साधारण पानी की कमी के द्वारा होने वाली संभावित समस्या के बारे में आम लोगों को अवगत कराने के लिये जागरुकता कार्यक्रम चलाये जाने की भी आवश्यकता है। जल की बर्बादी के बारे में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाकर ही इस खूबसूरत ग्रह पर जीवन को बचाया जा सकता है।

–डी–2/1, जीवन पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059
मो. : 8377875009

मानवता बचायें बेटियाँ बचाकर

–चेतनादित्य आलोक

''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता'' जैसे अनगिन श्लोक, कहावतें और उक्तियां भारतीय वाडमय में प्रचुरता में विद्यमान हैं, जो यह साबित करते हैं कि भारतवर्ष में आरंभ से ही महिलाओं का सम्मान किये जाने की परंपरा रही है। यहां उल्लेखनीय है कि जिस देश में प्राचीन काल से ही महिलाओं के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समानता का भाव व्याप्त रहा है, उसी देश की बेटियां आज अपरिमित दुःख और संत्रास झेलने के लिए मजबूर हैं। यदि गौर करें तो पाएंगे कि जन्म के पहले से लेकर मृत्यु तक हमारी बेटियां पीड़ित और प्रताड़ित हैं। भ्रूण हत्या, अल्पायु विवाह और गर्भाधान, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, डायन के नाम पर हत्या, बेटियों को शिक्षा से वंचित रखना, घरेलु हिंसा एवं बलात्कार आदि जैसी अनेक कुप्रथाओं और कुकृत्यों की जड़ें आज हमारे समाज में ऐसे गहरा गई हैं कि लगता है मानो इनका कभी नाश ही नहीं हो पाएगा। इन्हें खत्म करने के आज जितने भी राजकीय और प्रशासनिक प्रयास किए जा रहे हैं, ये 'रक्तबीज' की भांति उतनी ही तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ध्यान से सुनें तो 'कोख से लेकर कब्र तक' हमारी बेटियों की दारूण चीखें सुनाई पडेंगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घरेलू हिंसा पर किए गए एक अध्ययन में पाया है कि दुनिया में प्रत्येक छह में से एक महिला को अपने पति या संगी–साथी के द्वारा बरपाई गई हिंसा झेलनी पड़ती है। संगठन ने एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण के बाद जारी रिपोर्ट में कहा है कि बेटियों के विरूद्ध मानसिक और शारीरिक हिंसा का प्रभाव दुनिया भर में एक जैसा ही है। वहीं वर्तमान भारतवर्ष के संदर्भ में 70 प्रतिशत महिलाओं पर हाथ उठाने की बात संगठन ने कही है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले एक दशक में महिलाओं के विरूद्ध मात्र घरेलू हिंसा के 09 लाख 09 हजार 713 मामले यानी हर घंटे लगभग 10 मामले घटित हुए हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के द्वारा वर्ष 2014 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पति और संबंधियों द्वारा महिलाओं पर की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाइयों में साढ़े 07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में देश की बेटियों के विरूद्ध होने वाले आपराधिक मामलों की संख्या लगभग 22 लाख 40 हजार है; अर्थात बेटियों के विरूद्ध हर घंटे लगभग 26 आपराधिक मामले घटित

हो रहे हैं। आश्चर्य इस बात पर होता है कि ये आंकड़े सिर्फ दर्ज (रिकार्डेड) मामलों के हैं। इनके अलावा भी न मालूम कितने मामले सामाजिक मर्यादाओं और भय आदि के कारण प्रकाश में आ ही नहीं पाते होंगे, इनका अनुमान लगा पाना एक बेहद कठिन काम है।

अद्यतन जानकारी के अनुसार पिछले एक दशक में महिलाओं पर आपराधिक बल प्रयोग करने और अपहरण करने के लगभग 07 लाख 85 हजार 630 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं दहेज हत्या के लगभग 80 हजार 833 और बलात्कार के 02 लाख 43 हजार 051 मामले दर्ज हुए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 सालों में देश में महिलाओं के विरूद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की कुल संख्या 02 लाख 63 हजार 839 है। जरा सोचिए कि महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले आपराधिक मामलों की इतनी बड़ी संख्या सिर्फ एक राज्य की है। इसी से परिस्थितियों की भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है।

इसी प्रकार हमारे देश में प्रसव के दौरान भी एक बड़ी संख्या में महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में प्रसव के दौरान प्रति एक लाख महिलाओं में से 301 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है; जबकि नेपाल में यह दर मात्र 281 है, पाकिस्तान में 276 तथा श्रीलंका में यह दर सिर्फ 58 है। हां, बांग्लादेश में यह दर भारत से थोड़ी ज्यादा अवश्य है। बांग्लादेश में यह दर 320 है। यानी कि इस संदर्भ में हम अपने छोटे–छोटे पड़ोसी देशों में भी केवल बांग्लादेश से ही बेहतर स्थिति में हैं। यहां पर एक प्रश्न पूछा जाना बिल्कुल ही स्वाभाविक है कि इस संबंध में क्या हमें बांग्लादेश से भारत की तुलना करनी चाहिए ? क्या यह शर्मनाक नहीं हैं कि अब हम यह कह कर संतोष करने लगे हैं कि प्रसव के दौरान होने वाली महिलाओं की मृत्यु में भारत बांगलादेश से बेहतर स्थिति में है ? वास्तव में यह एक ज्वलंत और दुखदायी प्रश्न है कि 21वीं सदी में पहुंचकर विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर भारतवर्ष आज अपनी महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील नहीं है।

यहां उल्लेखनीय है कि हमारे देश में महिलाओं

के विरूद्ध इतनी बड़ी संख्या में और इतने अधिक प्रकारों की आपराधिक घटनाएं तब घट रही हैं, जबकि उनके संरक्षण और सहयोग के लिए यहां कई प्रकार के कठोर कानून मौजूद हैं। यही नहीं महिलाओं की सुरक्षा और सहायता हेतु देश भर में अनेक संस्थाएं भी कार्यरत हैं। इनमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं भी शामिल हैं। इतनी व्यवस्थाओं, प्रयासों और समाज की अपेक्षाओं के बावजूद यदि महिलाओं के विरूद्ध घटने वाली इन आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, तो निश्चय ही स्थितियां अत्यंत चिन्ताजनक हो गयी हैं। वर्तमान परिस्थिति में पूरे मामले पर गौर करने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी महिलाओं के विरूद्ध उत्पन्न इन स्थितियों में इतनी आसानी से सुधार नहीं होगा। या कहें कि इस क्षेत्र में सिर्फ पुलिस–प्रशासन और सरकार के प्रयासों से ही सब कुछ नहीं बदलेगा। इसके लिए समाज के प्रत्येक अंग को अपने–अपने स्तर पर कठिन प्रयास करना होगा।

वर्तमान दौर में यह जान–सोच–समझकर बड़ा दुःख होता है कि आज हमारे समाज में बेटियों की पीड़ा कई छोटी–बड़ी अन्य समस्याओं के जंगल में परजीवी लताओं की भांति उपेक्षित हो रही हैं, जो देखने में भले ही दुर्बल और कृशकाय प्रतीत होती हों, लेकिन एक दिन यह पूरे समाज के लिए बेहद घातक साबित हो सकती हैं, जिसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। जी

हां, कोख से कब्र तक पीड़ित–प्रताड़ित हमारी बेटियों का मात्र एक निर्णय ही हमारे पूरे समाज का भविष्य बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि बेटियों के एक निर्णय मात्र से हमारे संपूर्ण सामाजिक ढांचे का ताना–बाना पूरी तरह से टूट सकता है और वह निर्णय है–हमारी बेटियों द्वारा लिया गया उनके अकेले जीवन–यापन करने का संकल्प। सीधे अर्थों में कहें तो शादी के बंधनों से दूर रहने की उनकी अत्यंत कठोर प्रतिज्ञा।

हम सभी जानते हैं कि आज महिलाओं को देश और दुनिया भर में 'आधी आबादी' के नाम से भी जाना जाता है; लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या महिलाएं हमारी कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा हैं, क्योंकि इसी आधार पर तो वस्तुतः उन्हें आधी आबादी कहा जाता है; ...उत्तर होगा नहीं! क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की कोख में भ्रूणों की इतनी बड़ी संख्या में हत्याएं की जा रही हैं कि देश का महिला–पुरुष का अनुपात बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। इसके संदर्भ में देश के जनगणना आयुक्त ने कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था– 'शाब्दिक रूप से हमारे हाथ खून से रंगे हुए हैं।'

बहरहाल, आज की चिन्ता का मूल विषय देश में अकेली होती अथवा अकेले जीवन–यापन करने के लिए मजबूर होती महिलाएं और उनकी पीड़ा हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में शादी न कर स्वतंत्र रूप से जीवन–यापन करने वाली महिलाओं की संख्या 07 करोड़ 14 लाख हो गई है, जो देश की महिलाओं यानी हमारी आधी आबादी का 12 प्रतिशत है। वर्ष 2001 में ऐसी बेटियों की कुल संख्या 05 करोड़ 12 लाख थी। इस प्रकार एक दशक में अकेली रहने वाली महिलाओं की संख्या में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नैशनल फोरम फॉर सिंगल वूमेन के अध्यक्ष निर्मल चंदेल के अनुसार महिलाओं ने यह कदम विवाहित जीवन असफल होने के कारण उठाया है। इस संबंध में उन्होंने यह भी बताया है कि अकेली रहने वाली महिलाओं की संख्या में सर्वाधिक 68 प्रतिशत संख्या 25 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं की है। इनके अलावा 20 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्पष्ट है कि विवाहित जीवन के दुःख–दर्द, पीड़ा और संत्रास हमारी बेटियों को भीतर तक झकझोर रहे हैं। इसके कारण उनके अन्दर टूटन और बिखराव पैदा हो रहे हैं। यह अलार्मिंग घड़ी है; अर्थात यही वक्त है जब बेटियों को संभाला जाए। उनके लिए समाज में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के प्रयास किए जाएं, वरना अनर्थ हो जाएगा। यह एक कड़वा सच है कि यदि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाए तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारे समाज में पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां तो नहीं ही मिलेंगी, साथ ही देश की आबादी पर भी इसका बेहद बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यही नहीं हमारी पारिवारिक व्यवस्था, जो कि विश्व भर में एक श्रेष्ठतम सामूहिक उपक्रम के रूप में जानी जाती है, छिन्न–भिन्न हो सकती है। हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो सकती हैं। समाज में सर्वत्र टूटन और बिखराव की व्याप्ति होने की भी पूरी संभावना है। .....और यदि ऐसा हो गया तो देश में त्राहिमाम मच जाएगा। एक कठोर सत्य यह भी है कि यदि भारत में ऐसा कुछ हुआ तो उससे संपूर्ण विश्व या कहें कि संपूर्ण मानवता ही प्रभावित होगी। इसलिए अभी भी वक्त है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। संपूर्ण मानवता को बचाने के लिए हमें बेटियों के भीतर पैदा हो रहे टूटन और बिखराव को किसी भी हाल में रोकना होगा ! ...हमें बेटियों को बचाना होगा !

–संस्कार, रोड नं. 3, विद्या नगर (पश्चिम), हरमू, रांची– 834002 (झारखण्ड) मो. : 7870900083

कहानीः

धरणी

– विनीता सुराना किरण

धरणी सोच रही थी ज्यादा बुरा क्या था ? एक गरीब परिवार में जन्म या बालपन में हुआ उसका विवाह या फिर आरक्षित कोटे में उसके पति का राजकीय सेवा में चयनित होकर अफसर बन जाना। अपनी ज़िन्दगी के 20 बसंत पार करते–करते धरणी दो बेटियों की माँ बन गयी और पूरी तरह रम गयी अपनी गृहस्थी में। पर मदन की महत्वाकांक्षा उसे शहर ले गयी। स्नातक की उपाधि फिर आरक्षित कोटे में राजकीय सेवा में चयन और बन गया अपने 2500 की आबादी वाले गाँव का पहला 'बड़ा साब'। शहर में गुजारे 5 वर्षों ने मदन के रहन–सहन के साथ उसकी सोच को भी बदल डाला। कल तक साँवली सलोनी सी धरणी अब उसे अनपढ़ गँवार लगने लगी थी। पिछले 5 वर्षों में यदा–कदा छुट्टियों में गाँव आने वाला मदन अब चिट्ठियों से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता। व्यस्तता की आड़ में धरणी से एक निश्चित

दूरी बना ली थी मदन ने बेटियों का मोह महीने–दो महीने में गाँव और घर की ओर खींच लाता। वो दिन जैसे धरणी को दिवाली से लगते। रात को दो घड़ी का सामीप्य भी स्वर्ग का सुख लगता। फिर गुजरते वर्षों के साथ वो सुख की घड़ियाँ भी सिकुड़ती चली गयीं और एक दिवाली उसके घर में जलते 100 दीये भी उसके जीवन में अचानक आई अमावस का अँधेरा दूर न कर सके। दिवाली की शाम अचानक मदन का सुरभि का हाथ थामे घर की चौखट पर आना धरणी के लिए दिवाली को सदा के लिए अभिशप्त कर गया। गोरी–चिट्टी शहरी युवती सुरभि; मदन के ही विभाग में उसकी अधीनस्थ अधिकारी बन कर आई थी। उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार की सुरभि ने घरवालों के खिलाफ जाकर आर्य समाज में मदन से विवाह किया था परंतु मदन तो अपने माता–पिता और धरणी को बताने की भी हिम्मत न जुटा पाया था बस अचानक उसे घर ले आया उस दिन।

पूरा परिवार सन्न रह गया सुरभि का सच जानकर। मदन के माता–पिता अपने अफसर बेटे के सामने अधिक नहीं बोल सके और रही–सही कसर सुरभि के रंग–रूप और उसके लाये कीमती कपड़ों और गहनों ने पूरी कर दी। धरणी पर तो जैसे कहर टूट पड़ा था पर अपने आँसू पलकों में भींचकर वह चुपचाप रसोईघर में जाकर पकवान बनाने में जुट गयी। दोनों बेटियाँ कुछ देर की झिझक के बाद सुरभि के लाये तोहफे लेकर उसके साथ घुल मिल गयीं। यूँ भी उन मासूम बच्चियों को अपनी माँ पर टूटे कहर का कहाँ भान था। रात्रि भोजन के बाद मदन धरणी को लेकर कमरे में गया तो धरणी के सब्र का बाँध टूट गया और वह फूट–फूट कर रोने लगी।

'क्या कसूर था मेरा जो इतनी बड़ी सजा दे दी मुझको? क्या कमी रह गयी मेरे प्रेम में कि आपको दूसरा ब्याह करना पड़ा ? एक बार भी मेरा और हमारी बेटियों का नहीं सोचा ? अब हमारा क्या होगा ?' रोते–रोते धरणी बोलती जा रही थी।

'नहीं, तेरा कोई कसूर नहीं, सब हालात और समय का फेर है। कसूर तो उन रीति–रिवाजों का है, जिनकी वजह से हमारा ब्याह इतनी छोटी उम्र में हो गया। अब देख न धरणी मेरा और तेरा रहन–सहन, बोली–चाली में कितना अंतर आ गया। चाहकर भी तुझे शहर नहीं ले जा पाया, कैसे मिलवाता अपने पढ़े–लिखे अफसर साथियों से तुझे। वहाँ तो किसी को अपने ब्याह और बेटियों के बारे में भी नहीं पता। फिर जब एक साल पहले सुरभि मेरे विभाग में अफसर बनकर आयी तो जाने कब कैसे हम दोस्त बन गए और फिर वह और मैं एक दूजे से प्रेम करने लगे। वह बड़े घर की इकलौती बेटी, अच्छा खासा रुतबा है उसके परिवार का समाज में। हम दोनों की जोड़ी भी खूब जमती है। सब कहते हैं हम दोनों एक दूजे के लिए बने हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि तेरे और बेटियों के प्रति अपने फर्ज को भूल गया मैं। यहाँ गाँव में किसी को मेरी दूसरी शादी के बारे में पता नहीं चलेगा। यह घर हमेशा तेरा ही रहेगा और मैं हर महीने तुझे पूरा खर्चा भी भेजता रहूँगा। महीने दो महीने में मैं स्वयं भी आऊँगा, बस एक बात तुझे मेरी माननी पड़ेगी कि तू कभी इस बारे में किसी को नहीं बताएगी, एक ही सांस में जैसे मदन ने मन का सारा बोझ उतार दिया था।

धरणी कुछ कहती उससे पहले ही सुरभि अंदर आ गयी और उसे यूँ अचानक आया देख धरणी ने पल्लू से आँसू पोछ लिए और फीकी सी एक मुस्कान उसके होंठों पर तैर गयी।

'जानती हूँ आपकी कसूरवार हूँ मैं परंतु लाख चाहकर भी स्वयं को रोक नहीं पायी और जाने कब इनसे प्रेम हो गया। इन्होंने मुझे तभी आपके बारे में बता दिया था परंतु तब–तक पीछे लौटना बहुत मुश्किल था। माफी नहीं माँगूंगी क्योंकि सब जान–बूझकर, सोच–समझकर किया। आपको और बच्चियों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, वो मेरी भी बच्चियाँ हैं अब। आपसे एक ही विनती है इन कागजात पर अपना अंगूठा लगा दीजिये', कुछ कागज धरणी की ओर बढ़ाते हुए सुरभि बोली।

'ये कैसे कागज हैं जी, क्या लिखा है इनमें ?' एक अनजाना डर धरणी को बेचैन करने लगा था।

'धरणी ये बस एक कानूनी औपचारिकता है और कुछ नहीं। सच मान तू हमेशा मेरी पत्नी रहेगी,

बस कानूनी शादी करने के लिए हम दोनों को इस पर तेरे अंगूठे की जरुरत है, क्योंकि कानून दूसरी शादी को नहीं मानता, पहली को तलाक दिए बिना', मदन धरणी से आँखें चुराते हुए बोलता जा रहा था।

धरणी कुछ न बोल पायी बस मूर्ति बनी दोनों को देखती रही। एक शब्द ने उसके जीवन का अर्थ ही बदल दिया था ....

दो दिन रुक कर मदन और सुरभि शहर लौट गए थे। घर में सब यथावत चलने लगा, बस धरणी का जीवन सूना हो गया था। मदन के साथ न रहने पर भी उसकी प्रतीक्षा रहती थी और मन में एक आस और कुछ सपने, अब वे भी सब साथ छोड़ गए। एक कागज पर उसके अँगूठे ने सब छीन लिया था धरणी से। मदन अपने वायदे के अनुसार हर माह मनीऑर्डर भेजता रहा और साल में दो–तीन बार मिलने भी आता रहा। घर में रौनक हो जाती दो दिन के लिए, बस धरणी अपनी बच्चियों और सास–ससुर को खुश देख स्वयं भी खुश हो लेती। फिर एक बार जब मदन आया तो बेहद खुश दिखा और शहर से मिठाई भी लाया था, एक बेटे का बाप जो बन गया था।

उस दिन की खुशी जैसे उस घर की खुशियों को ग्रहण लगा गयी, बेटे की खुशी में ऐसा खोया मदन कि माँ–बाप, बेटियों को भी भूल गया जैसे, धरणी का अस्तित्व तो बहुत पहले ही मिट चुका था उसके जीवन से। हाँ, मनीऑर्डर हमेशा आता रहा पर मदन व्यस्तता के बहाने हर बार गाँव आना टाल देता।

दो साल गुजर गए, सास ससुर और बेटियों में खोयी धरणी ने अपनी सुध लेना छोड़ ही दिया था। फिर एक दिन जब धरणी शाम को खेतों से लौट रही थी तो बड़ी बेटी रश्मि को बदहवास सी अपनी और दौड़कर आते देख घबरा गयी। उसकी फूली हुई सांस

के बीच बस 'माँ ... दादी..' ही सुन पायी धरणी और दौड़ पड़ी घर की ओर। घर के आँगन के बीचों–बीच चादर लपेटे चिर निद्रा में सोई थी उसकी सासु माँ और धरणी बस पत्थर की मूरत बनी अपने सर से एक और माँ का आँचल सरकते देख रही थी। दो वर्ष पहले जब उसने अपनी माँ को खोया था तब भी ऐसा धक्का न लगा था जैसा उस दिन लगा। रात तक मदन भी आ पहुँचा, अगले तीन दिन कैसे गुजरे धरणी समझ ही न पायी, न रोई, न कुछ बोली, बस शून्य में ताकती रही। उसका हौसला ही टूट गया था जैसे, क्योंकि अम्मा ही थी जिसने मदन के दूर हो जाने के बाद उसका साथ दिया था हमेशा। चौथे दिन मदन शहर लौट गया, तेरहवीं के दिन वापस आने की बात कहकर, सब रिश्तेदार और गाँव वाले भी अपने–अपने कामों में लग गए, तब जाकर धरणी को महसूस हुआ घर का खालीपन और अम्मा की तस्वीर को छाती से लगाकर फूट–फूट कर रोई।

अम्मा को गए सवा महीना ही हुआ था और घर में रस्में चल रहीं थी कि अचानक बाहर शोर सुनकर धरणी चौखट तक गयी तो देखा गाँव के कुछ बड़े–बूढ़े एकत्रित होकर उसी के घर की ओर आ रहे थे। आगे–आगे सरपंच का बेटा संतोष हाथ में अखबार लहराता हुआ चल रहा था।

'काका ओ काका ! जरा बाहर तो आओ, ए देखो हम क्या लाये हैं ...', धरणी की ओर देखकर कुटिलता से मुस्कुराया संतोष और सीधा आँगन में चला आया।

गाँव के लोग सब आपस में खुसर–पुसर कर रहे थे और जैसे ही बाबूजी कमरे से बाहर आये, संतोष ने अखबार उनकी तरफ बढ़ा दिया।

'बेटा मैं कहाँ पढ़ना जानता, तू ही बता दे क्या छपा है अखबार में', बाबूजी बोले।

'अरे काका क्या लिखा, क्या नहीं, ये तो फोटू देखकर ही समझ आ जाएगा, देखो तो सही क्या शानदार फोटू छपा है मदन भैया का गोरी मेम जैसी भौजाई और राजकुमार जैसे बेटे के साथ', कहकर जैसे बम ही गिरा दिया था संतोष ने।

बाबूजी को काटो तो खून नहीं ! चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, जब भीड़ में से किसी ने कहा, 'मदन ने ये ठीक नहीं किया धरणी के साथ, पर अब ये किस हक से रह रही है घर में ? क्या मदन अब भी इसे पत्नी मानता है ?'

तभी एक दूसरी आवाज आयी, 'काका जी इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, इस बेचारी के साथ बहुत जुल्म किया, बच्चियों का भी नहीं सोचा मदन भैया ने ?'

कल तक जिन लोगों की नजरों में स्नेह देखा था धरणी ने, आज वही उसे दया की दृष्टि से देख रहे थे। कुछ नजरें उसे ऊपर से नीचे तक नापती हुई भी दिखीं, जैसे उसके अंदर खामियाँ तलाश रही हों, जिससे मदन की बेवफाई का कारण जान सकें।

उस क्षण धरणी को अपनी बेबसी पर रोना आया पर जब बाबूजी पर नजर पड़ी तो उनकी नीची नजर देख खुद को संभाला और बोली, 'बाबूजी आप अंदर चलिये...और आप सभी अपने घर जाने की कृपा करें, ये हमारे परिवार का मामला है हम संभाल लेंगे।' कभी मुँह न खोलने वाली धरणी को यूँ बोलते सुन बाबूजी भी हैरान थे और गाँव वाले भी, परंतु उस समय सब वहाँ से चले गए।

छोटे से गाँव में बात बिजली की गति से फैल गयी। गाहे बगाहे अलग–अलग बातें धरणी तक आती पर उसने परिवार की इज़्ज़त की खातिर चुप रहने में ही सबकी भलाई समझी। फिर एक दिन उसके सब्र का बाँध टूट गया, जब चार घर आगे रहने वाली श्यामली दोपहर में धरणी से मिलने आई। हालचाल पूछ कर वह बोली, 'धरणी एक बात कहूँ, बुरा तो न मानेगी ?' धरणी ने सर हिलाया तो आगे बोली, 'पास के गाँव में मेरा पीहर है और मेरे चाचा का लड़का है गोविन्द, तू कहे तो मैं रश्मि की बात चलाऊँ। 10वीं पास है। हाँ उमर में रश्मि से थोड़ा बड़ा है पर मर्द तो बड़ा भी होए तो चले है, है कि नहीं ? देख मदन भाई की बात ज्यादा फैल गयी तो छोरी का ब्याह करना मुश्किल हो जावेगा, जितनी जल्दी हो सके निपटा दे दोनों को।'

'क्या कह रही हो जीजी! रश्मि अभी 10 साल की ही तो होवेगी।' धरणी का कलेजा काँप गया।

अपनी छोटी सी बच्ची के ब्याह की बात सोचकर। उसका खुद का ब्याह 9 साल की उम्र में हो गया था और 17 साल में गौना कर ससुराल आ गयी थी। उसके बाद जो हुआ वह तो ज़ख़्म से नासूर बन चुका था उसके ह्रदय में।

'अरे हमारी बिरादरी में कोई नयी बात है क्या ? गोविन्द शहर पढ़ने जाने की कह रहा, तो चाचा उसका ब्याह करना चाह रहे जाने से पहले, फिर गौना तो बाद में कर देना तब–तक छोरी को कामकाज सिखा देना घर के', श्यामली बोली।

'रश्मि पढ़ने में अच्छी है, उसे पढ़ाऊंगी, इतनी जल्दी ब्याह नहीं करना उसका। कहीं उसके साथ भी मेरे जैसे....', धरणी का गला रुंध गया, अपनी बात भी पूरी न कर पायी।

'मैं तो तेरे ही भले के लिए कह रही थी, एक तो बाप नहीं साथ में, उस पर छोरी पढ़ गयी और कोई ऊंच–नीच हो गयी तो क्या करेगी तू अकेली औरत जात ? बात मान अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जा और चाचा जी तो ज्यादा दान–दहेज भी न मांग रहे। फिर रेखा की भी देखना ... छोरियां राजी खुशी अपने घर चली जावें तो तू भी गंगा नहा लेगी', श्यामली का एक–एक शब्द तीर सा चुभ रहा था धरणी के ह्रदय में।

'बस, जीजी वो घर का दरवाज़ा है, मेहरबानी कर अपने घर चली जाओ और फिर कभी मेरी बच्चियों की चिंता मत करना। बाप न हो साथ, माँ अभी मरी नहीं .... मेरी बच्चियाँ दूजी धरणी नहीं बनेंगी। हाथ जोड़ूं आप जाओ अब।' कहकर धरणी भीतर कमरे में चली गयी और कुण्डी लगा कर फफक पड़ी।

जिसका धणी–धोरी कोई नहीं, उस पर हक जमाने हर कोई खड़ा हो जाता है। यही हाल धरणी का हो चला था। जब से मदन ने मुँह मोड़ा था और फिर गाँव में बात फैली, तब से लोगों की नज़रें ही बदल गयी थीं। जो लोग कल तक बड़े साहब की बीबी बोलकर इज़्ज़त देते थे, वही आँखें अब आते–जाते धरणी के बदन को नापती हुई दिखती। सांवले रंग परंतु तीखे नैन–नक्श की धरणी दो बेटियों की माँ होकर भी गाँव की युवा लड़कियों को मात देती थी खूबसूरती में। गाँव की संकरी गलियों में आते–जाते कोई उससे बतियाने की कोशिश करता, और बतियाने और मदद करने के बहाने छूने की। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी... गाँव के हाट से घर का सामान लेकर लौट रही धरणी को ध्यान आया कि रेखा को नए जूते दिलाने है तो सोचा स्कूल से ही उसे जूते पहनाने ले जाए। गाँव के स्कूल का रास्ता खेतों के बीच से जाता था। अभी धरणी आधे रास्ते भी नहीं पहुँची थी कि खेतों के बीच से एक दबी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। पहले तो उसको लगा कोई जानवर होगा, पर थोड़ा ही आगे चली थी कि फिर एक घुटी सी चीख सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो।

तेजी से उसके कदम खेतों की ओर बढ़ चले पर बहुत देर इधर–उधर ढूँढ़ने पर भी जब कोई नहीं दिखा तो यह सोचकर कि उसे भ्रम हुआ होगा, वापस सड़क की ओर चल पड़ी और तभी उसकी नज़र एक स्कूल के बस्ते पर पड़ी। पास जाकर देखा तो तुरंत पहचान गयी वह रश्मि का बस्ता था जो रोज़ स्कूल लेकर जाती थी वह। बस्ते को वहीं पटक वह फिर तेज़ी से खेतों की ओर दौड़ पड़ी और जोर से रश्मि का नाम पुकारते हुए इधर–उधर ढूँढने लगी। हाथ में एक बड़ा पत्थर भी उठा लिया था उसने। उसका दिल दहल गया था यह सोचकर कि कहीं कोई जंगली जानवर न घुस आया हो और उसकी बच्ची की जान खतरे में हो।

बदहवास सी दौड़ती हुई जैसे ही वह गन्ने के खेतों की ओर बढ़ी तभी उसे एक जूता दिखाई दिया। वह उसकी लाडली का जूता था। वह बिजली की गति से खेतों में घुस गई और वहाँ गन्ने की फसल के बीचों बीच जो दृश्य देखा, उससे उसके होश खो गए। कुछ क्षण के लिए सन्न रह गयी वह। रश्मि अर्धनग्न अवस्था में और उसके ऊपर झुका हुआ संतोष। जोर से चीखी धरणी और आव देखा न ताव हाथ का पत्थर संतोष की पीठ पर दे मारा। अचानक हुए इस हमले से संभल पाता संतोष, तब–तक धरणी ने पास ही पड़ा एक गन्ना उठाया और उससे उसके सर पर तगड़ा–सा वार कर दिया और फिर उसका

हाथ रुका ही नहीं। तब–तक रश्मि रोती हुई माँ से लिपट गयी थी और बेटी को संभालती धरणी। इसी बीच संतोष भाग छूटा था। बेटी को अपनी ओढ़नी में छुपा कर घर की ओर बढ़ चली धरणी, आँखों में पीड़ा और क्रोध के आंसू थे और दिल में दहशत कि अगर समय पर न पहुँचती तो उसकी मासूम बच्ची के साथ आज न जाने क्या होता।

सहमी, सुबकती रश्मि को जैस–तैसे घर लेकर पहुँची धरणी तो यह देखकर हैरान रह गयी कि घर में जमघट लगा है लोगों का। सामने देखा तो संतोष बैठा गाँव वालों के साथ बतिया रहा था। धरणी को आता देख संतोष जल्दी से उठकर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, 'तेरे चुप रहने में ही छोरी की भलाई है, अभी तक छोरी साफ सुथरी है पर तेरी जुबान खुली तो बदनामी जरूर होवेगी और फिर कौन ब्याह करेगा इससे। इसीलिए तू भी चुपचाप रह और मैं भी मेरे रास्ते चला जाऊँगा चुपचाप।' फिर थोड़ी ऊँची आवाज में बाबूजी की ओर देखकर बोला, 'चाचाजी लो आ गयी भौजाई और छोरी, मैंने कहा था न दोनों आ जावेंगी। अब मैं तो चलूँ, थोड़ी मरहम पट्टी कराकर घर जाऊँगा। आप छोरी को संभालो, बहुत डर गयी है।' रश्मि डरी सहमी अपनी माँ से लिपटी आँखें बंद किये खड़ी थी।

संतोष के साथ गाँव वाले भी चले गए। जब धरणी बाबूजी के पास आई तो वह बोल पड़े, 'बहु रश्मि ठीक तो है न ? उस जंगली जानवर ने इसे चोट तो नहीं पहुंचाई ? भला हो संतोष का, जो वहाँ समय पर पहुँच गया और बिटिया को अपनी जान पर खेल कर बचा लिया।'

बाबूजी की बात सुनकर धरणी का सर चकरा गया था। उसके कलेजे में आग लग गयी संतोष की मक्कारी देखकर, पर अपनी मासूम सहमी बच्ची को देखकर उस समय उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। सरपंच के बेटे के खिलाफ उस समय वह कुछ कह भी देती तो कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उल्टा उसकी बच्ची बदनाम हो जाती। उसके और रश्मि के अलावा कोई और सबूत भी तो नहीं था संतोष के कुकर्म का। जाने कौन से जानवर की कहानी गढ़ कर संतोष ने सबकी आँख में आसानी से धूल झोंक दी। उसने अपनी बच्ची की रक्षा तो कर ली उस समय, पर उसके अपराधी को सजा नहीं दिला पाने की मजबूरी, उसको मन ही मन खाए जा रही थी।

रात को दोनों बेटियों को सुलाने के बाद उसकी आँखों में नींद नहीं थी। सोच रही थी आज तो बेटी को बचा लिया पर आखिर कब तक संतोष जैसे दरिंदों से दोनों को बचा पाएगी। खुद की और आने वाले तानों को सह भी गयी परन्तु इन दोनों की रक्षा किस तरह करेगी। फिर मन ही मन एक फैसला करके बिस्तर पर लेट गयी, बेटियों के पास और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगी।

अगली सुबह बहुत खामोशी से आयी, शायद उसे भी आने वाले तूफान का अंदेशा था। धरणी ने आज एक अरसे बाद शीशे में खुद को निहारा, नया लहंगा–चोली पहना, बाल करीने से काढ़े और थोड़ा श्रृंगार भी किया। बाबूजी का सामना न हो इसलिए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गयी। सर पर पल्लू लिए और पल्लू का कोना मुँह में दबाये तेज कदमों से सरपंच के गोदाम की ओर चली जा रही थी वह। गोदाम के सामने ही बरगद का पेड़ था, उसके पीछे छुपकर देखा तो संतोष कुर्सी पर बैठा अपने आदमियों से बात कर रहा था। करीब 10 मिनट के बाद वह उठा और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना हो गया। उसे वहाँ से उठते देखकर धरणी चुपके से आगे के कच्चे रास्ते पर पहुँच गयी जो सरपंच के खेतों की ओर जाता था। जब संतोष वहाँ पहुँचा तो धरणी को यूँ बीच सड़क खड़े देखकर रुक गया। एक बार नजर पड़ी तो हटा न सका और पास जाकर बोला, 'क्या बात है धरणी आज तो सवेरे–सवेरे भाग्य खुल गया मेरा जो तेरे दर्शन हो गए, यूँ रास्ते पर खड़ी किसका इंतजार कर रही है ?'

'तेरा ही इंतजार कर रही थी संतोष, कुछ कहना था अकेले में तेरे से', धरणी मुस्कुराते हुए बोली।

'क्या कहना है बोल न, इसी बहाने दो घड़ी तुझे नजर भर देख भी लूंगा', बेशर्मी से आँख मारते हुए संतोष बोला।

'यहाँ तो सब आते जाते हैं कहीं शांति से बैठकर बाते कर लें', धरणी लजाते हुए बोली।

'हाँ ठीक बोली चल खेत वाले कमरे पर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा अभी', धरणी का ये बदला हुआ रूप देख संतोष हैरान भी था और मन ही मन खुश भी।

धरणी से आने की कहकर वहआगे बढ़ गया और धरणी जब खेत पर पहुँची तो संतोष खाट बिछा रहा था कमरे में। चादर डाल कर बैठने का इशारा किया उसको तो धरणी एक किनारे पर बैठ गयी, पाँव लटका कर। संतोष कुछ बोलता इससे पहले ही धरणी बोल पड़ी, 'कल जो हुआ उसी के लिए माफी मांगने आयी हूँ तुझसे, तेरे पर हाथ उठाया पर मैं भी क्या करती तूने जो रश्मि के साथ किया वो भी तो सही नहीं था न ? मैं तो तेरे को इतना पसंद करती थी और तूने मेरी बेटी को ही ...छी ! अब क्या सोचूँ तेरे बारे में तू ही बता दे ?'

'मुझे माफ कर दे धरणी ! जाने मेरी बुद्धि में क्यों पत्थर पड़ गए जो ऐसा कर बैठा। मैं तो तुझे कब से पसंद करता हूँ पर तूने ही कभी भाव नहीं दिया। मुझे क्या पता था कि तू भी मन ही मन मुझे पसंद करती है वरना रश्मि तो मेरी बेटी जैसी है। चल अब माफ कर दे और तू है तो कोई और का क्या करना मुझे ? 'संतोष धरणी के बाजू में आ बैठा था खाट पर'..... 'पर तू रश्मि को कैसे ले गया अपने साथ, वो तो सहेलियों के साथ जाती–आती है स्कूल ?' धरणी ने पूछा।

'अरे वो तो छोरी को मैं बोला कि तेरी माँ ने खेत पर बुलाया है, उधर ही जा रहा हूँ आ जा छोड़ दूंगा।' संतोष बेशर्मी से बोला, 'पर अब ये सारी बातें छोड़ तू है तो और कोई का क्या करना, बस तू मुझे खुश करती रह, मैं तुझे खुश रखूँगा। तेरे लिए सब करूँगा जो तू चाहेगी मेरी जान' कहकर। उसने धरणी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया।

एक झटके से धरणी उठ खड़ी हुई और कमर में छुपाया चाकू निकाल संतोष की गर्दन पर रख दिया, 'नीच ! तेरे जैसे दरिंदे पर धरणी थूके भी नहीं जो मासूम बच्चियों पर गन्दी नज़र रखता है। ये सब नाटक तो सारे गाँव वालों तक सच पहुँचाने के लिए था, ताकि उनकी आँखों पर पड़ा पर्दा तो हटे और फिर कभी तेरे जैसे नीच किसी छोरी को गन्दा करने की सोच भी न सकें।'

'अच्छा और तुझे लगता है गाँव वाले तेरी बात का विश्वास कर लेंगे ? जा जाकर बोल दे जो बोलना है।' संतोष ठहाका लगाते हुए बोला।

'मेरी नहीं तेरी बात का तो करेंगे न ? बाहर नज़र घुमा कर देख ज़रा', कहते हुए धरणी ने दरवाजा पूरा खोल दिया था।

बाहर का नजारा देखते ही संतोष के चेहरे का रंग उड़ गया। गाँव के लगभग हर घर का कोई न कोई सदस्य वहाँ मौजूद था।

धरणी बाहर आकर अपनी पड़ोसन और सखी शुभा के गले लग गयी, आखिर उसी के साथ ने तो इतनी हिम्मत दी थी धरणी को। पिछली शाम उसी को सारा सच बताने की हिम्मत जुटा पायी थी धरणी और उसी के दिए हौसले ने उसको यहाँ तक पहुँचने में मदद की थी। जब धरणी अपने ध्येय की ओर बढ़ी तब शुभा ने ही सब गाँव वालों को इकठ्ठा कर वहाँ लाने का बीड़ा उठाया था। अपनी बेटी की इज़्ज़त और स्वयं को भी दाँव पर लगाया था उसने ताकि फिर कोई रश्मि अपनी मासूमियत को न खोए संतोष जैसे दरिंदों के कारण। उस दिन गाँव के हर व्यक्ति की नज़र में धरणी की एक अलग छवि बन गयी, और वो नज़रें खुद–ब–खुद झुक गयी थीं, जो कभी उसे शूल सी चुभा करती थीं। धरणी के नए जीवन का आरम्भ था ये, एक ऐसे सफर की शुरुआत जहाँ परीक्षाएं कुछ और भी होंगी मगर वो थमेगी नहीं क्योंकि अब वो अकेली नहीं... हम और आप सब साथ हैं उसके सफर में....

–2/577, एस.एफ.एस. फ्लैट्स, जवाहर नगर, जयपुर–302004 (राजस्थान), मो. : 9828708755

स्वच्छता का दर्शन

–शरद नारायण खरे

स्वच्छता व्यक्तिगत व सामुदायिक दोनों प्रकार की होती है। अपने घर, परिवेश व बस्ती को साफ–सुथरा रखने से ही निरोगी काया का निर्माण होता है। स्वच्छता व स्वास्थ्य का संबंध अत्यंत गहरा है।

मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य कूड़ा–कचरा, मल–मूत्र विसर्जित व अवशिष्ट साम्रगी सुनिश्चित स्थान व दूरस्थ स्थलों पर फेंकता रहा है। पर यह भी आवश्यक है कि घर के साथ ही, मोहल्ला, कॉलोनी, बस्ती व गांव–नगर का बाहरी क्षेत्र भी गंदा, प्रदूषित व विशेषकर मल–मूत्र विसर्जन से मुक्त होना चाहिए। अन्यथा अनेक व्याधियों, विकारों व दुष्परिणामों की रचना होगी। जब मानव शिक्षित सभ्य व आधुनिक नहीं था, तब अनेक प्रकार की विकृतियां उसके मस्तिष्क में थीं, जिसके अनुसार वह कहीं भी खुली जगह पर कूड़ा स्थल बना लेता था और खुले में ही मलत्याग करने को श्रेष्ठता का विषय मानता था। पर अब आधुनिक युग में समझदारी व एक सुलझा हुआ विवेकपूर्ण नजरिया हर एक से अपेक्षित है।

वैसे यह सत्य है कि स्वच्छता एक चिंतन है, एक भावना है, एक जज़्बा है, एक अनुशासन है, एक विचारधारा है, एक चेतना है, एक संस्कार है। और जो व्यक्ति आंतरिक रूप में जागरूक है, चेतनाशील है वह सदैव स्वच्छता की रचना करता है। अतंर्मन की शुद्व ता से लेकर, व्यक्तिगत, सामाजिक, सामुदायिक व सार्वजनिक स्वच्छता का उद्देश्य लेकर आचरण करना व इस दिशा में व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयास करना स्वच्छता हेतु आवश्यक है।

वस्तुतः स्वच्छता के लिए मनोवैज्ञानिक चेतना व वैचारिक सजगता की आवश्यकता होती है। जब मन में जागरण होता है तभी व्यक्ति समाज के हित में कोई कार्य कर पाता है। वैसे तो मानव स्वभाव से स्वच्छता प्रेमी होता है, पर संकीर्ण सोच, परंपराओ, आदि के कारण मनुष्य प्रायः अस्वच्छता के पथ पर आगे बढ़ जाता है। अस्वच्छता एक ऐसा विकार है, जो अनेक प्रकार की व्याधियों, दुष्प्रभावों व विसंगतियों की रचना करता है। मानव मल–मूत्र विसर्जन की प्राकृतिक प्रवृत्ति रखता है, पर यह कार्य उचित स्थान पर होना चाहिए तथा स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही अवशिष्ट सामग्री उचित स्थान पर फेंकी जानी चाहिए।

सिंधु घाटी की सभ्यता (हड़प्पा) में हमें स्नानघर, नालियां व कूड़ा फेंकने के निर्धारित स्थान प्राप्त हुए हैं। इससे यह सिद्व होता है कि मानव सदैव स्वच्छता की मानसिकता रखता है, पर अविवेक के कारण खुले में

शौच जाने की प्रवृत्ति व कचरा कही भी फेंक देने की मानसिकता भी हमें पल्लवित–पोषित दिखाई देती है। अतीत में जो प्लेग, मलेरिया, चेचक, कालाजार आदि महामारियां फैलती थीं, उसके मूल में कहीं न कहीं से अस्वच्छता भी एक कारण थी।

दरअसल इस अस्वच्छता को एक सामाजिक अभिशाप व प्रकोप के रूप में लिया जाना चाहिए। यह अस्वच्छता हमारी सामाजिक प्रगति में भी बाधक़ है। अस्वच्छता एक सामाजिक प्रकोप है। वास्तव में स्वच्छता एक वरदान है, एक नेमत है, क्योकि स्वच्छता से ही उत्तम स्वास्थ्य की रचना होती है। यह यथार्थ है कि स्वच्छता एक प्रवृत्ति होती है। यह एक प्रकार की चेतना है, एक प्रकार का आत्म जागरण है। जागरूक लोग व्यक्तिगत, पारिवारिक से लेकर सामुदायिक–सामूहिक स्वच्छता तक के लिए जाग्रति का प्रसार करते हैं।

स्वच्छता, सामाजिक चेतना व दलितोत्थान– कालांतर में कुछ लोग मैदान/खुले में शौचकार्य करके अस्वच्छता को पल्लवित–पोषित करते रहे, तो कुछ लोग शुष्क शौचालयों के माध्यम से सिर पर मैला ढोने की प्रक्रिया को आगे बढाते रहे। जिसके कारण समाज का एक वर्ग शोषित व पीड़ित होता रहा। पर फ्लश–शौच ने स्वच्छता मिशन को एक नवीन रूप प्रदान किया। उससे दलितोत्थान को भी एक नवीन रूप प्राप्त हुआ। यह सच है कि अस्वच्छता के विरूद्व हाल ही के वर्षों में समझ विकसित हो पाई है। स्वच्छता को मिशन मानकर कार्य करने से न केवल सामुदायिक भावना का विकास होता है बल्कि एक ''स्वच्छता क्रांति'' की रचना भी होती है, और समाज के दलित, उत्पीड़ित, शोषित जनों को उत्थान का अवसर भी प्राप्त होता है और वे विकास की मुख्य धारा से जुडने में समर्थ भी होते हैं।

स्वच्छ भारत अभियान–हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का ''स्वच्छ भारत अभियान'' स्वच्छता की चेतना प्रसारण व व्यावहारिक रूप में साफ–सफाई के कार्यों पर निर्भर है। निर्मल ग्राम,निर्मल भारत पर केंद्रित यह मिशन स्वच्छता, साफ–सफाई व निर्मलता के संबंध में बौद्विक–चेतना का संचार करता

है। वस्तुतः साफ–सफाई/स्वच्छता का सबक बच्चों को सबसे पहले उनके अभिभावकों द्वारा ही सिखाया जाना चाहिए। फिर स्कूलों, कॉलेजों द्वारा स्वच्छता की सीख दी जानी चाहिए। वैसे स्वच्छता कोई ज़ोर–ज़बरदस्ती द्वारा कराया जाने वाला कार्य नहीं है बल्कि स्वच्छता की भावना अतंर्मन से ही एक आवेग के रूप में उत्पन्न होनी चाहिए।

प्रतिदिन के जीवन में स्वच्छता व साफ–सफाई का एक प्रवृत्ति के रूप में विकास होता है। मुंह–दांत साफ करने से लेकर, स्नान, शारीरिक स्वच्छता, पारिवारिक स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता ग्राम–स्वच्छता, नगर स्वच्छता, आदि का व्यापक प्रचार–प्रसार तो होना ही चाहिए। इसके लिए समर्पित ढंग से कार्य किए जाने चाहिए।

अस्वच्छता चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, अनेक दुष्परिणामों/विचारों/विकृतियों/प्रतिकूलताओं को जन्म देती है। वास्तव में अस्वच्छता एक सामाजिक अभिशाप है, एक सामाजिक समस्या है, एक सामाजिक विकार है। इसके विरूद्व एक ''समग्र जन क्रांति'' होनी ही चाहिए। इस दिशा में ग्राम पंचायतों/नगर पंचायतों/नगरपालिकाओं की अहम भूमिकाएं हो सकती हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि घर, पास–पड़ोस, मुहल्लों, गलियों, सडकों से लेकर सार्वजनिक–स्थलों, मैदानों आदि में साफ–सफाई के कार्य को व्यावहारिक

रूप में अंजाम दिया जाए। वास्तव में स्वच्छता का संस्कार विकसित किया जाना चाहिए। पर बहुत बार अंधता के चलते लोग अस्वच्छता का वरण करके स्वयं भी अभिशाप भोगते हैं, और दूसरों को भी अभिशाप भोगने को विवश कर देते हैं।

वास्तव में यह सत्य है कि कोई भी उद्देश्य तब–तक पूर्ण नहीं होता जब–तक कि सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से उसकी पूर्ति हेतु कार्य न करें। ''निर्मल भारत अभियान'' अब ''स्वच्छता मिशन'' का रूप ले चुका है, जिसमें जन–जन की भागीदारी अति आवश्यक है। महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगाँठ वर्ष 2019 तक इस स्वच्छता के कार्य को चरम तक पहुंचाकर उद्देश्य को हासिल करना है।

सबसे प्रमुख बात यह है कि शुष्क शौचालयों को पूर्णरूपेण समाप्त किया जाए, कचरे का प्रबंधन किया जाए। गांवों व झुग्गी–झोंपड़ियों वाले नगरीय क्षेत्रों में पक्के–शौचालयों का निर्माण किया जाए तथा मल के पुनर्चक्रीयकरण (रीसाइकलिंग) व विसर्जित पदार्थों/अवशिष्ट सामग्री/पानी/कचरे के प्रबंधन का कार्य सुमचित व सही तरीके से किया जाए।

परिवार के लोग परिवार को स्वच्छ रखें, मुहल्ले के लोग मुहल्ले को स्वच्छ रखें, कार्यालय के लोग कार्यालय को, गांव के लोग गांव को और नगर के लोग नगर को स्वच्छ रखें। स्थानीय निकायों, समाजसेवियों, गणमान्यों, अशासकीय–संस्थाओं की भूमिका स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर सारे देशवासियों ने झाड़ू पकड़कर स्वच्छता में अपनी आस्था दिखाई, पर अब यह कार्य सतत् व सघन रूप में आत्मप्रेरणा से होना चाहिए।

पूज्य बापू के उपरांत मोदी जी ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्होंने स्वच्छता का संदेश व्यापक रूप में देकर समस्त देशवासियों को जाग्रत किया है। स्वच्छता का कार्य साफ–सफाई से प्रारंभ होकर, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, नालियों की सफाई, विसर्जित पदार्थों के प्रबंधन, रीसाइकलिंग, पक्के शौचालयों के निर्माण, पर्यावरण की

सुरक्षा तथा स्वच्छता की जनजाग्रति तक जाता है। हर गांव–नगर निर्मल हों, स्वच्छ हों, कहीं पानी का भराव–जमाव न हो, मच्छर न पनपें। जीवाणुओं–विषाणुओं की व्याधियां, जो अस्वच्छता से उत्पन्न होती हैं, न जन्में। स्वच्छ व निर्मल समाज अस्तित्व में आये– यही मिशन का उद्देश्य है।

सुलभ इंटरनेशनल के कार्य व स्वच्छता अभियान – पद्मविभूषण माननीय डॉ. बिन्देश्वर पाठक जी ने ''सुलभ–इंटरनेशनल'' के माध्यम से स्वच्छता को एक नई परिभाषा दी है, व स्वच्छता के नये मायने गढ़े हैं। यह अपने आप में अद्वितीय है। जगह–जगह स्थापित सुलभ शौचालयों ने स्वच्छता की दिशा में, समाज के उपेक्षित वर्ग के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

अंत में, अपरिहार्य यही है कि हम सब स्वच्छता के पावन संदेश को आत्मसात कर अपने व्यावहारिक आचरण को कुछ इस प्रकार से क्रियात्मकता में परिवर्तित करें, जिससे कि ''स्वच्छ भारत'' ''स्वर्णिम भारत'' बनकर एक नवल रूप में दृष्टिगोचर हो।

– आज़ाद वार्ड, मंडला (म.प्र.) मो. : 9425484382

आत्मकत्थ्य

पढ़ा खूब पर नहीं भरा मन

–प्रमोद दीक्षित

पढ़ना एक संस्कृति है, जीवन का कोमल मधुमय गतिमान प्रवाह है। यह यात्रा है स्वयं को जानने और दूसरों को समझने की। पढ़ना न केवल विविध विचारों से पाठक को जोड़ता है बल्कि उसके नवीन विचारों को चिन्तन–पथ पर सहजता के साथ ले भी चलता है। पढ़ने में जहां शहरी जीवन का खुरदरापन है तो वहीं लोक जीवन की मिठास और सौन्दर्य भी। पढ़ना–लिखना व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में निर्माण करना है। उसे स्वयं में झांकने की शक्ति और प्रेरणा देता है। वह उसे गढ़ता है, रचता है। मेरी पढ़ने–लिखने की यह यात्रा बचपन में शुरु हो गई थी जो तमाम बाधाओं, दुश्वारियों, चुनौतियों से जूझते, टकराते आज भी चल रही है और जब तक सांस है चलती रहेगी क्योंकि इसमें जीवन का वास्तविक आनन्द है, रस है, माधुर्य है और जीवन जीने की संतुष्टि भी।

पढ़ने के साथ लिखना भी प्राथमिक कक्षाओं में रहते हुए ही शुरु हो गया था। हालांकि तब यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि पढ़ना–लिखना क्या है ? लेकिन स्कूली किताबों के अलावा जो कुछ भी पढ़ पाया उसने मुझे एक बेहतर नागरिक बनने या होने में मेरी भरपूर मदद की। एक शिक्षक के रूप में अपने स्कूल में आज जो भी नया कर पा रहा हूं उसमें बालपन से अब–तक पढ़ी गई किताबों से उपजी साझी समझ का बहुत बड़ा योगदान है। पढ़ने ने मुझे शब्द–सम्पदा का धनी बनाया, लेखन में एक अपनी शैली विकसित करने में सहारा दिया और चीजों को समझने की दृष्टि भी भेंट की। मेरा भाषा और गणित का आरम्भ एक साथ हुआ बल्कि यह कहना कहीं अधिक ठीक रहेगा कि दोनों प्रत्येक व्यक्ति के शुरुआती सीखने में साथ–साथ चलते हैं। शब्द राह दिखाते हैं, अक्षर लुकाछिपी का खेल खेलते–खेलते नये शब्द रचवा लेते हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखता और विचार करता हूं कि पढ़ने–लिखने की शुरुआत कब कैसे कहां हुई तो तीन छोर नजर आते हैं। तो अभी मैं एक छोर पकड़ कर आपको ले चलता हूं अपने गांव बल्लान।

बल्लान, जिला मुख्यालय बांदा से यही कोई चालीस किमी दूर पूरब की ओर बसा मिश्रित आबादी का मेरा गांव जहां मैंने अपनी आंखें खोलीं और जीवन की किताब का पहला पन्ना भी। घर के चारों ओर खेतों में भैंसलोट, परसन, तुलसी भोग, महाचिन्नावर धान की पसरी खुशबू मन मोह लेती। पत्तियों और घास पर पड़ी ओस की बूंदें चमकतीं और 3–4 वर्ष का मैं उनके

मोहपाश में बंधा गिन–गिन कर हथेली में भर लेना चाहता। पर हर बार मेरे हाथ रिक्त होते और आंखें भरी। दादी, जिन्हें सब सम्मान से पंडिताइन दाई कहते थे, टोकतीं, 'तुमने ज्यादा ले लिया ना, दूसरे बच्चे का हिस्सा भी। इसीलिए मोती टूट गये, समझे।'' और फिर गिनकर चार–पांच मोती मेरी हथेली पर रख देतीं, एक के बाद एक। बहुत बाद में जान पाया कि दादी ने तो गणित का जोड़–घटाव ही नहीं पढ़ा दिया था बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का सूत्र भी अन्तर्मन में कहीं गहरे उतार दिया था कि प्रकृति से थोड़ा और अपने हिस्से का ही लो। तो दादी ऐसे ही गाय, भैंस, बैल, कंडे, टोकरी, थाली, कटोरी गिनाते मुझे नौ तक गिनती सिखा पायीं। बहुत बाद में पता चला कि दादी ने तो कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, कभी स्कूल का गेट ही नहीं लांघा।

दूसरा छोर, मेरी माता जी श्रीमती रामबाई, जिन्हें हम सब भाई बहन अम्मा कह के बुलाते हैं, ने दादी की सिखावन की कड़ी को आगे बढ़ाया। कहीं से मिल गई फटी 'हिन्दी बाल पोथी' के अक्षर और तरह–तरह के चित्रों से प्रथम परिचय अम्मां ने ही करवाया। नहला–धुला के बखरी में बैठा पोथी पकड़ा देतीं और स्वयं वहीं घर के काम करती जातीं। जांत में गेहूं पीसना हो, आंगन में सूखने के लिए धान फैलाना या फिर 'काणी' में बगरी कूटना। महीनों मैंने केवल वर्णमाला सिखाने वाले उन अनगढ़ चित्रों को ही देखने में बिताया। अम्मा चित्रों को पहचान कर उनके नाम उच्चारण करतीं और मैं दुहराता रहता। ऐसा करते वे मुझे याद हो गये। घर के सामने की धूल भरी धरती मेरी पाटी बनी और अम्मा ने मेरी उंगली को कलम बनाकर मुझे पहला अक्षर 'क' बनाना सिखाया था। जाड़े के मौसम में दरवाज़े में उगी दूब ओस से नहाई होती और मैं दूसरे बच्चों के साथ अपनी उंगली से वर्णमाला का कोई अक्षर या चित्र बना रहा होता था। जब मुझे समझ विकसित हुई तो आश्चर्य हुआ कि मेरी मां ने बहुत कम पढ़ा–लिखा, कक्षा दो तक, होने के बावजूद मुझे अक्षर ज्ञान कराया। शायद उनके मन में उनके स्वयं के न पढ़ पाने की टीस मुझे पढ़ाने के लिये प्रेरित करती रही होगी और यह भी समझ में आया कि मेरे पढ़ने के साथ–साथ मेरी अम्मा का भी पढ़ना जारी था। बिना किसी के पढ़ाये हुये, बिना स्कूल गये बिना अम्मा ने हम बच्चों को पढ़ाते–पढ़ाते हिन्दी और संस्कृत भली भांति सीख लिया था। वह अंगरेजी में हम सबके नाम भी लिख लेने लगीं। इस सबने मुझे सदैव पढ़ने के लिये और नई–नई चीजें सीखने के लिये प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान किया। तीसरा छोर मेरी औपचारिक शिक्षा के प्रारम्भ से जुड़ा है। 6 साल का होते–होते मैं गांव की पगडण्डी छोड़ अध्यापक पिता के साथ अतर्रा कस्बे में आ गया था। मेरी पढ़ने की औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई। यहां पढने एवं सीखने का विस्तृत फलक मिला। मुझे अच्छी तरह से याद है कि स्कूल में होने वाली बाल सभा में मैं गीत कहानी सुनाया करता था। और ऐसी ही एक बाल सभा में एक शिक्षक द्वारा महाभारत के एक प्रसंग का रोचक वर्णन सुनकर मैंने अगले दिन उसको एकांकी के रूप में परिवर्तित कर उन शिक्षक को दिया था जिसे पढ़कर बहुत खुश हुए थे और मेरे पिताजी को भी यह बात बताई थी। घर में कोई साहित्यिक माहौल तो नहीं था पर पिताजी 'धर्मयुग' नियमित लाया करते थे, जिसे मैं चोरी–चोरी पढ़ लिया करता था। घर में लोहे का एक पुराना बड़ा संदूक था जिसमें किताबें भरी रहा करती थीं। बरसात बाद पिताजी किताबों को धूप दिखाते थे। चूंकि पिताजी श्री मन्नूलाल संस्कृत महाविद्यालय, अतर्रा में साहित्य के शिक्षक थे, अधिकांश किताबें संस्कृत भाषा में थीं, कुछ हिन्दी में भी पर सब मोटी–मोटी और जिल्द वाली। ये किताबें मुझे अपने पास बुलातीं, मेरा मन खींचतीं थीं। मैं जानने को उत्सुक था कि उनमें क्या है। सन् 1981 की गर्मियों के आलस भरे लम्बी छुट्टी के दिन, कक्षा छह उत्तीर्ण करने के कारण कुछ विषयगत पढ़ने को था नहीं। कुछ न कुछ पढ़ने की आदत बन जाने के कारण मन में जिज्ञासा हुई कि संदूक में से कुछ निकाला जाये, पर पिताजी की डांट–डपट का डर। मन संदूक में रम गया था और एक दिन मौका पाकर धीरे से एक मोटी किताब निकाल ली। संयोग से वह कथा सम्राट प्रेमचन्द्र का श्रेष्ठ उपन्यास :गोदान' था। तो संस्कृत विद्यालय के परिसर में अपने घर के सामने लगे बरगद की छांव तले सात दोपहर में चोरी–चोरी गोदान पढ़ा। गोदान में वर्णित तत्कालीन परिस्थितियों ने बाल मन

पर गहरा असर किया और सामाजिक ताने–बाने को समझने की एक दृष्टि दी। शायद यह उसी का प्रभाव था कि मेरी मित्रमंडली में मातादीन डोमार, भगवान दास रैकवार, रमेशचन्द्र कुम्हार, अनायास ही शामिल हो गये थे। तब अंकुरित हुए सामाजिक समरसता, समानता, सहिष्णुता, करुणा, न्याय एवं बन्धुत्व भाव आज विकसित होकर विस्तृत फलक को अपने में समेट लिए हैं। गोदान पढ़ने से उपजे आनन्द ने मुझे पिताजी के निजी पुस्तकालय 'संदूक' को पूरा खंगालने का भाव पैदा कर दिया। अगली पुस्तक जो हाथ लगी वह थी देवकी नन्दन खत्री का उपन्यास 'चन्द्रकान्ता'। गोदान के यथार्थ धरातल से बिल्कुल उलट कल्पना की दुनिया की भावभूमि में बुने 'चन्द्रकान्ता' ने मन को बांध लिया था। वृन्दावनलाल वर्मा की 'मृगनयनी' को कैसे भूल सकता हूं, ऐतिहासिक सन्दर्भों को कल्पना के तागे में पिरोकर पाठक के चित्त को चुरा लेने की कला का दर्शन भी तभी कर लिया था। फिर तो संदूक में डुबकी लगा लगाकर हिन्दी में कहानी, उपन्यास, एकांकी और संस्कृत साहित्य में कथा, नाट्य शास्त्र, आयुर्वेद, काव्य आदि को पढ़ डाला। मुझे संस्कृत आती नहीं थी तो श्लोकों के नीचे दिए उनके भावार्थ और व्याख्या पढ़ा करता था। कक्षा आठ पास करते–करते प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, भगवतीचरण वर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा, रामकुमार वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु और संस्कृत में भवभूति, वाणभट्ट, जयदेव, भारवि, कालिदास को पढ़ लिया था, जो किताबें संदूक में उपलब्ध थे। और हां, चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' की कहानी 'उसने कहा था' भी पढ़ी थी जो किसी अखबार के रविवारीय पन्ने में छपी थी और आज भी जिसकी कटिंग मेरे पास सुरक्षित है। फिर तो पढने का ऐसा चस्का लगा कि ऊँची कक्षाओं की हिन्दी पुस्तकें, नई पुरानी पत्रिकाएं, कॉमिक्स खोज–खोज कर पढ़ने लगा। इसी दौरान अखबार पढ़ने की भी रुचि जागी। मैंने जिस कालेज में कक्षा छह में प्रवेश लिया, वहां के एक शिक्षक साप्ताहिक 'पांचजन्य' का काम देखते थे और हमारे पड़ोसी संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य को देने के लिए एक प्रति मुझे दे दिया करते थे। देने से पहले मैं उसे पढ़ लिया करता था। इसके साथ ही संस्कृत विद्यालय में दो अन्य अखबार 'दैनिक जागरण' एवं 'दैनिक कर्मयुग

प्रकाश' भी आया करते थे। मैं अखबार वाले को ताके रहता था। ज्यों ही वह आफिस में अखबार डालकर जाता मैं बांस की एक बड़ी–सी पतली कैनी (डण्डी) से दरवाजे के नीचे से उसे निकाल लेता। पढ़ता, कुछ जरूरी जानकारी एक डायरी में नोट करता और पुनः आफिस में डाल देता। डायरी में नोट की गई उन सूचनाओं एवं जानकारियों ने मेरे सामान्य ज्ञान में वृद्धि की और आगे नौकरी प्राप्ति हेतु दी गईं प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध हुईं।

बचपन की पढ़ने की आदत ने मुझे नये–नये शब्दों से न केवल परिचित कराया बल्कि उनकी बनावट, वर्तनी, संदर्भ एवं प्रयोग की सम्यक् समझ भी दी है। पुस्तकों से लगाव इतना बढ़ गया है कि जहां कहीं भी जाना होता है तो चार–छह किताबें खरीद लाता हूं। 15–20 पत्रिकाएं और दो अखबार नियमित घर आ रहे हैं। घर पर एक छोटा किन्तु महत्वपूर्ण पुस्तकालय बन गया है और यह पुस्तकालय हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसे पढ़ने की संस्कृति में विश्वास है। पढ़ना अब स्वभाव बन गया है। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मैं पढ़ने–लिखने का मौका ढूंढ़ लेता हूं और किसी दिन यदि कुछ पढ़–लिख नहीं पाया तो खालीपन महसूस करता हूं। नई–नई किताबों को पढ़ने की भूख और नया सीख पाने की ललक बहुत बढ़ गई है। इतना सब पढ़ने के बाद भी पढ़ने और लिखने से मन नहीं भरा।

–79/18, शास्त्री नगर, अतर्रा – 210201,
जिला–बांदा (उ.प्र.) मो. : 9452085234

विभागीय कर्मियों की रचनाएं :

मेक इन इंडिया और डिज़िटल इंडिया : भारत के बढ़ते कदम

–अभिनन्दन कुमार स्वर्णकार

क्षेत्रफल की दृष्टि से 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला भारत विश्व का सातवां सर्वाधिक बड़ा देश है, जहाँ विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत अनगिनत जातियों वाला देश है जहाँ कई धर्म–जातियों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। यहाँ सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती हैं। एक ओर जहाँ विश्व के कई देशों में एक ही धर्म के लोगों के होने के बाद भी शांति नहीं है। प्रायः दंगे–फसाद की खबरें सुनाई देती हैं वहीं भारत में इतने धर्म और जाति के होने के बाद भी लोग कुशलता और एकता से शांति के साथ जीवन यापन करते हैं। विश्वभर के लोगों ने भारत में भ्रमण किया और पाया कि विश्व में अगर कहीं शांति है तो वह देश भारत ही है। जहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है।

हमारे पड़ोसियों ने कई बार भारत की शांति भंग करने, हमें आपस में लड़ाने की पुरजोर कोशिश की पर वे सहर्षों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति, हमारी एकता को भंग न कर सके जो हमें एक साथ रहना सिखाती है। सबसे बड़ा धर्म मानवता का है हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। भारत विश्व के ज्यादातर देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए है।

भारत सर्वाधिक गाँवों वाला विशालतम देश है और मुख्यतः किसानों का देश माना जाता है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और अत्यंत गरीब है। जो अभी भी ज़्यादातर पुराने ढंग से खेती करते हैं विश्व के नवीनतम तौर–तरीके उनकी पहुँच से बाहर हैं। भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, निरक्षरता और पुराने तौर तरीकों से कार्य करना भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। भारत के लोगों की हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अधिकतर वस्तुएं विश्व के अन्य देशों से आयात करनी पड़ती हैं जिसमें देश की आय का एक बड़ा हिस्सा विदेशों को जाता है। दूसरी ओर यहाँ का उद्यमी विदेशों में अपने उद्योग स्थापित कर रहा है।

भारत सर्वाधिक युवाओं का देश है अर्थात यहाँ की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष के नीचे के लोगों की है। युवाओं का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है तथा रोजगार की समस्या दिन–प्रतिदिन विकराल रूप ले रही है। रोज़गार की खोज में गांवों में रहने वाले युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराना भारत के सामने एक बड़ी समस्या है।

देश की इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि विश्व का सर्वाधिक युवा हमारे पास है क्यों न आयात किये जाने वाला सारा सामान अपने देश में ही बनाया जाए जिससे हमारे देश के युवाओं को रोज़गार दिया जा सके और उन्होंने 'मेक इन इंडिया' और 'डिज़िटल इंडिया' जैसे कार्यक्रम शुरू किये।

आखिर क्या है मेक इन इंडिया एवं डिज़िटल इंडिया : मेक इन इंडिया का मतलब भारत में निर्माण करना एवं डिज़िटल इंडिया का मतलब – सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित अद्यतन तकनीकों से जन–जन को जोड़ना और इस दिशा में सरकार की नई–नई योजनाओं से देश के लोगों को अवगत् करा़ना है।

मेक इन इंडिया का मुख्य मकसद देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। देश में अधिक से अधिक घरेलू और विदेशी निवेशकों को एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराना है ताकि देश को विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करके अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर पैदा किये जाएं। युवाओं का कौशल विकास हो और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोका जा सके। इस कार्यक्रम की शुरूआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितम्बर, 2014 में की।

मेक इन इंडिया और डिज़िटल इंडिया का लक्ष्य विनिर्माण के क्षेत्र में 12–14 प्रतिशत तक की प्रतिवर्ष वृद्धि, वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन, ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीब लोगों के समग्र विकास के लिए समुचित कौशल का निर्माण, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, घरेलू मूल्य संवर्धन और विनिर्माण में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि तथा भारतीय विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता को सुनिश्चित करना है।

कोई भी उत्पादन क्षेत्र बिना कुशल जनशक्ति के सफल नहीं हो सकता इसलिए सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए नये–नये उपाय किये हैं। सरकारी मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमियता ने राष्ट्रीय कौशल पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन की शुरूवात कर दी है जिसके अंतर्गत देश में 1500 से 2000 तक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का कार्यक्रम है। जिसमें युवा वर्ग को उन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाएगा जिनकी विदेशों में मांग है। जिन देशों को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम बनाया गया है उनमें स्पेन, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, चीन ब्रिटेन और पश्चिम एशिया शामिल है। सरकार ने हर वर्ष लगभग तीन लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार से सरकार ने वर्ष 2017 तक 10 लाख ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करने का कार्यक्रम बनाया है।

अन्य उपायों में देश के छोटे से छोटे गाँव और कस्बों तक सड़क और बिजली पहुँचाने के साथ–साथ मुख्य संयंत्रों और मूलभूत सुविधाओं के विकास में संपर्क स्थापित करना और पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना, उच्च क्षमता की परिवहन सुविधा विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

प्रधानमंत्री की नज़र में उद्योगों का भला तभी होगा जब आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़े। ऑटोमोबाइल्स से एग्रो प्रोडक्टस, हार्ड वेयर से सॉफ्टवेयर, सेटेलाइटस से सबमरीन्स, टेलिविजन्स से टेलीकॉम, फार्मा से बायोटेक, पेपर से पावर प्लांटस, रोड से बिज़नेस, हाउसेस से स्मार्ट सिटीज, फ्रेडशिप से पार्टनरशिप, प्रॉफिट से प्रोग्रेस जो भी आप बनाना चाहें बनाएं – मेक इन इंडिया।

निश्चित रूप से मेक इन इंडिया और डिज़िटल इंडिया अभियान ने उद्योग/व्यापार जगत के साथ–साथ आम जनता को भी आकर्षित किया है। इसमें हम सभी से सहयोग की आशा है। भारत पहले ही दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी हाजिरी दर्ज करा चुका है। हम सभी को अपने लिए, अपने देश के लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए ताकि देश के कोने कोने में हमारी मूलभूत सुविधाएं जैसे – बिजली, पानी, सड़क, फोन, स्वास्थ सेवा आदि उपलब्ध रहे। कोई बेरोजगार न हो किसी को भूखे पेट न सोना पड़े।

वह दिन दूर नहीं जब 'मेक इन इंडिया' और 'डिज़िटल इंडिया' कार्यक्रम के माध्यम से भारत की गिनती विश्व के विकसित देशों में की जाएगी। समूचे विश्व में भारत का परचम लहराएगा उसके बढ़ते कदम विश्वभर के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे।

हिन्दी पखवाड़ा, 2017 के दौरान पुरस्कृत स्लोगन व आलेख

1

राष्ट्रीय एकता और हिन्दी

ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिन्दी
साहित्य का असीम सागर है ये हिन्दी
यूं तो देश की कई भाषाएं और भी हैं
पर राष्ट्र के माथे की बिन्दी है ये हिन्दी।

पर्यावरण सुरक्षा

आओ हम सब मिलकर करें यह प्रण
सदा स्वच्छ रखें अपना पर्यावरण।

– श्री अनील कुमार

2

राष्ट्रीय एकता और हिन्दी

हिन्दी में है दम,
हिन्दी से हैं हम।

पर्यावरण सुरक्षा

आओ मिलकर वृक्ष लगायें,
पर्यावरण को स्वच्छ बनायें।

– श्री जय प्रकाश

3

राष्ट्रीय एकता और हिन्दी

राष्ट्रीय एकता में हिन्दी
बनी उसके माथे की बिन्दी
हम सभी इसे अपनाएंगे
सभी इसका मान बढ़ाएंगे।

हिन्दी की सरलता और सहजता
हिन्दी इतनी सरल है
देश का मान बढ़ाती है
हो मन में दृढ़ विश्वास
सहजता से समझी जाती है।

– श्री प्रेमराज

4

वृक्षारोपण

नए पदार्थों का सृजन होगा।
हरियाली का परचम होगा।
वृक्षारोपण करो, धरती खुशहाल होगी।
नहीं तो विकास की कहानी पुरानी होगी।

पर्यावरण सुरक्षा

पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ
नई पीढ़ी को खुशहाल बनाओ।

– श्री मनीष भाटिया

5

आतंकवाद से मुकाबला

आतंकवाद है एक गंदा कीड़ा
इसे जड़ से मिटाना है।
रहे अमन शांति कायम
हर भारतीय का तराना है।

नारी स्वंतत्रता
अगर देश को है बचाना
तो बेटी बचाना व बेटी पढ़ाना।

– श्री विकास डबास

बढ़ती जनसंख्या, घटती महिलाएं : गुत्थी कैसे सुलझाएं

–दिवाकर

परिदृश्य बदल रहा है। महिलाओं की भागीदारी सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रुप से बढ़ रही है। महिला सशक्तिकरण हो रहा है। ये कुछ चुनिंदा पंक्तियां हैं जो यदा–कदा अखबारों में, टीवी न्यूज चैनलों में, नेताओं के मुँह से सुनी जाती रही हैं। अपने क्षेत्रों में खास उपलब्धियाँ हासिल करने वाली महिलाओं का उल्लेख कर हम महिलाओं की उन्नति को दर्शाते हैं। पर कुछ अद्‌भुत करने वाली महिला तो हर काल में रही है। सीता से लेकर द्रौपदी, रज़िया सुल्तान से लेकर रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर इंदिरा गाँधी, किरण बेदी, पी.वी. सिंधु, साक्षी मल्लिका अनेक नाम हैं परंतु महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ ? और आम महिलाओं ने परिवर्तन को किस तरह देखा ?

दरअसल असल परिवर्तन तो आना चाहिए आम लोगों के जीवन में। यहां जरुरत है कि उनकी सोच में परिवर्तन लाया जाए, उन्हें बदला जाए। आम महिलाओं के जीवन को सुधारा जाये उनके प्रति दुनिया की मान्यता बदली जाए। यही तो है असली सशक्तिकरण।

आज महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। शहर असुरक्षित होते जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा घटनाओं और कुछ मुट्‌ठीभर व्यक्तियों के कारण कई सारी अन्य महिलाओं के लिये बाहर निकलने के दरवाज़े बंद होते जा रहे हैं। आज जरुरत है उन बंद दरवाज़ों को खोलने की, रोशनी को अंदर आने देने की, प्रकाश में अपना प्रतिबिंब देखने की, निहारने की, निखारने की। इसी कड़ी में एक और दरवाजा है आत्मनिर्भरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता।

महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है कि उनके लिए खाना बनाना जैसे घर गृहस्थी के काम जरुरी हैं। पर आज ज़रुरत है कि उनको सिखाया जाये कि उनके लिए पढ़ना, लिखना और कमाना भी जरुरी है। आर्थिक रुप से सक्षम होना भी जरुरी है। पैसे से खुशियाँ ही नहीं आती और भी बहुत कुछ आता है, जो साथ में खुशियाँ लाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अंश और जोड़े जाने चाहिये जो आपको किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दें। जिससे आप कम से कम अपना खर्च तो वहन कर सकें। तभी शिक्षा के असली मायने सार्थक होंगे। जरुरी नहीं कि हर कमाने वाली लड़की डॉक्टर या शिक्षिका हो वे खाना बना सकती हैं, पार्लर चला सकती हैं, कपड़े सी सकती है, उन्हें ये सब आता है वो ये सब करती भी हैं, पर सिर्फ घर में। जरुरत है कि उनके इस हुनर को बाहर लाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। यह एक सोच है, जरुरत है इसको आगे बढ़ाने, उनके हुनर को उनकी जीवन रेखा बनाने की, ताकि समय आने पर वे अपना परिवार चला सकें। आर्थिक रुप से किसी पर निर्भर न हों। यह उन्हें गति देगा, दिशा देगा, आत्माभिमान देगा, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास देगा। यह एक खुशहाल भविष्य की कामना है, अमल करें। अभी करें।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एक योजना है जिसका उद्देश्य है बेटी को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो। यह योजना भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी, 2015 को बेटियों के प्रति जागरुक फैलाने के साथ महिलाओं के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने के लिये शुरु की गई थी। यह योजना बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्पित है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बेटियों और महिलाओं के प्रति जागरुकता फैलाने के लिये इसी प्रकार की बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें लाडली योजना, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।

महिलाओं और लड़कियों के प्रति सम्मान को हमें समाज के निचले स्तर पर सुदृढ़ बनाना होगा, जिसमें सर्वप्रथम परिवार आता है जहाँ लड़कियों को बचपन से ही खाना बनाने में लगा दिया जाता है और सोचा जाता है यह पढ़–लिख कर क्या करेगी। जिस दिन हर परिवार बेटियों को बेटों जैसी सारी सुविधाएं देने लगेगा, उनके विचारों का सम्मान करेगा तब से हर घर में पी.वी.सिंधु जैसी बेटियाँ होंगी जो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने देश का नाम भी रोशन करेंगी और बहुत सी बेटियों ने तो यह कर भी दिखाया है।

प्राकृतिक आपदाएं खुद आएं या हम बुलाएं

प्राकृतिक आपदाएं एक ऐसा यथार्थ है जिसे मनुष्य चाहे जितना नज़रअंदाज करने की कोशिश करे पर करने में सदैव ही असफल रहा था एवं आने वाले भविष्य में भी संभवतः असफल ही रहेगा।

ना कर छेड़छाड इस प्रकृति से।
तू तो महज एक कठपुतली है।
जिस दिन प्रकृति कहर बरपायेगी।
तुझे अपने में समा ले जायेगी।

मनुष्य पर सदैव ही प्रकृति से छेड़छाड़ करने के गहन आरोप लगते रहे हैं। हर मोर्चे पर कहीं न कहीं मनुष्य को प्राकृतिक आपदाओ के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कई बार कठघरे में खड़ा किया जाता रहा है।

यहां पर प्रश्न ये उठता है कि क्या सही में हर प्राकृतिक आपदाओं के लिए मनुष्य को आरोपी बनाना ठीक है ?

मनुष्य ने अपने भौतिक सुख, विलासितापूर्ण जीवन व अपनी उड़ती महत्वाकांक्षाओं को हवा देते हुए कहीं न कहीं अपनी साख को इस लिहाज से धूमिल किया है कि न चाह कर भी मनुष्य कुछ ऐसी आपदाओं के लिए भी आरोपी ठहराया जा रहा है जिसका मनुष्य से कुछ लेना–देना नहीं हैं।

मनुष्य अपने तकनीकी विकास की राह में अब प्रकृति को सर्वोपरि रखकर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जो न केवल मनुष्य की बुद्धिमता का परिचायक है अपितु यह समय की माँग भी है।

प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग/प्राकृतिक आपदाओं पर लगी रोक – प्रकृति के पास वैसे तो मनुष्य को देने को बहुत कुछ है लेकिन यदि सही दिशा में देखा जाये तो प्रकृति के पास संसाधनों का अपार भण्डार है जिसे सही सोच, दूरदृष्टि व नयी तकनीकों के साथ उपयोग में लाया जाए तो यह न केवल प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम में कारगर सिद्ध होगा अपितु मनुष्य अपने लिए एक ऐसी नई राह भी विकसित कर सकेगा, जिससे मनुष्य सरल व प्रकृति प्रेमी का एक ऐसा

उदाहरण पेश कर सकेगा जिससे उसके ऊपर लगे तमाम आरोपों से भी उसे सदैव के लिए मुक्ति मिल जाए।

जब सूर्य, जल, वायु, जमीन मिल जायें।
तब प्राकृतिक संसाधनों की कमी न रह जाये।
फिर क्यों न प्राकृतिक आपदाओ पर रोक की एक राह खोजी जाए।

जब प्रकृति ने ही हमें शक्तिशाली व अपार संसाधनों की सुविधाएं हमारे समक्ष रखी हैं तो मनुष्य को भी उनको ससम्मान अपनाने के साथ उसी दिशा में अपनी कुशाग्र बुद्धिमता का परिचय देते हुए इन संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए।

वैसे समय की माँग ने अब मनुष्य को प्रकृति की ओर एक बार फिर से मोड़ा है। आज भारत सरकार ने ''सोलर एनर्जी'' सूर्य की रोशनी से प्राप्त शक्ति को सोलर पैनल के जरिए घरेलू उपकरण चलाने और लोगों तक पहुँचाने के लिए कई रियायतों के साथ उन उपकरणों को आम जनता तक पहुँचाने व कम कीमत पर उपलब्ध कराने की तत्परता दिखायी है। आज कई औद्योगिक ईकाइयों, मकान आदि की छतों पर सोलर पैनल लगाये जा रहे हैं; जिनसे बिजली बनाकर उपकरण का उपयोग किया जा रहा है।

सोलर हीटर से सर्दियों में पानी गर्म करने का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। गाँवों में किसानों ने गाय के गोबर से गोबर गैस बनाकर घरों में उनका उपयोग शुरु कर दिया है। वहीं पवनचक्की की मदद से पवन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोग हो रहा है। ऐसे कई और भी उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य अब काफी हद तक अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए अपनी पुरानी गल्तियों पर परदा डालने

में जुट गया है ताकि आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों को प्राकृतिक आपदाओं का गुनहगार न माने।

आज न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व ने प्रकृति के प्रति सम्मान को ध्यान में रखते हुए विश्व मंच पर कई देशों जैसे; अमेरिका, चीन, रुस, जर्मनी आदि जैसे महाशक्तियों सहित संपूर्ण विश्व से प्रकृति के साथ चलने का आह्वान किया है।

अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि जहाँ तक प्राकृतिक आपदाओं को बुलाने का सवाल है तो कहीं न कहीं मनुष्य ने अपने आपको पुनः प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया है जो आने वाले समय में एक नई रोशनी लेकर आयेगा।

–वैभव सोनी

(2)

आज पर्यावरण एक चर्चित एवं महत्वपूर्ण विषय है। जिस पर पिछले दो–तीन दशकों से काफी बातें हो रही हैं। हमारे देश और विश्व में पर्यावरण के असंतुलन और उससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की भी काफी चर्चा हो रही है।

पर्यावरण असंतुलन के दो मुख्य कारण हैं। एक बढ़ती जनसंख्या और दूसरा बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं तथा उपभोक्ता वृद्धि। इन दोनों का असर प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है और उनकी वहनीय क्षमता लगातार कम हो रही है। पेड़ों को काटने, भूमि के खनन, जल के दुरुपयोग और वायु मंडल के प्रदूषण के कारण भी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं।

पेड़ों को काटने से धरती बंजर हो रही है और उसकी मिट्टी को बांधे रखने, वर्षा की तीक्ष्ण बूंदों से मिट्टी को बचाने, हवा को शुद्ध करने और वर्षा जल को भूमि में रिसाने की शक्ति लगातार क्षीण हो रही है। इसी का परिणाम है कि भू–रक्षण, भूस्खलन और भूमि का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मिट्टी अनियंत्रित होकर बह रही है। पहाड़ों और ऊँचाई वाले इलाकों की ऊरर्वता खत्म हो रही है। मैदानों में या मिट्टी पानी का घनत्व बढ़ाकर और नदी तल को ऊपर उठाकर बाढ़ की विभीषिका को बढ़ा रही है। खनन की वजह से मिट्टी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है। उद्योगों और उन्नत कृषि ने पानी की खपत को बेतहाशा बढ़ाया है। पानी, बढ़ती ज़रुरत के स्तर को लगातार कम कर रही है। वहीं उद्योगों के विषैले घोलों तथा गंदी नालियों के निकास ने नदियों को विकृत करके रख दिया है और उनके शुद्धिकरण की आत्मशक्ति समाप्त हो गई है। कारखानों और वाहनों के गंदे धुएं और ग्रीन हाऊस गैसों ने वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया है। यह स्थिति जिस मात्रा में बिगड़ेगी पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन उसी मात्रा में दूभर होता चला जाएगा।

हम देख रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्र में इसके लिए हमारी विकास की अवधारणाएं और क्रियाकलाप भी दोषी हैं। विकास के नाम पर नाजुक क्षेत्रों में मोटर मार्ग तथा अन्य निर्माण कार्य किए गये जिनमें भारी विस्फो. टकों का उपयोग किया गया। मिट्टी बेहतर तीव्र ढंग से काटी गई और जंगलों का बेहताशा कटाव किया गया। इस कारण बड़ी संख्या में नए–नए भूस्खलन उभरे और नदियों की बौखलाहट बढ़ी। इनमें लाखों टन मिट्टी बह गई जिसका दुष्प्रभाव न केवल हिमालयवासियों पर पड़ रहा है बल्कि मैदानी प्रदेश भी बाढ़ की विभीषिका से बुरी तरह त्रस्त हैं।

यह सही है कि हम प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोकने में समर्थ नहीं है, लेकिन उन्हें उत्तेजित करने और बढ़ाने में निश्चित ही हमारी भागीदारी रही है। इसके लिये हमें तात्कालिक लाभ के कार्यक्रमों का मोह छोड़ना होगा और क्षेत्रों के स्थाई विकास की योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। धरती का अपना एक परिस्थितिकी तंत्र होता था। उस तंत्र के गड़बड़ाने से हमारा जीवन और जलवायु संतुलनत बिगड़ गया है। प्रकृति में मानव की बढ़ती दखलंदाजी के चलते भी वह तंत्र गड़बड़ा गया है। मानव ने अपनी सुख सुविधा और अर्थ के विकास के लिये धरती का हद से ज्यादा दोहन कर लिया है। मानव ने ठंड व गर्मी से बचने के उपाय तो ढूंढ़ लिये हैं परन्तु ज्वालामुखी से बचने का उपाय वह अभी तक नहीं ढूंढ़ पाया है। अतः अंत में; हमें इन सब पर विचार करते हुए उन कमियों को दूर करने की दिशा में पहल करनी होगी जो हमें ही नहीं समूची सृष्टि को पतन के रास्ते पर ढकेलती है।

– राकेश कुमार

पेड़ अधिक, आबादी कम

–ओम प्रकाश

जीवन के लिए पेड़ जरुरी है। पेड़ों के विषय में कुछ तथ्य इस प्रकार है, जैसा कि सभी जानते है कि पेड़ हम इन्सानों को ही नही बल्कि धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों को जीवन देते हैं। इन्सानों के जीवन की सभी जरुरतों को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि पेड़ प्रकृति के सन्तुलन को बनाए रखते हैं। पेड़ों से ही हम दिनचर्या की वस्तु जैसे; भोजन, कपड़ा, ईंधन, लकड़ी, यहाँ तक कि दवाईयाँ भी प्राप्त करते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है और ऑक्सीजन धरती पर रहने वाले सभी जीवों, इन्सानों के लिए बहुत जरुरी है जिससे सभी जीवित रहते हैं।

पेड़ बादलों को अपनी ओर आकर्षित करके वर्षा करवाने में सहायक हैं जिससे धरती पर सभी को जल प्राप्त होता है। पेड़ इन्सानों सहित पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। पेड़ों द्वारा ही हमें जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन प्राप्त होता इसके अतिरिक्त पेड़ हमें दैनिक उपभोग की अनेक वस्तुएं जैसे; ईधन, फर्नीचर के लिए लकड़ी, रबर, दवाईयां, कागज आदि उपलब्ध करवाते हैं।

. इस धरती पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं शाकाहारी तथा माँसाहारी। पेड़ शाकाहारी जीवों को तो भोजन देता ही है साथ में माँसाहारी जीवों को भी भोजन देता है। जानते हैं कैसे ? जंगलों में शाकाहारी जीव पेड़–पौधे खाकर जीवित रहते हैं। माँसाहारी जीव उन शाकाहारी जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। अतः पेड़ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का पेट भरते हैं।

मुझे याद है जब मैं छोटा था उस समय गाँव–शहर, सड़क और खेतों के किनारे जहाँ देखों पेड़ ही पेड़ नजर आते थे हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। लेकिन आज स्थिति विपरित नज़र आती है। आज शहरों में पेड़ों की आबादी से अधिक आबादी इन्सानों और गाडियों की दिखाई देती है। आजकल शहर हो या गाँव पेड़ों की आबादी कम हो गई है। यह सब हम इन्सानों के स्वार्थ, लालच आदि के कारण हो रहा है। किसानों ने अपनी जमीन बेंचकर बहुत रुपया कमा लिया है लेकिन पेड़ खत्म कर दिए हैं। आप उस जगह पर जाकर देखिए जिसे किसानों ने डीलरों को बेंच दिया है और डीलरों ने वहां कॉलोनियां डेवलप की हैं वहाँ आपको आबादी के पाँच प्रतिशत से भी कम पेड़ दिखाई देंगे। ऐसी कॉलोनियों में दस गलियों में से मुश्किल से किसी एक में शायद ही कोई पेड़ दिखाई दे।

पहले तो लोगों के घरों के अन्दर भी एक पेड़ जरुर मिलता था लेकिन अधिक पैसे तथा शहरी चकाचौंध में लोगों ने घरों से पेड़ काट दिया और घर को पत्थर का बना दिया है। यहाँ तक कि घर के छज्जे पर भी दीवार बनाकर लोग कमरा बनवा लेते हैं जबकि पहले लोग छज्जों पर गमलों में छोटे–छोटे पेड़–पौधे लगाते थे तथा पक्षियों के लिए दाना–पानी रखते थे। यह सब अब बहुत ही कम देखने को मिलता है।

इस दिशा में सरकार तो सचेत थी ही लोगों को भी अब यह महसूस हुआ है कि पेड़ों का होना जीवन के लिए कितना आवश्यक है। आज भारत सरकार ने गाँवों, सूखे पहाड़ों, शहरों आदि में वृक्षारोपण के लिए योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत सरकार जगह–जगह पौधे लगा रही है। इतना ही नहीं शहर हो या गाँव लोगों को भी पेड़ पौधों की महत्ता का ज्ञान हो रहा है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो धरती बंजर हो जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज का इन्सान पेड़ों के महत्व को समझ गया है और वह शहरों में ही नहीं गाँवों में सूखे पहाड़ों तक पर पौधे लगा रहा है। अधिकतर लोग अपने घरों में, घरों के बाहर गलियों में पौधे लगा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब हर तरफ शहर हो या गाँव हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। जब ऐसा होगा तब हम गर्व से कह सकेंगें कि 'पेड़ अधिक, आबादी कम, इन बातों में बहुत है दम।

यहां कृपया यह भी ध्यान दें कि पेड़–पौधों को हम छोटे बच्चों की तरह पालें जिससे बड़े होकर वे भी हमें बच्चों की तरह पाल सकें।

आधी आबादी की दशा और दिशा

–रमेश चन्द्र

स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में 'जब तक समाज में महिलाओं की स्थिति उन्नत नहीं होती, विश्व की भलाई के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। आखिर कैसे कोई पक्षी एक पंख से उड़ सकता है।'

देश की आजादी से पहले महिलाओं की समाज में भागीदारी शून्य के बराबर थी लेकिन आजादी के बाद जब संविधान में बराबरी का अधिकार दिया गया तब जाकर महिलाओं को कुछ अधिकार मिले लेकिन महिलाओं एवं पुरुषों के बीच में बढ़ता हुआ जनसंख्या का अनुपात यह दर्शाता है कि स्थिति अभी भी पूरी तरह बदली नहीं है। जिसके निम्न कारण हैं –

1, (क) सबसे ज्यादा लिंग असमानता सबसे विक. सित राज्यों में हैं। जैसे; पंजाब, हरियाणा, चंड़ीगढ़, दिल्ली। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन राज्यों में लिंग के बारे में जानने या जांचने वाली मशीनें उपलब्ध हैं, जो गर्भ में पल रहे लिंग का पता लगाने में सहायक हैं।

(ख) दूसरा बड़ा कारण है हमारा समाज। जो पितृसत्तात्मक समाज है, जहां पुत्र को पिता की विरासत का वारिस माना जाता है। इस वजह से आज भी हरियाणा में कई युवक शादी से वंचित हो जाते हैं या उन्हें दूसरे राज्यों से दुल्हनों को खरीद कर लाना पड़ता है। इस कारण हरियाणा में पुरुष एवं महिलाओ के बीच में अंतर काफी भयानक है।

(ग) दहेज भी एक ऐसी समस्या है जिसके कारण कन्या भ्रूण को गर्भ में खत्म कर दिया जाता है। या अगर किसी वजह से वह जीवित भी रह जाती है तो उसके स्वास्थय सबंधी खर्चों पर कमी की जाती है। आंध्र प्रदेश में तो कहावत है, कि 'बेटियों को पालना ऐसा है, जैसा पड़ोसी के खेत में पानी देना'।

ऐसी कहावतों के चलते ही समाज में कन्याओं के बारे में गलत धारणायें बनीं। कहा गया है कि 'बेटी तो पराया धन है, उस पर क्यों पैसा खराब किया जाये। इससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला।

2, जनसंख्या में अनुपात जो असमान रुप से बढ़ा है उसका कारण 0–6 वर्ष की अवधि तक की कन्याओं को सुरक्षित न रख पाना है। जब कन्या पैदा होती है तो परिवार वाले शुरु से ही उसे कन्या समझकर उसके

साथ दूसरा व्यवहार करते हैं, जैसे; माता द्वारा कम स्तनपान कराना, जिससे कारण वह कुपोषण का शिकार हो जाती है। 6 वर्ष तक की सभी जरुरी सेहत सबंधी खर्चो में कमी की जाती है, जिससे कन्या में अनीमिया जैसी कमियां आ जाती है।

3 कानून बना देने मात्र से ही सुधार नहीं हो सकता। जो काम पहले विज्ञापनों द्वारा होता था वह अब चोरी छिपे या गर्भ में बच्चे की स्थिति का पता लगाने के बहाने होने लगा है क्योंकि कन्या शिशुओं की संख्या में अभी भी सुधार नहीं हो पाया है। जिन राज्यों पर पहले से ही कन्या भ्रूण हत्या के दाग लगे हैं, उन राज्यों पर शक्ति से कानून लागू किया जाना चाहिए जैसे; दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि। हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कई क्लीनिक भ्रूण हत्या में लिप्त पाये गये हैं जिन्हें किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा चिन्हित किया गया था।

4. महिलाओं की जनसंख्या बढ़ाने के संबंध में सबसे पहले तो कानून को प्रभावी ढ़ंग से लागू करवाने की आवश्यकता है, खासकर पीड़ित राज्यो में। महिलाएं हमारी जनसंख्या की आधी ताकत हैं इसलिये उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की आवश्यकता है अभी पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिससे यह फायदा हुआ कि 30 प्रतिशत महिलाओं ने चुनाव लड़े और जीते। आज समाज की मानसिकता को बदलने की भी आवश्यकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि कन्या बोझ नहीं होती वह समाज को एवं जीवन को आगे बढ़ाने के लिये सहयोगी होती है। अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। यहाँ तक कि उन्होंने एक अन्य कार्यक्रम "स्वच्छ भारत अभियान" के अंतर्गत सभी स्कूलो में अलग–अलग शौचालयों को बनाने की अपील की है, जिससे जो बच्चियाँ अलग शौचालय न होने की वजह से स्कूल छोड़ दिया करती थीं वे आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। आज हमें ज़मीनी स्तर से शुरुआत करनी होगी। बेटा हमारा पिण्ड दान करेगा तभी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लड़की तो पराया धन होती है, दहेज कितना देना पड़ेगा या मेरे बेटे की शादी में कितना दहेज आयेगा, लड़की की सुरक्षा कैसे होगी, मेरे बाद मेरा बेटा ही मेरी विरासत संभालेगा आदि–आदि जैसी सोच को छोड़ना होगा। सामाजिक सोच में बदलाव लाकर ही हम जनसंख्या की इस असमानता को पाट सकते हैं।

निदेशालय में राजभाषा गतिविधियां – एक झलक

राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को उत्तरोत्तर गति देने के लिए एवं निदेशालय के सरकारी काम–काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रभावी ढ़ंग से बढ़ावा देने के लिए निदेशालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा वर्ष भर विभिन्न अभिनव एवं प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनकी रूपरेखा और आयोजन का निर्णय निदेशालय की कार्यालय प्रमुख श्रीमती नीरज सुनेजा, निदेशक (प्रशासन) के नियंत्रण एवं अपर आयुक्त (विस्तार) श्री वीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गठित निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिया जाता है।

वर्ष 2016–17 की चारों तिमाहियों में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित आयोजन किया गया। बैठक में निदेशालय के सभी अनुभागों के कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाई गई कमियों को दूर करवाने के प्रति निदेशक (प्रशासन) महोदया सदैव अति संवेदनशील रहीं। पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वह कार्यालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने सहित हिन्दी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में निजी तौर पर रूचि लेते हुए स्वयं भी सदैव सक्रिय रहीं।

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विस्तार निदेशालय में हिन्दी से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं क्रियान्वित की गईं। निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान को निखारने के लिए और सरकारी काम–काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में होने वाली झिझक को दूर करने के लिए वर्ष की चारों तिमाही में एक–एक कार्यशाला और एक राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में प्रवक्ता के रुप में विभिन्न संगठनों से आमंत्रित हिंदी विद्वानों जैसे; दूरदर्शन के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्री सत्यप्रकाश, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ उपनिदेशक (राजभाषा) श्री यशपाल शर्मा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ. रविशर्मा 'मधुप' दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. पूरनचंद टंडन और राजभाषा विभाग के हिन्दी प्राध्यापक श्री विक्रम सिंह आदि ने राजभाषा हिंदी में नोटिंग ड्राफ्टिंग, मसौदा लेखन और हिन्दी के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम पद्धतियों का प्रयोग इत्यादि विषयों पर अनेक उपयोगी जानकारियां दीं।

निदेशालय में हिन्दी भाषा/आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण के लिए भी कर्मियों को बढ़–चढ़कर नामित किया गया। यही नहीं रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के तत्वाधान में आयोजित ''रक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, देश की प्रगति में विकास तथा राष्ट्रीय एकता एवं हिन्दी भाषा'' विषय पर शोधपरक लेख के चयनोपरांत, निदेशालय के दो कर्मियों ने रक्षा मंत्रालय द्वारा मैसूर में आयोजित वैज्ञानिक राजभाषा संगोष्ठी में भी शिरकत की। इसी तरह राजभाषा संस्थान, दिल्ली के तत्वाधान में अप्रैल, 2016 में सोलन (हिमाचल प्रदेश) में और राजभाषा एवं प्रबंधन विकास संस्था द्वारा नवम्बर, 2016 में गंगटोक में आयोजित राजभाषा सम्मेलन/कार्यशाला में निदेशालय के क्रमशः श्री राजकरण, वरिष्ठ अनुवादक व श्री अभिनन्दन कुमार स्वर्णकार, अनुवादक ने निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया। इसी तरह से राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2016 में 'कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने संबंधी प्रशिक्षण' के पांच दिवसीय कार्यक्रम में हिन्दी अनुभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों में पठन–पाठन और लेखन के प्रति जागरूकता और रूचि पैदा करने के उद्देश्य से दीवार पत्रिका का शुभारंभ भी किया गया। इस पर प्रतिमाह निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों और हिन्दी अनुभाग द्वारा लिखित/संकलित आलेखों, लघुकथाओं, स्लोगन एवं महापुरूषों के उत्प्रेरक विचारों का प्रदर्शन किया जाता है। जिसका परिणाम अत्यन्त सकारात्मक रहा है।

गत् वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपर आयुक्त विस्तार श्री वीरेन्द्र सिंह जी की ओर से राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को और अधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य से अपील जारी करते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी पखवाड़ा का आयोजन भी किया गया। पखवाड़े भर विभिन्न प्रेरक कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें निदेशालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह के दिन हिंदी काव्य एवं भाषा संगोष्ठी/परिचर्चा का भी आयोजन किया गया जिसमें अतिथि के रूप में देश के नामी कवियों/कवियित्रियों तथा भाषाविदों/विद्वानों ने शिरकत की जिनमें सर्वश्री सरन घई, काजल चौबे, आदिल रशीद, सुषमा सिंह, पंकज चतुर्वेदी, श्रीमती सुमन द्विवेदी, सुधाकर पाठक, सिद्धांत दीक्षित, संदीप कुमार, अलका सिंह, शैल भदावरी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

उपर्युक्त समस्त कार्यक्रमों का आयोजन/संचालन हिन्दी अनुभाग के कर्मियों सर्वश्री राजकरण (वरिष्ठ अनुवादक), अभिनन्दन स्वर्णकार (अनुवादक), बिक्रम सिंह (प्रवर श्रेणी लिपिक) एवं श्रीमती कमला (एमटीएस) के सहयोग से श्री किशोर श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने पूरी कुशलता से किया। वहीं उच्च अधिकारियों; श्रीमती नीरज सुनेजा, निदेशक (प्रशासन), डॉ. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार प्रशिक्षण एवं कृषि सूचना), डॉ. पी.एस. आरमोरिकर, निदेशक (विस्तार प्रशिक्षण) का भरपूर सहयोग, सानिध्य एवं मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ।

प्रस्तुति : राजकरण निषाद, हिंदी अनुभाग

मुद्रकः अरावली प्रिंटर्स एवं पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्लू–30, औखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेस–II, नई दिल्ली – 110020